Wednesday, 13 June, 1962

लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ५, १९६२/१८८४ (शक)

[८ से २२ जून १९६२/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़ १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ५ में अंक ४१ से ५१ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

(तृतीय माला खण्ड ५—अंक ४१ से ५१—८ से २२ जून, १९६२)/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़, १८८४ (शक)

अंक ४१—शुक्रवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या १३५३ से १३५५, १३५७ से १३६५, १३६७ से १३७१ और १३७३ . . ४४८५—४५१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६, १३६६, १३७२ और १३७४ . ४५११–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७७७ से २८६० और २८६२ से २८६६ . ४५१२–४८

दिनांक १८-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में शुद्धि

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .

(१) साल्ट कोटर्स रेलवे माल शैड, मद्रास में, माल उतारने का काम अस्तव्यस्त हो जाने का कथित समाचार . . ४५४८–४९

(२) दिल्ली में परमाणु बंम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को निमंत्रण . . ४५४९–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (रेलवे) १९५९–६० . . . ४५५०

सभा का कार्य ४५५०–५१

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य . . ४५५१—५३

समिति के लिये निर्वाचन ४५५३

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित . . . ४५५३

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ४५५४–५५

अनुदानों की मांगें . . . . ४५५५—६८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४५५५

राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक [श्री स० चं० सामन्त का] ४५६८

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) [श्री ज० ब० सिंह का] . ४५६८–६९

विधान परिषद् (रचना) विधेयक—परिचालित

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . . ४५६९—७३

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री स० च० सामन्तका]—अस्वीकृत . . ४५७४—७८

विषय पृष्ठ

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . .

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दीवान चन्द शर्मा का]

विचार करने का प्रस्ताव . . . ४५७८–७६

अंक ४२—सोमवार, ११ जून, १९६२/२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८२ से १३८४, १३८६, १३८८, १३९० से १३९४ और १३९७ से १४०१ . ४५८७–४६११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३७५, १३७८ से १३८१, १३८५, १३८७, १३८९, १३९५, १३९६, १४०२, १४०३ और १४०५ . ४६१२–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २८९७, २८९९ से २९१५, २९१७ से २९३१ और २९३३ से २९३५ . . . ४६१७–४४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ४६४४–४८

(१) केरल में एनाथ में ट्यूबरक्युलिन परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थति ४६४४–४४

(२) नागपुर–टाटानगर यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना . ४६४५–४८

सभा पटल पर रखा गया पत्र

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुप स्थति सम्बन्धी समिति

पहला प्रतिवेदन . . ४६४८

अनुदानों की मांगें ४६४८–६२

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . ४६४८–६२

वित्त मंत्रालय ४६६२–९२

सभा की बैठक के दिन में परिवर्तन ४६७४–९२

कार्य मंत्रणा समिति ४६७५–९२

दूसरा प्रतिवेदन ४६९२

दैनिक संक्षेपिका . . . ४६९३–९७

अंक ४३—मंगलवार, १२ जून, १९६२/२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४०६, १४०७, १४०९, १४११ से १४१३, १४१५ १४१६, १४१९ से १४२४ और १४२६ और १४२८ . ४६९९–४७२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १६ . . . . ४७२३–२८

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४०८, १४१०, १४१४, १४१७, १४१८, १४२५, १४२७, और १४२९ . . . . . ४७२८—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३६ से ३०४३ . . . ४७३२—८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ४७८०—८४

(१) गुंटूर में तम्बाकू के लिये एक मार्क की पर्चियां देने में सरकार की कथित असफलता . . . . .

(२) पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा . . . .

(३) साम्भर झील के निकट सवारी गाड़ी और बस के बीच हुई टक्कर

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७८४

सैन्ट्रल प्रोविंसेस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य . . . . ४७८४—८५

ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही बातचीत के बारे में वक्तव्य ४७८४—८६

कार्य मंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवेदन . . . . . . ४७८६—४८०९

अनुदानों की मांगें ४७८९

वित्त मंत्रालय . . . . . . ४७८६—४८०९

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२, पुरःस्थापित तथा पारित . . ४८१०—११

वित्त (वित्त संख्या २) विधेयक, १९६२

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ४८११—१५

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४८१६—२२

अंक ४४—गुरुवार, १३ जून, १९६२/२३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३०, १४३१, १४३३ से १४४०, १४४२, १४४४, १४४५, और १४४७ से १४४९ . . ४८२३—४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४४१, १४४३, १४४६ और १४५० से १४६४ . . . . . ४८४५—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४४ से ३१३५, ३१३७ से ३१४१, ३१४३ और ३१४४ . . . . . ४८५३—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . . ४८९९

स्थगन प्रस्ताव ४९००

रेलवे फाटक पर रेल गाड़ी और बस में हुई टक्कर . . ४९००

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४६००—०६
(१) उत्तरी लद्दाख में चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तर बन्द गाड़ियों का कथित आवागमन	४६००—०१
(२) नेफा में नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की कथित भर्त्सना	४६०१—०४
(३) वेस्ट विनय नगर, दिल्ली में साफ किये हुए पानी की कमी	४६०५—०६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-	
दूसरा प्रतिवेदन	४६०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२	४६०७—४३
विचार करने का प्रस्ताव	४६०७—४३
दैनिक संक्षेपिका	४६४४—५०

अंक ४५—शुक्रवार, १५ जून, १९६२।२५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर	४६५१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या १४६५, १४६७ से १४७३ और १४७५ से १४८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४७४ और १४८१ से १४८८	४६७५—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४५ से ३२१३	४६८०—५०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	५०१३—१७
सदर बाजार में विस्फोट	५०१३—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५०१७—१८
अनुपस्थिति की अनुमति	५०१८
विधेयक पुरःस्थापित	५०१९
१. सीमा शुल्क विधेयक	५०१९
२. विशिष्ट सहायता विधेयक	५०१९
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२	५०१९—३७
विचार करने का प्रस्ताव	५०१९—३७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	५०३७
अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प	५०३८—५४
मजदूरों संघों के प्रतिनिधिस्वरूप के बारे मे संकल्प	५०५४—५८
दैनिक संक्षेपिका	५०५९—६४

विषय	पृष्ठ
अंक ४६—शनिवार, १६ जून, १९६१/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ से १४९१, १४९३ से १४९६, १४९८ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५०९ .	५०६५—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४९२, १४९७, १५०४ और १५०६ . .	५०८९—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१४ से ३२९३ . .	५०९१—५१२६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५१२६—२९
राजशाही जिले से आने वाले व्यक्तियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . .	५१२९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५१२९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर मे शुद्धि . — .	५१२९
सभा का कार्य	५१३०
वित्त (संख्या २) विधेयक १९६२ . . .	५१३०—५८
खण्ड २ से १९ और १, तथा अनुसूची . . .	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९-६० .	५१५८—६९
दैनिक संक्षेपिका	५१७०—७४
अंक ४७—सोमवार, जून १८, १९६२/२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ज.	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१० से १५१८, १५२०, १५२१ और १५२३	५१५७—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ .	५१९८—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२२ और १५२४ से १५३७ .	५१९९—५२०५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३००, ३३०३ से ३३७०, ३३७३ से ३३९१ और ३३९३ से ३४२२ . .	५२०५—५९
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . ,	
राजसाहा जिले के निष्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	५२५९—६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	

विषय	पृष्ठ
प्रोफेसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय	५२६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२६६
तारांकित प्रश्न संख्या २१९ के उत्तर में शुद्धि	५२६६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९–६०	५२६६—६७
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५९–६०	५२६७—७१
राष्ट्रपति की पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १९६२	
विचार करने के प्रस्ताव	५२७१—८२
खण्ड २ से ४ तथा १	
पारित करने का प्रस्ताव	५२८२—८५
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे मे प्रस्ताव	५२८६—९९
बाग नदी परियोजना के बारे मे आधे घंटे की चर्चा	५३००—.०१
दैनिक संक्षेपिका	५३०२—०९
अंक ४८—मंगलवार, १९ जून, १९६२/२९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४९, १५५१ और १५५२	५३११—३३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ और १९क	५३३४—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ और १५५४ से १५६२	५३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२३ से ३४८६, ३४८८ से ३४९७, ३५०० और ३५०१	५३४२—७७
अविलम्बनीय लोक कहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	५३७८—८०
(१) मालदा जिले में पक्षाघात का महामारी के रूप मे फैलना	५३७८—७९
(२) दिल्ली स्टेशन और फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में पानी की कमी	५३७९—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३८१—८३
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १९६०–६१ के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य	५३८३—८४
विधेयक पुरःस्थापित —	
(१) प्रत्यर्पण विधेयक	५३८४
(२) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२	५३८५
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक १९६२	५३८५
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक	५३८६—८८
विचार करने का प्रस्ताव	५३८६

विषय	पृष्ठ

खंड २ और १ . . . ५३८८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५३८८

श्री विभूधेन्द्र मिश्र ५३८८

निर्वाचनों के संचालन नियमों के बारे में प्रस्ताव . . . ५३८८—५४०३

सीमा शुल्क विधेयक . . . . . ५४०३—१०

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ५४०३—१०

रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मे बांटने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . . . ५४१०—१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५४१५—२३

अंक ४९—बुधवार, २० जून १९६२/३० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ . . . . ५४२३—४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० और २१ . . . ५४४५—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७६ से १५९० . ५४४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०२ से ३५१४, ३५१६ से ३५७०, ३५७२ से ३६३३, ३६३५, ३६३६ और ३६३६-क से ३६३६छ . ५४५४—५५१८

दिनांक २२-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर मे शुद्धि

स्थगन प्रस्ताव ५५१८

भारतीय राज्य क्षेत्र मे चीनियों द्वारा कथित अतिक्रमण का समाचार . ५५१८—१९

सभा पटल पर रखे गए पत्र . . . . . ५५१९—२०

राज्य सभा से सन्देश ५५२०

गैर सरकारी सस्दयों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . ५५२०

तीसरा प्रतिवेदन ५५२०

हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ५५२१

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२—पारित . . ५५२१

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६२—पारित . . . ५५२२

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ५५२२—४७

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में आध घंटे की चर्चा ५५४७—५४

दैनिक संक्षपिका . . . . ५५५५—६३

अंक ५०—गुरुवार, २१ जून, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ से १५९९ १६०१ और १६१४ १६०२ १६०४ और १६०५ ५५६५—८८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०३, १६०२—ए, १६०६ से १६१० १६१२, १६१३ और १६१५ से १६२० . . ५५८८—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३७ से ३६६० ३६६२ से ३७१२, ३७१४ से ३७२३, ३७२५ से ३७४२, ३७४४ से ३७५२, ३७५४ से ३७६७, ३७६७क, ३७६७ख और ३७६७ग . ५५९४—५६५२

दिनांक २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर में शुद्धि ५६५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ५६५२—५४

(१) ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ यूरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत . . . ५६५२—५३

(२) त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों मे भारी बाढ़ . ५६५३—५४

जानकारी प्राप्त करने के बारे में प्रश्न ५६५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५६५४—५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर मे शुद्धि . . . ५६५७

सौलवीन प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के ब.रे मे वक्तव्य . . ५६५७

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम—अस्वीकृत . . ५६५८—६४

भेषज (संशोधन) विधेयक ५६६४

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५६६५—७३

खण्ड २ से २२ तथा १ . . . . . ५६६४—७७

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ५६६४—७७

राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों के दिये जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५६७८—८०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५६८१—९१

अंक ५१—शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२१, १६२३, १६२६ और १६२८ से १६३७ अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ और २३ . . . . ५६९३—५७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२२, १६२४, १६२५, १६२७, १६३७क, १६३८ और १६३९ . . ५७२०—२३

विषय	पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से ३८३३ और ३८३५ से ३८४५ . ५७२३–५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ५७५८–६५

(१) चीनियों द्वारा नेफा में भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा ५७५८–६०

(२) आई० एफ० स्टेशन बपरौला दिल्ली में एक० ई० एस० के दो मेहतरों की मृत्यु ५७६०–६२

(३) पूर्वोत्तर रेलवे के तिलरथ स्टेशन के निकट रेल गाड़ी और ट्रक की टक्कर . . . ५७६२–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५७६५–६७

राज्य सभा से सन्देश ५७६७

निर्वाचनों के संचालन नियमों में संशोधन के बारे में याचिका . . ५७६७

विधेयक पुरःस्थापित ५७६७–६८

(१) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक . . . ५७६७

(२) महाप्रशासक विधेयक ५७६८

(३) ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक . . ५७६८

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव . . ५७६९–७८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . ५७७८

तीसरा प्रतिवेदन ५७७८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . . ५७७९–८४

(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक [श्री अ० त्रि० शर्मा का] ५७७९

(२) बीमा (संशोधन) विधेयक (धारा ३१क और ४०ग का संशोधन) [श्री इन्द्रजीत गुप्त का] . . . ५७७९

(३) बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक [श्री अ० क० गोपालन का] ५७७९–८०

(४) खाद्य तेलों पर प्रतिबन्ध (साबून बनाने के लिए) विधेयक [श्री दी० चं० शर्मा का] ५७८०

(५) परिवहन समन्वय विधेयक [श्री दी० चं० शर्मा का] ५७८०

(६) दूकानदार (मुल्यों की पर्चीयाँ लगाना) विधेयक [श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का] . . . ५७८०–८१

(७) विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) [श्री हेम राज का] . . . ५७८१

(८) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [श्री हेम राज का] . . ५७८१

(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का संशोधन) [श्री हेम राज का] ५७८१–८२

(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन)
[श्री दी० चं० शर्मा का] . . ५७८२

(११) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
[श्री उ० मू० त्रिवेदी का] . . . ५७८४

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन)
[श्री दी० चं० शर्मा का] —वापिस लिया गया . ५७८२—८४

विचार करने का विचार . . . . .

हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना)
[श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]—परिचालित . . . ५७८५—९४

परिचालित करने का प्रस्ताव . . .

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन)
[श्री सिद्दय्या का] . ५७९४

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . ५७९४—९६

नरियमंगलम् में फायटोकेमिकल प्लांट के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५७९६—५८०२

विदाई भाषण . ५८०२

दैनिक संक्षेपिका . . ५८०३—१३, १—१०

पहले सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार १३ जून, १९६२
२३ ज्येष्ठ, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दुर्गापुर में सीमेंट बनाने की मशीनों का संयंत्र

+

†*१४३०. { **श्री स० चं० सामन्त**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में २० करोड़ रुपये की लागत से सीमेन्ट बनाने, खनन, और औद्योगिक कार्यों के लिये भाप बनाने की मशीनें बनाने का संयंत्र लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी और उसकी व्यवस्था किस प्रकार की गई; और

(ग) इन मशीनों में से प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता कितनी होगी?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). मैसर्स ए० सी० सी०—विकर्स बाबकाक लि० ने दुर्गापुर में भारी मशीन निर्माण कारखाना खोला था जिसमें उत्पादन आरम्भ हो गया है। इस कारखाने की लाइसेन्स प्राप्त वार्षिक क्षमता जल नल बायलर्स एवं दबाव बेसल्स बनाने की ६५०० टन और सीमेन्ट बनाने, खनन और अन्य सामान्य मशीनें बनाने की वार्षिक क्षमता २२३० टन है। पूंजीगत सामान के लिए २५० लाख रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताका अनुमान है जिसकी व्यवस्था ब्रिटेन के सहयोगियों के विनियोग और डिबेंचर ऋणों से होगी। कच्चे सामान और पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बनने वाली मशीन के लिए क्रयादेशों पर निर्भर है। यह आवश्यकता सरकार के सामान्य आवंटनों और उसके साथ विदेशी सहयोगियों के ऋणों से पूरी होगी।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या दर, मशीन शाप और फार्ज शाप जो बन गई हैं, आधुनिक प्रकार से बनाई गई हैं और यदि हां, तो उनकी लम्बाई व चौड़ाई कितनी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

1230 (Ai) LS —1

†**श्री० प्र० चं० सेठी**: नालहोल के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये। जहां तक डिजाइन का प्रश्न है, वे पूर्णतया आधुनिक हैं; यह तीन विदेशी फर्मों, मैसर्स विकर्स, मैसर्स बाबकाक और मैसर्स विल्काक्स लि० के सहयोग से बनाई गई हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त**: मंत्री महोदय ने कहा था कि यह संयंत्र मैसर्स ए० वी० वी० के सहयोग से बनाया गया है। इस में उन्होंने कितना धन लगाया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी**: परियोजना पर कुल १०.८ करोड़ रु० व्यय होंगे २० करोड़ रु० नहीं जिनका अनुमान माननीय सदस्य ने लगाया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: श्री सामन्त मैसर्स ए० वी० बी० द्वारा लगाया गया धन के बारे में जानना चाहते थे।

श्री प्र० चं० सेठी: वे लोग लगभग ४९.८ प्रतिशत धन लगायेंगे और ५०.२ प्रतिशत एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी और अन्य भारतीय कम्पनियां धन लगायेंगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: एक दिन माननीय मंत्री ने कहा था कि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में बारह सीमेन्ट के नये कारखाने खोलेंगे। मशीनों की उन कारखानों की कितनी मांग इस कारखाने से पूरी होगी जो हम दुर्गापुर में बना रहे हैं।

†**श्री स० चं० सेठी**: इसके लिए पृथक सूचना देनी होगी।

†**अध्यक्ष महोदय**: वह जानना चाहते हैं क्या बनने वाले नये १२ सीमेन्ट कारखानों की मशीन की मांग इस कारखाने से पूरी होगी या नहीं ?

†**श्री प्र० चं० सेठी**: मैंन अभी इस कारखाने की कुल क्षमता बताई है। यह जानकारी देने के लिए कि मांग पूरी होगी या नहीं, मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ**: दुर्गापुर में हुई प्रगति से, हम जानते हैं कि सीमेन्ट, विशेषकर रोटेरी प्रकार की मशीनों के निर्माण में हम कितना आत्मनिर्भर बन सकेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय**: यह बहुत बड़ा प्रश्न हो जायेगा।

भारी मशीनी औजार कारखाना रांची

+

†*१४३१. { **श्री सुबोध हंसदा**:
श्री स० चं० सामन्त:
श्री श्रीनारायण दास: }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रांची के भारी मशीनी औजार कारखाने के बारे में चेकोस्लोवाकिया की फर्म से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह रिपोर्ट सरकार को कब मिली थी और क्या इस पर विचार हो चुका है और इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : भारी मशीनी औजार कारखाना की परियोजना का ठेका जो चैक कम्पनी के सहयोग से चलाई जा रही है, ३१ मई, १९६१ को हुआ था . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस बारे में भी कोई जानकारी है कि रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : प्राप्ति के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस परियोजना में काम करने के लिए सरकार टेक्निकल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : प्रशिक्षण योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है । (अन्तर्बाधा)

†**अध्यक्ष महोदय** : कठिनाई इस कारण उत्पन्न हुई है कि हमें तारीख बदलनी पड़ी है । पहिले ये प्रश्न १४ ता० के लिये रखे गये और अब हमें १३ को लेने पड़े हैं । वरिष्ठ मंत्री महोदय १३ ता० के लिए कहीं बाहर समय दे चुके थे । अतः वह यहां नहीं हैं ।

†**श्री भगवत झा आजाद** : रिपोर्ट के अनुसार इस पर कुल कितना व्यय होगा, कितने धन की व्यवस्था देश में होगी और कितने धन की व्यवस्था विदेशों से होगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : परियोजना पर कुल १५ करोड़ रु० व्यय होंगे । यह व्यय कुछ तो चैकस्लोवाकिया से २३.१ करोड़ रु० का मिलने वाले ऋण से पूरा होगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या भारतीय परामर्शदाताओं ने इस रिपोर्ट पर कोई मत दिये हैं ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : यहां किसी मत का उल्लेख नहीं है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : भारी इंजीनियरी संयंत्र के लिए भूमि की प्राप्ति पर जो हामवेलन हुआ है उसका ध्यान रख कर क्या माननीय मंत्री हमें बता सकते हैं कि इस परियोजना विशेष के लिए और कितने गांव लिए जायेंगे ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : बिहार सरकार ने इस परियोजना के लिए बिना मूल्य के लगभग १०० एकड़ भूमि दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस परियोजना के लिये और कितने गांव लिये जायगे ?

†**श्री जयपाल सिंह** : श्रीमान्, क्या मैं ने ठीक समझा था कि उन्हों ने कहा था "बिहार सरकार से बिना मूल्य के" ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : : हां, हां यह बिना मूल्य के प्राप्त हुआ है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस परियोजना में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : श्रीमान, मैं इस बारे में भी पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री दाजी** : कितना वार्षिक उत्पादन होने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० सेठी :** आशा है कि आरम्भ में इस में १०,००० टन की भारी मशीन औजार और अन्तिम अवस्था में २०,००० भारी मशीन औजार बनेंगे ।

†**श्री बंसुमतारी :** इस परियोजना के कारण कितने परिवार उजड़े हैं ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री विभूति मिश्र :** क्या यह सही है कि बिहार गवर्नमेंट के पूरे कोआपरेशन के बावजूद, जैसे जमीन बिहार गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस को जल्दी से यूटीलाइज़ नहीं कर रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : ऐसी बात तो नहीं है । सेंट्रल गवर्नमेंट इस में जितना कर सकती है तेजी कर रही है ।

पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानी नागरिकों का अवैध प्रवेश

*१४३३. { **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी नागरिक पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवेश कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन के प्रवेश को रोकने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ; और

(ग) जो लोग पश्चिमी पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के साथ बस गये हैं उन का पता लगाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) १-४-१९६१ से ३०-४-१९६२ तक की अवधि में ४,७१३ पाकिस्तानी नागरिकों ने पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवेश किया ।

(ख) अनधिकृत मार्गों से पाकिस्तानियों के प्रवेश को रोकने के लिये कड़ी निगरानी और सतर्कता बरती जा रही है ।

(ग) यह समस्या खास तौर पर गुजरात राज्य के कच्छ जिले से सम्बन्ध रखती है । ऐसे लोगों का पता लगाने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं । इन उपायों में अवैध प्रवेश करने वालों का पता लगाने के लिये विशेष जासूसी दस्तों का निर्माण, उन के बारे में सूचना देने वाले लोगों को काफी इनाम देना और उन्हें आश्रय देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना शामिल है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** पाकिस्तानियों के इतनी बड़ी संख्या में भारत में अवैध प्रवेश करने का क्या कारण है ? क्या इस के पीछे पाकिस्तान की कोई चाल है ?

†**श्री दातार :** वे आर्थिक कठिनाइयों सहित अनेक कारणों से भारत आते हैं । सरकार जैसे ही उन्हें खोज पाती है उन पर अभियोग चलाया जाता है दण्ड दिया जाता है और बाद में वापस भेज दिया जाता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** ये लोग किस श्रेणी के हैं ? माननीय मंत्री ने उन की संख्या ४००० बताई है । उन में कितने हिन्दू और कितने मुसलमान हैं ? क्या सरकार की आंखें इस समस्या की ओर केवल अभी खुली हैं या उन्हें केन्द्रीय गुप्त समाचार पहिले मिल गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मेरे पास विभिन्न व्यक्तियों की श्रेणियां नहीं हैं परन्तु ये लगभग ४००० व्यक्ति मुसलमान हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि अवैध प्रवेश इतना अधिक है कि पश्चिम बंगाल की सीमान्त गश्ती पुलिस उन्हें रोकने में असमर्थ है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** पश्चिम बंगाल से ऐसा कोई पत्र या सूचना नहीं मिली है । वास्तव में, स्थिति अन्यथा है । उन का विचार है कि वे स्थिति संभालने के लिये पूर्णतया समर्थ हैं ।

†**श्री त्यागी** : मुझे शंका है कि इसे रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है या जिम्मेदारी गृहकार्य मंत्रालय की है । इस अत्यधिक अवैध प्रवेश के लिये कोई भी जिम्मेदार हो, अर्थात् गृह कार्य मंत्रालय या राज्य सरकार, क्या उस ने अपने संबंधित मंत्रिमंडल को इस की सूचना दी है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : सर्वप्रथम माननीय सदस्य यह समझ लें कि यह कोई बहुत बड़ी असफलता नहीं है । फिर, इस मामले में सीधे राज्य राज्य सरकार कार्यवाही करती है । यह भी समझना है कि भूगौलिक स्थिति बड़ी कठिन है । यहां तक कि यदि आप देश का समूचा बल सीमा पर लगा दें, तो भी आप कुछ लोगों का चोरी से आना नहीं रोक सकते । हो सकता है कि संख्या अधिक न हो परन्तु फिर भी यह अवैध प्रवेश ऐसा नहीं है जिसे आप सर्वथा रोक सकें । असम क्षेत्र में यह काम और भी कठिन है, विशेष कर कछार और सिलचर जिलों से मिले क्षेत्रों में । अतः ऐसे स्थान हैं जहां आप को अवैध प्रवेश रोकने के लिये चौकियां रखनी हैं और निरोधक कार्यवाही करनी है । जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, स्थिति तनिक भी गम्भीर नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : यह मामला एक दजन आदि व्यक्तियों का नहीं है । जैसाकि माननीय मंत्री ने कहा है यह मामला हज़ारों व्यक्तियों के अवैध प्रवेश करने का है ।

†**अध्यक्षमहोदय** : माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि उन के मतानुसार यह गम्भीर मामला नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : मैं उन से सहमत नहीं हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह बात ध्यान में रख कर कि भारत में भारतीयों द्वारा इन विदेशियों को आश्रय देने से स्थिति जटिल हो जाती है, क्या सरकार का विचार विदेशी राष्ट्रजन अधिनियम के कुछ उपबन्धों में संशोधन करने का है ताकि वे देश में आने वाले विदेशियों को उसे इच्छापूर्वक आश्रय देने वालों पर लागू कर सकें ? क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि हमें डर है कि इस से सीमान्त क्षेत्रों में रहने वालों को परेशानी होगी । यह सच है कि अवैध प्रवेश करने वाले देश से निकाल दिये जायें और भारतीय नागरिकों को कोई असुविधा भी न हो, चाहे वे मुसलमान हैं या अन्य किसी जाति के लोग हों । फिर भी, मैं यह बता दूं, जैसाकि मैं ने बजट भाषण में कहा था कि स्थिति सुधारने के लिये असम सरकार निश्चित कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यही स्थिति है, बल्कि इस से भी अधिक कड़ी स्थिति है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : माननीय मंत्री का उत्तर माननीय राज्य मंत्री के उत्तर के अनुकूल नहीं है। उनका कथन है कि बुलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जबकि माननीय मंत्री कहते हैं कि वे इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। यह बड़ी ही अनोखी बात है और आश्रयदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता है? क्या सरकार का विचार विधान में संशोधन करने का है ताकि उन के आश्रयदाताओं को, जो विदेशी राष्ट्रजन अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी हों, दण्ड दिया जा सके ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं ने अभी कहा है कि ऐसा कोई संशोधन करने का विचार नहीं है। मैं ने जो कहा था वह सामान्य बात थी। यदि व्यक्तिगत मामलों में यह पता लगे कि आश्रय-दाता कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं तो निश्चय ही वैध कार्यवाही की जायेगी।

श्री बड़े : वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इन ४००० में से क्या किसी के ऊपर आज तक कोर्ट में मुकद्दमा दायर किया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी एक नहीं बहुत से केथेज हैं जिनमें कार्यवाही होती है। अदालत द्वारा उन को सजा होती है। सजा होने के बाद भी अगर वह नहीं जाते हैं तो फिर उन को डिपोर्ट कर दिया जाता है और वहां किनारे तक पहुंचा दिया जाता है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : पाश्चिम बंगाल में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिये जो प्रतिबन्धक कार्यवाही की जा रही है वह उन अल्प संख्यक पाकिस्तानी राष्ट्रजनों पर भी लागू होगी जिन्हें वह देश छोड़ने पर बाध्य कर दिया जाता है और जिन्हें वैध पत्र या प्रव्रजन प्रमाणपत्र प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं है ? उन्हें यहां जबरदस्ती भेजा गया है और ये प्रति-बन्धक कार्यवाही कम से कम उन पर लागू नहीं होनी चाहिये।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : उनका मामला भिन्न श्रेणी का है। उन्हें लगभग शरणार्थी माना जाता है। कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक मामले की उस की ही विशेषताओं के आधार पर जांच की जाती है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या माननीय गृहकार्य मंत्री को विदित है कि कल ही असम के मुख्य मंत्री ने असम विधान सभा में कहा था कि विदेशी राष्ट्रजन अधिनियम में संशोधन होना चाहिये ताकि आश्रय देने वाले हमारे व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सके ?

†**श्री अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न पश्चिम बंगाल के बारे में है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : विधान तो एक ही होगा, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो या असम हो।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : पिछले तीन वर्षों में भारत में कितने व्यक्ति अवैध रूप से आये हैं ? क्या सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के कारण इस संख्या में वृद्धि हो रही है या कोई कमी हुई है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने कहा है कि मैं निश्चित संख्या जानने पर संख्या बताऊंगा। मैं ने अपने पिछले भाषण में कहा था कि अवैध प्रवेश बड़ी संख्या में हुआ है। परन्तु म पूरी तरह निश्चित किये बिना संख्या बताना नहीं चाहता।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्व विद्यालयों की परिक्षायें

†*१४३४. श्री उमानाथ : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के प्रश्न के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और टिप्पण के लिये विश्वविद्यालयों को परिचालित करने का निश्चय कर लिया है।

†श्री उमानाथ : रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में असफल होने वालों का प्रतिशत संसार में सर्वाधिक है। यह बताते हुए रिपोर्ट कहती है कि परीक्षाओं में सुधार करने से असफल होने वालों का प्रतिशत उस समय तक कम न होगा जब तक कि प्रवेश प्रक्रिया में सुधार न किया जाये। क्या सरकार का विचार प्रवेश प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रवेश प्रक्रिया के बारे में अनेक कार्यवाही करता रहा है और समय समय पर विश्वविद्यालयों को सलाह भी देता रहा है। वर्तमान रिपोर्ट में भी कुछ सिफारिशें की गई हैं। विश्वविद्यालय आयोग ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और विश्वविद्यालयों से प्रार्थना की है कि वे रिपोर्ट पर विचार करें और आयोग को बतायें कि वे इन मामलों पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

†श्री उमानाथ : अन्य सिफारिशों पर कार्यवाही करने के अतिरिक्त रिपोर्ट में विभिन्न विश्वविद्यालयों के परीक्षा विभागों के प्रशासन में गति कुशलता और गोपनीयता सुनिश्चित करने की मांग की गई है क्योंकि इससे समय नष्ट होता है जिसके परिणामस्वरूप परीक्षा फल देर से प्रकाशित होता है और विद्यार्थियों को प्रवेश पाने में असुविधा होती है। क्या सरकार ने कोई तुरन्त कार्यवाही की है। यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार तो कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं कर रही है। इस रिपोर्ट में विश्वविद्यालय अनुदान से कुछ सिफारिशें की गई हैं और समिति को स्वयं आयोग ने ही नियुक्त किया था। आयोग ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। अब आयोग ने विश्वविद्यालयों को इस रिपोर्ट पर विचार के अपने मत देने की सलाह दी है अर्थात् स्वयं विश्वविद्यालयों को रिपोर्ट पर विचार करना और सिफारिशों को लागू करना है। निश्चय ही माननीय सदस्य जानते हैं कि इन मामलों में भारत सरकार और विश्वविद्यालय में से कोई भी कोई निदेश देना नहीं चाहेगा। स्वयं विश्वविद्यालय समस्या पर विचार कर रहे हैं और मुझे आशा है कि इस रिपोर्ट को स्वीकार करने में विश्वविद्यालय जो नैतिक दबाव डाल सकता है उसका ध्यान रख कर विश्वविद्यालय आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इस रिपोर्ट में द्वितीय श्रेणी में एम० ए० की उपाधि समाप्त करने का सुझाव दिया गया है ; यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी में एम० ए० की उपाधि के समाप्त होने से द्वितीय श्रेणी के अंक ४५ और ४८ प्रतिशत से घटा कर ४० प्रतिशत कर दिये जायेंगे ? क्या इससे स्तर गिर नहीं जायेगा जिसे माननीय मन्त्री बनाये रखना चाहते हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिशों की यह रिपोर्ट स्वीकार करते समय यह बात स्पष्ट कर दी थी कि पहिले स्तर किसी भी स्थिति में गिरने न पायें। वास्तव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्तर ऊंचा उठाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या परीक्षा फलों के प्रकाशन समय के प्रश्न पर विचार किया गया है जिसके बिना एक विश्वविद्यालय से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी जो अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये प्राथना करते हैं वे ऐसा करने का अवसर ही नहीं पाते ? इसका ध्यान रख कर कि एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय को निरन्तर प्रव्रजन होता है, क्या इस मामले पर आयोग ने विचार किया है और इसका कोई समाधान खोजा है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस रिपोट में यह भी सिफारिश है कि यथासम्भव परीक्षा फलों के प्रकाशन में देर न की जाये। वे यथाशीघ्र प्रकाशित किये जायें ताकि विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो। रिपोर्ट में इस बारे में भी कुछ सिफारिशें हैं।

†श्री दाजी : विषय के महत्व और समान परिणाम प्राप्ति का ध्यान रख कर क्या सरकार उप-कुलपतियों के परामश से कोई अखिल भारतीय कार्यवाही करने का विचार कर रही है या वे यह बात प्रत्येक विश्वविद्यालय पर छोड़ना चाहते हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य को यह बात पूर्णतया समझनी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैसे कार्य करता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय है। राज्य विधान मण्डल उनके बारे में अधिनियम पारित करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्तरों को बनाये रखने और निर्धारण के लिये बनाया गया है और यह विश्वविद्यालयों को अनुदान भी देता है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय समय पर विश्वविद्यालयों के परामश से विभिन्न कार्यवाही करता रहा है। शायद माननीय सदस्य का विचार है कि हम प्रशासी आदेश देकर कुछ कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यह संवैधानिक उपबन्धो के विरुद्ध होगा। परन्तु संविधानानुसार भरसक प्रयास किया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों का स्तर ऊंचा हो।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या आशा की जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में, विशेषकर केन्द्रीय प्रशासित विश्वविद्यालयों में, निदेश जारी करके नहीं अपितु उनसे मामले पर विचार विमर्श करके कुछ पहिल करेगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : ऐसा निरन्तर किया जा रहा है।

†श्री अ० प्र० जैन : आजकल एक सामान्य शिकायत है कि अन्तिम परीक्षाफल पर अत्यधिक जोर दिया जाता है और अनेक ऐसे सुझाव दिये गये हैं कि विद्यार्थी का सामान्य कार्य व अध्ययन काल का अधिक ध्यान रखा जाना चाहिये। सरकार उपाधि देने में अन्तिम परीक्षा को कम महत्व देने और उम्मीदवार के कार्य तथा अध्ययन-काल का ध्यान रखने के लिये क्या कर रही है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस रिपोर्ट में इन सब मामलों पर विचार किया जा रहा है और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं रिपोर्ट की एक प्रति पुस्तकालय में रख दूंगा बशर्ते कि ऐसा न किया गया हो।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या इस रिपोर्ट में विश्वविद्यालयो के आन्तिरिक प्रशासन, विशेषकर अध्यापन कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति, अवनति तथा सेवा से हटाने के बारे में कोई सिफारिश है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†श्रीमती सरोजिनी महिषी : समिति की विभिन्न सिफारिशों पर विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उन्होंने हाल में ही रिपोर्ट दी है और हमें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी ।

हेवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, भोपाल

†***१४३५. डा० क० ल० राव : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल की स्थापना भारी मशीनरी के निर्माण के लिये की गई थी जो गैर-सरकारी निर्माता आम तौर पर बना नहीं पाते ;

(ख) क्या इस कारखाने में अप्रैल, १९६२ तक ट्रेक्शन मोटरों और १९६३ तक जैनरेटरों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया गया था ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कारखाने में भारी मशीनरी कब बनाई जायेगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (घ) एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) आरम्भ में कारखाने में छोटा छोटा बिजली का सामान बनेगा । उत्तरोत्तर प्रगति होने पर टैकनिकल जानकारी और उत्पादन प्रवधियों के निश्चित होने में कारखाना भारी बडी किस्म का सामना बना सकेगा ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) भारी आकार के ट्रांसफार्मर औद्योगिक मोटर, बड़े आकार के विद्युत् जनक-यन्त्र और जल टर्बाइन का निर्माण वर्ष १९६२–६३ में आरम्भ होने की आशा है ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या यह सच नहीं है कि 'सर्किट ब्रेकर्स जैसी मशीन के पुर्जों के आयात के लिए दी गई विदेशी मुद्रा उसके मुल्य की तुलना में बहुत अधिक है । अर्थात्, यदि किसी वस्तु का मूल्य १०० रु० है और उसके पुर्जों का मूल्य ९५ रु० आता है । अतः क्या इन पुर्जों को देश में ही बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : इसके लिये पृथक् सूचना की आवश्यकता है ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : क्या म यह कह सकता हूं कि अब इसके लिये प्रयास किया जा रहा है कि अधिकाधिक पुर्जों का विदेशों से आयात करने के बजाये देश में ही निर्माण किया जाता है ?

†**डा० क० ल० राव** : क्या यह सच है कि हल्के सामान, जैसे ११ के० वी० स्विच गीयर का निर्माण करने पर ही ध्यान रखने से, जिसका निर्माण देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में भी हो रहा है, १३२ के० वी० स्विच गीयर जैसे वास्तविक भारी सामान का निर्माण करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य काल्पनिक प्रश्न पूछ रहे हैं और राय मांग रहे हैं कि इससे यह विदित होता है या नहीं । इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विद्याचरण शुक्ल : मुख्य प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है कि ट्रेक्शन मोटरों के निर्माण का प्रोग्राम अभी आरम्भ नहीं बदला गया है। क्या इन मोटरों का निर्माण अब आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो इन ट्रैक्शन मोटरों के निर्माण की कितनी क्षमता प्राप्त हो गई है ?

†श्री प्र० चं० सेठी : आजकल, ट्रांसफार्मरों, स्विच गीयरों, कैपेसिटरों और ट्रैक्शन, सामान का निर्माण आरम्भ हो गया है। मोटरों का निर्माण अभी आरम्भनहीं हुआ है।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में उल्लेख है कि भारी आकार के ट्रांसफार्मरों, औद्योगिक मोटरों, बड़े आकार के जैनरेटरों और जल टर्बाइनों का निर्माण वर्ष १९६२–६३ में आरम्भ होने की आशा है। । क्या इस विशिष्ट परियोजना के विस्तार की कोई योजना है, और उसके लिये कितना और धन स्वीकार किया गया है ?

†श्री प्र० चं० सेठी: इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

†श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, क्या वह "कोई जानकारी नहीं है" कह सकते हैं। हां वह पूर्व सूचना मांग सकते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : एक ही बात है। यदि वह कहते हैं कि "कोई जानकारी नहीं है", तो इसका अर्थ यही है कि वह पूर्व सूचना चाहते है ।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम

*१४३६. { श्री भक्त दर्शन :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता श्री सी० एन० अन्नादुराई के ६ मई को मद्रास में अपने दल के सदस्यों के समक्ष दिए गये भाषण के इस अंश की ओर आकर्षित कराया गया है कि यदि आवश्यक हुआ तो स्वतंत्र द्रविड़नाड का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा में उठाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्र-घातक आन्दोलन को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि श्री सी० एन० अन्नादुराई ने ६ मई, १९६२ को मद्रास में कोई ऐसा भाषण दिया है। हां, ज्ञात हुआ है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संगठन मंत्री श्री एन० वी० नटराजन ने ६ मई को प्रातःकाल की सभा में यह कहा कि "यदि भारत सरकार और श्री नेहरू ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की मांग पर यथोचित ध्यान न दिया तो मामला राष्ट्र संघ की महा सभा के सामने पेश किया जायेगा।"

(ख) जैसा और जिस समय जरूरी होगा कार्यवाही की जायेगी।

†श्री भक्त दर्शनः श्रीमन्, जब यह संगठन इस देश की बुनियादी एकता और अविभाज्यता में ही विश्वास नहीं करता तो उसे अब तक अस्तित्व में क्यों रहने दिया गया और अब भी कोई सक्रिय कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह संगठन कुछ समय से कार्य कर रहा है। हमें इस बात का निर्णय करना है कि क्या यह संगठन वास्तव में उपद्रवी है और क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिये। मुख्य बात यह है कि विभाजन के प्रचार को एक दण्डनीय अपराध बनाया जाये। सरकार ने इस मामले पर विचार किया है। यद्यपि इस प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता हो सकती है तथापि हमारी राय मे फिलहाल इस प्रकार की कार्यवाही तुरन्त करना आवश्यक नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या आन्दोलन इतना तीव्र होना चाहिये कि उसकी ओर ध्यान जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री भक्त दर्शन।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या भारत सरकार और मदरास सरकार ने उन लोगों की शिकायतों की जांच की है जिनका यह संगठन अनुचित लाभ उठा रहा है और क्या इस पृथकतावादी आन्दोलन को समाप्त करने की दिशा मे कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: माननीय सदस्य किन शिकायतों का निर्देश कर रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आया। उन लोगों की कोई विशेष शिकायतें नहीं हैं। यदि उनकी शिकायत आर्थिक है तो यह एक सामान्य प्रश्न है और वे लोग राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग है और राज्य के पिछड़े वर्गों के लोग हैं। उनकी कोई विशेष शिकायतें नहीं हैं। हां, विभाजन की मांग अवश्य है। इस सम्बन्ध में और जांच करना आवश्यक नहीं है।

†**श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या देश में विभाजन की मांग के प्रचार को एक दण्डनीय अपराध बनाने का विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान सम्भवतः कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जैसा कि मैंने बताया, हमने इस मामले पर विचार किया है। किन्तु हम इस प्रकार का विधान लाने के लिये बहुत उत्सुक नहीं हैं।

†**श्री त्यागी** : गृह-कार्य मंत्री के उत्तर से प्रतीत होता है कि विभाजन के लिये व्यापक प्रचार कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी ओर उनका ध्यान जाता हो। उन्होंने कहा है कि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जायेगी। क्या इसका अर्थ यह है कि उनका ध्यान किसी भी व्यापक किन्तु अहिंसात्मक ढंग से किये गये प्रचार की ओर कतई नहीं जाता ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरा ख्याल है कि श्री त्यागी को, जो पुराने और तपे हुए राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अपने राजनीतिक प्रचार पर अधिक निर्भर करना चाहिये। [हमें राजनीतिक स्तर पर उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करनी पड़ती है। मैं नहीं समझता कि यह मामला इतना गंभीर है कि हम सरकारी तौर पर कोई कार्यवाही करें। किन्तु इस में सन्देह नहीं कि यदि विभाजन का प्रचार व्यापक ढंग से जारी रहता है तो उसे रोक दिया जायेगा।

†**श्री त्यागी** : कार्यवाही कब की जायेगी क्या इसकी कोई सीमा निर्धारित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हरि विष्णु कामत।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार को हाल में प्राप्त जानकारी से यह पता चलता है कि तमिलनाद में कुछ क्षेत्रों को छोड़ दक्षिण भारत में जनमत धीरे-धीरे तमिलनाद की मांग से हटता

---

†मूल अंग्रेजी में

जा रहा है या कि तमिलनाद का नारा उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है और फलस्वरूप दक्षिण भारत में आन्दोलन का ज़ोर बढ़ता जा रहा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य के कथन का पहला भाग सही है । इसका प्रमाण यह है कि जब यह मामला राज्य-सभा में उठा था तो दक्षिण भारत के राज्यों के सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव या इस मांग का ज़ोरदार विरोध किया था । मदरास में भी और विशेषकर अन्य राज्यों में जनमत इस मांग के विरोध में है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या गृह मंत्री जी को पता है कि द्रविड़ और आर्य अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही जाति है । केरल राज्य में आदि गुरु शंकराचार्य महाराज . . .

अध्यक्ष महोदय : स्पीच नहीं करनी है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : चूंकि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, इसलिए क्या माननीय गृह मंत्री जी यत्न करेंगे कि जो भेदभाव इनके बीच चला है, उसको मिटाया जाये और इनको मिलाया जाये ?

अध्यक्ष महोदय: यह आपका सजैशन बहुत अच्छा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: भारतवर्ष में अब तक जितने भी इस प्रकार के पृथकतावादी आन्दोलन चले हैं, प्रायः यह देखा गया है कि दूसरे देशों से भी उनको प्रोत्साहन मिला है । द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का यह जो पृथकतावादी आन्दोलन चल रहा है, क्या गृह मंत्री महोदय को कुछ ऐसे भी संकेत मिले हैं कि इसके पीछे भी किन्हीं दूसरे देशों का हाथ है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं, ऐसा कोई संकेत हम को नहीं मिला है ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : इस सैसेशन आन्दोलन में जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से चल रहा है, इसमें मुस्लिम लीग का भी क्या कोई हाथ है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं । उनका हाथ है, इस तरह से कहने की बात नहीं है । लेकिन जैसा मैं ने सदन में कहा था कि मुस्लिम लीग ने पिछले चुनाव में डी० एम० के० के क्षेत्रों में, उनके कैंडीडेट्स कोस्पोर्ट किया, वहां वे गये, उनकी उसने मदद की और उनको वोट दिलाने में काफी सहायता पहूंचाई ।

श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री जी ने कहा कि साउथ के जितने मैम्बर थे उन्होंने राज्य सभा में विरोध किया । मैं जानना चाहता हूं कि मद्रास स्टेट के जो नान-कांग्रेसी मैम्बर हैं, उन में से कितनों ने राज्य सभा में विरोध किया ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : श्रीमन्, औचित्य के प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि इस सभा में राज्य-सभा की कार्यवाही का निर्देश नहीं किया जाता ऐसी परिपाटी है । मेरा ख्याल है कि नियम ३५४ के अनुसार इस सभा में अन्य सदन की कार्यवाही का निर्देश नहीं किया जा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कार्यवाही प्रकाशित हो जाये तो उसका निर्देश किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या इस प्रकार विभाजन का समर्थन करने वाला भाषण दण्डनीय अपराध है और यदि हां, तो इस प्रकार का भाषण देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस प्रकार का भाषण देना अभी दण्डनीय अपराध नहीं है ।

धातुकर्मिक अनुसंधान प्रयोगशाला ईशापुर

†*१४३७. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा धातुकर्मिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ईशापुर, को दो हिस्सों में बांट देने के सम्बन्ध में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विषय में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस प्रयोगशाला को वास्तव में दो हिस्सों मे बांट दिया गया है और यदि हां तो उसके विभाग क्या हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : उसे दो हिस्सों में बांटने के बारे में सिद्धान्ततः निर्णय किया गया है । उसे कार्यान्वित करने में कुछ समय लगेगा ।

विभाजन से पहले के भारतीय सेना कर्मचारियों की पेंशन

†*१४३८. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाजन से पहले के भारतीय सेना के विस्थापित पेन्शनरों को पेन्शन की बढ़ी हुई दरों पर अस्थायी बढ़ोतरियां देने का सरकार का विचार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख). विस्थापित पेन्शनरों को, जिनमें विभाजन-पूर्व भारत की सेना पेन्शनरों को पेंशन की बढ़ी हुई दरों पर अस्थायी बढ़ोतरियां देने का प्रश्न सरकार के समक्ष है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वेतन आयोग ने विस्थापित व्यक्तियों को बढ़ी हुई दरों पर पेंशन देने के बारे में इस प्रकार की सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

†श्री रघुरामैया : वेतन आयोग ने सेना के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सिफारिशें नहीं कीं । इस प्रश्न का सम्बन्ध भूतपूर्व पेंशनरों से है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह मामला रघुरामैया समिति के निर्देश पदों में शामिल किया गया था और यदि हां, तो उस समिति ने क्या सिफारिशें कीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : जी, नहीं।

इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी में विशेष डिग्री पाठ्यक्रम

†*१४३९. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान-स्नातकों के लिये इंजीनियरिंग और टैक्नोलाजी में विशेष डिग्री-पाठ्यक्रम चालू करने के बारे में सरकार सोच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर)**: (क) जी, हां।

(ख) एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या प्रस्तावित विशेष उपाधियों का मानक अब अन्य इंजनियरी और औद्योगिकीय कालेजों के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह अवश्य उसी मानक का होगा, किन्तु इसमें थोड़ा भिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम होगा क्योंकि यहां विद्यार्थी विज्ञान के अधिक मानक के साथ आयेंगे।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के समान पाठ्यक्रम होने की आशा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं है। वास्तव में, इस प्रकार का एक पाठ्यक्रम बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्था में देश में विद्यमान है, जहां विज्ञान के स्नातक, साधारणतया प्रथम श्रेणी के स्नातकों को तीन वर्ष का पाठ्यक्रम मिलता है और उनसे बी० ई० की उपाधि दी जाती है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : ब्यौरा तैयार किया जा रहा होगा। किन्तु इस योजना की मोटी रूपरेखा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : सामान्य उद्देश्य यह है। इस समय विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने के तुरन्त पश्चात् इंजिनियरी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अपना इरादा करना पड़ता है, किन्तु कभी कभी मेधावी युवक स्नातक होते है जिन्होंने बी० एस० सी० या एम० एस० सी० की उपाधि ली होती है और वे इंजीनियरी में जाना चाहते हैं। इस समय उनको साधारणतया विज्ञान में इण्टर पास लोगों के साथ पढ़ना पड़ता है। यह नवीन पाठ्यक्रम उन को उच्चतर स्तर पर प्रवेश दिला सकेगा। खड़गपुर संस्था इन विद्यार्थियों को पांच वर्ष के समीकृत पाठ्यक्रम के तीसर वर्ष में प्रवेश देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

यह साधारण स्वरूप होगा कि यहां इंजीनियरी सम्बन्धी शिक्षा अधिक मात्रा में विज्ञान की योग्यता रखने वाले विद्यार्थियों को दी जाएगी जो सम्भवत: उच्चतर शिक्षा में और अधिक उन्नत कार्य में जा सकेंगे।

†**श्री भगवत झा आजाद** : क्या इस पाठ्यक्रम के लिये सुविधायें, एक बार स्वीकार की जाने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार के द्वारा सब जगह विस्तृत की जायेंगी, ऐसे प्रशिक्षण या इन सुविधाओं के

---

†**मूल अंग्रेजी में**

अभाव को ध्यान में रखते हुए, क्या इन सुविधाओं का केवल वर्तमान संस्थाओं में विस्तार किया जाएगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** ये निस्सन्देह, विद्यमान संस्थाओं में होंगे । हम इस प्रकार के उपाधि पाठ्यक्रम के लिये विशेष संस्थायें स्थापित करने का विचार नहीं करते । जैसा कि माननीय सदस्यों को पता हैं केन्द्रीय सरकार तकनीकी शिक्षा के मामले में उदारतापूर्वक सहायता देती रही है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** देश में अत्यन्त सक्षम मैकेनिकल इंजीनियरों के अभाव की दृष्टि से, इसके लिये क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं कि इस तथा अन्य श्रेणियों में योग्य इंजीनियर देश में उपलब्ध हों ?

†**श्री हुमायून कबिर :** इस समय इंजीनियरों का प्रायः बाजार है । उनको शीघ्र ही नौकरी मिल जाती है । मेरा ख्याल हैं मैंने पहले कभी सभा को बताया था कि पहले अधिकांश इंजीनियर 'सिविल साइड' के होते थे, अब हम अनुपात को अधिक मात्रा तक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा अन्य किस्मों की इंजीनियरी में बदल रहे हैं ।

†**डा० लक्ष्मी पल्ली सिवची :** प्रस्तावों को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** विशेषज्ञ समिति ने जिसने इस प्रश्न पर विचार किया था, अब ८ विषयों में पाठ्यक्रम बनाने के लिये बहुत से विशेषज्ञ नियुक्त किये हैं, जो इस प्रकार के विशेष पाठ्यक्रम के लिये इस समय रखे गये हैं ।

†**डा० क० ल० राव :** इस बात की दृष्टि से कि इस पाठ्यक्रम में बड़ा अन्तर रखने का विचार किया गया है, क्या वास्तविक पाठ्यक्रम आरम्भ होने से पहले कोई विशेष विचार किया जाएगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** जैसा मैंने अभी बताया, यह पाठ्यक्रम, वास्तव में पहले से विद्यमान है । बंगलौर में इसका प्रयोग किया गया है और यह बड़ा सफल रहा है जहां बी० एस० सी० लोगों को तीन वर्ष का इंजीनियरी पाठ्यक्रम दिया गया हैं । अब हम ८ विशेष क्षेत्रों को ले रहे हैं जिनमें इस पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाएगा ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

+

†*१४४०. { **श्री म० क० कुमारन् :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुंजनी :
श्री वारियर : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रूरकेला इस्पात कारखाने के कार्य के बारे में सोलवीन मिशन की सिफारिशें मंजूर कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मिशन द्वारा सुझाये गये तरीकों से कारखाने के काम में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) सोलवीन प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन अभी सरकार के पास औपचारिक रूप में नहीं आया।

(ख) प्रतिनिधि मण्डल के विशेषज्ञों के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत के अनुसार, हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी द्वारा रूरकेला संयन्त्र के कार्य-संचालन को उन्नत करने की दृष्टि से, कुछ कार्रवाई की जा रही हैं।

†**श्री मे० क० कुमारन् :** समाचार पत्रों के समाचारों से यह प्रतीत होता हैं कि सोलवीन प्रतिनिधि मण्डल ने रूरकेला सन्यन्त्र की आयोजना और कार्यान्विति से सम्बन्ध रखने वाले जर्मन लोगों को बड़ा स्पष्ट प्रमाणपत्र दिया है, और त्रुटिपूर्ण कार्य संचालन का समूचा दोष हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी पर डाला है। क्या सरकार ने इस प्रश्न के इस विशिष्ट पहलू पर विचार किया है? यदि हां, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** अभी औपचारिक रूप में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु जहां तक प्रतिनिधि मण्डल का सम्बन्ध है, उन्होंने कहा है कि योग्य तकनीकी कर्मचारियों के अभाव के कारण असफलता रही है और प्रयोग में लाया गया कच्चा माल घटिया किस्म का था।

†**श्री मे० क० कुमारन् :** माननीय मंत्री ने सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन और कार्य संचालन के सम्बन्ध में कुछ मोटी बातें कही है, जिन में हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी भी शामिल है, कि परियोजनाओं के समान अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिये और नया संवर्ग बनाया जा रहा है। क्या इस दिशा में कोई कार्रवाई की जा रही है अथवा क्या मंत्री जी का अव्यवहारिक विचार था?

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** कार्रवाई की जा रही हैं।

†**श्री महेश्वर नायक :** यह सिद्ध बात है कि रूरकेला संयंत्र का संचालन बहुत संतोषजनक नहीं रहा। क्या सोलवीन मिशन ने उसके कार्य में सुधार होने का कोई संकेत दिया है?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** जैसा मैं ने प्रारम्भ में बताया है, प्रतिवेदन अभी सरकार के पास औपचारिक रूप में प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु उन्होंने कुछ चीजों के अधिक स्टाक के सुझाव दिये हैं। यह सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी कैसे पूरी की जायेगी, जिन के कारण परियोजनाएं खराब हो रही है, और क्या यह तथ्य है कि जर्मनी में प्रशिक्षित लगभग ७० प्रतिशत भारतीयों को हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी में रोजगार नहीं मिलता?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** तकनीकी कर्मचारियों की पहले से कमी है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया कि क्या जर्मनी में प्रशिक्षित भारतीयों में से ७० प्रतिशत लोगों को हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी में कारोबार नहीं मिलता?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** यह तथ्य नहीं है।

†**श्री मुरारका :** माननीय मंत्री ने बताया था कि वह सभा पटल पर प्रतिवेदन की एक प्रति रखने का इरादा करते थे। आज माननीय उपमंत्री कहते हैं कि प्रतिवेदन औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हु। मैं नहीं समझता कि यदि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो माननीय मंत्री सभा पटल पर क्या रखने जा रहे हैं। दूसरे, माननीय मंत्री के साथ हमारी जो बातचीत हुई थी, माननीय मंत्री ने कहा है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

यह प्रतिवेदन विचाराधीन हैं, किन्तु इस समय यह गोपनीय बात हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका हैं या नहीं यदि नहीं, तो सरकार कब और क्या सभा पटल पर रखेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: अनौपचारिक रूप से इस के बार में प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की जा चुकी हैं और इस प्रकार प्रतिवेदन की बातें मालूम हुई हैं, किन्तु औपचारिक रूप से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । दोनों बातें सत्य हैं । यदि मंत्री ने यह कहा हैं कि वह इसे सभा पटल पर रखेंगे तो जब यह प्राप्त हो जायेगा, सभा पटल पर रख दी जायेगा । इसका यह अर्थ हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मेरे पास मंत्री जी का एक पत्र आया हैं जिस में कहा हैं कि प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है--इस में यह नहीं लिखा कि यह औपचारिक है या अनौपचारिक--और यह विचाराधीन है और गोपनीय है अतः इस की प्रति मुझे नहीं दी जा सकती । मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिवेदन दो प्रकार का होता है औपचारिक और अनौपचारिक, क्या औपचारिक प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और क्या वह हमें दिया जा सकता है ? माननीय सदस्य स्वर्ण सिंह ने जो आश्वासन दिया हैं कि जो सदस्य चाहे प्रतिवेदन देख सकता है, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि मुझे क्यों इनकार किया गया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : जैसा मैं ने कहा, कोई औपचारिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु अनौपचारिक चर्चा हुई है और उसके आधार पर कुछ कार्रवाई की गई है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : माननीय मंत्री ने दो दिन पहले जो कहा था उस से यह बात भिन्न हैं। उन्होंने कहा था कि यह प्राप्त हो चुका है । अब माननीय उपमंत्री कहते है कि यह प्राप्त नहीं हुआ है । यह विचित्र बात है । बातचीत के दौरान में, माननीय मंत्री ने यह बात स्पष्ट की थी कि प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, कि वह इस पर विचार कर रहे थे और वह इसे सभा पटल पर रखेंगे ।

†**श्री प्र० चं० सेठी** : उन के द्वारा प्रतिवेदन पश्चिम जर्मनी सरकार को भेज दिया जायेगा और हमें उनके द्वारा उसके भेजे जाने के पश्चात् उस प्रतिवेदन की एक प्रति हमें प्राप्त होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस बात के सम्बन्ध में चिन्तित हैं कि यहां पहले यह बताया गया था कि प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है । एक माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि उसके पास एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस में कहा गया है कि प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और वह विचाराधीन है । अब उन को बताया जाता है कि प्रतिवेदन औपचारिक रूप से नहीं आया । वे इस में अन्तर समझते है । इस लिये वे वास्तविकता के बारे में चिन्तित है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : कोई वास्तविक अन्तर नहीं । औपचारिक प्रतिवेदन पश्चिम जर्मनी सरकार के द्वारा आना है । इसलिये उन्होंने एक अनौपचारिक प्रति दी होगी । उस अन्तिम प्रतिवेदन नहीं कहा जा सकता, जब तक कि वह प्राप्त न हो जाये । हो सकता है कि वह बिलकुल वैसी ही हो या हो सकता है बहुत थोड़े परिवर्तन हों, इसलिये इस पर विचार किया जा रहा है, किन्तु जब तक औपचारिक प्रतिवेदन प्राप्त न हो जाये उसे यहां रखना ठीक नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह सुझाव दूंगा कि जब माननीय मंत्री आयें, वह अवश्य इस के बारे में वक्तव्य दें ताकि समूचा मामला साफ हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छावनियों का प्रशासन

†*१४४२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री छावनी क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में २३ मई, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ और उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिधवा समिति और रामध्यानी समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) उन में से कौन सी सिफारिशें स्वीकार और कार्यान्वित हो गई हैं और कौन सी सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई हैं; और

(ग) अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) भारत सरकार ने श्री स० का० पाटिल के सभापतित्व तथा श्री आर० के० रामध्यानी के उप सभापतित्व में तथा अन्य सदस्यों के साथ साथ श्री आर० के० सिधवा को सदस्य बना कर जनवरी, १९४९ में केन्द्रीय छावनी समिति बनाई थी ।

समिति ने निम्न सिफारिशें की थीं :--

(१) वयस्क मतदान आदि के द्वारा छावनी प्रशासन में अग्रेतर लोकतंत्रीकरण;

(२) प्रतिदिन तथा अत्यावश्यक कार्यों को निपटाने के लिए छावनी बोर्ड के अधिकारियों को अधिकारों का प्रत्यायोजन;

(३) गड़बड़ी दूर करने के लिए तथा छावनी बोर्ड के कार्यवहन को दक्ष बनाने के लिए छावनी अधिनियम में संशोधन;

(४) १८ छावनियों से सेना की आवश्यकता से शेष क्षेत्र को असैनिक क्षेत्र बनाना ।

(ख) (१) से (३) तक सिफारिश को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है । सिफारिश (४) के सम्बन्ध में ६ छावनियों से असैनिक क्षेत्र ले लिये गये हैं ।

(ग) जनता तथा छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के विरोध के कारण शेष अन्य १२ छावनियों से असैनिक क्षेत्र नहीं लिये गये हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है कि समिति ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि १८ छावनियों से सेना की आवश्यकताओं से फालतू असैनिक क्षेत्र को काट दिया जाये, किन्तु इस में आज कहा गया है कि अन्य १२ छावनियों से असैनिक क्षेत्र काटा नहीं जा सकता क्योंकि जनता तथा छावनी बोर्डों के निर्वाचित सदस्यों का जोरदार विरोध है । ये छावनी क्षेत्र कौन से हैं जहां जनता तथा निर्वाचित सदस्यों ने जोरदार विरोध किया है और किन क्षेत्रों में ऐसा विरोध नहीं हुआ था ?

†**श्री रघुरामैया** : यहां १८ छावनियों का उल्लेख किया गया है, जिन में से १२ वे हैं जिन के बारे में प्रश्न पूछा गया है--ये हैं--अहमदनगर, बेलगाम, देवलाली, फीरोजपुर, कानपुर, किनकी, लाहौर, मेरठ, नैनीताल, पूना और सागर ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : भाग (१) के उत्तर के सम्बन्ध में, इन छावनी बोर्डों में निर्वाचित और नामित सदस्यों का अनुपात क्या है ?

†**श्री रघुरामैया** : इस समय समता है । अर्थात् कार्यपालिका आदेश के अनुसार निर्वाचित और नामित सदस्यों की संख्या समान है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : छावनियों के असैनिक प्रशासन को अग्रेतर प्रजातंत्र बनाने के लिये, क्या छावनियों के काम के बारे में व्यापक विधि बनाने का विचार किया जा रहा है जैसा कि भूतपूर्व उपमंत्री श्री मजीठिया ने प्रतिज्ञा की थी ?

†**श्री रघुरामैया** : यह अलग प्रश्न हैं, किन्तु यह विचाराधीन हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस समिति ने प्रजातंत्रीकरण के लिये क्या उपाय किये है ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं पहले बता चुका हूं कि यद्यपि संविधि के अधीन, जो कि इस समय हैं, नामित सदस्यों की संख्या एक अधिक होती हैं, किन्तु यथार्थ रूप में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके इस की ऐसी व्यवस्था की गई हैं कि निर्वाचित और नामित सदस्यों की संख्या बराबर रहे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार के पास प्रतिवेदन आये हैं कि उन छावनी बोर्डों में भी वहां निर्वाचित प्रधान और उपप्रधान होते हैं । प्रधान की अनुपस्थिति में, छावनी बोर्ड के कार्यपालिका अधिकारी ने स्थानी कमांडेंट को स्थानापन्न प्रधान की अधिसूचना जारी कर दी है और निर्वाचित उप प्रधान को कार्य साधक प्रधान की नहीं ?

†**श्री रघुरामैया** : यदि ऐसा कोई मामला हैं तो माननीय सदस्य मुझे उसकी सूचना दें ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पचमढ़ी ।

मध्य प्रदेश में पैराशूट फैक्टरी

+

†१४४४. { **श्री बड़े** :
श्री ब्र० जो० सिंह :
श्री कछवाय : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९६२ के अपने दौरे में उन्होंने मध्य प्रदेश में कौन से प्रतिरक्षा उद्योग स्थापित करने का वायदा किया था;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में एक पैराशूट फैक्टरी स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह किस स्थान पर स्थापित की जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कोई वायदे नहीं किये गये थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बड़े : क्या सरकार मध्य प्रदेश में कोई पैराशूट फैक्टरी लगाने का विचार कर रही है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्णा मेनन) : जी नहीं ।

†श्री बड़े : क्या माननीय मंत्री ने इन्दौर में अपने एक भाषण में कहा था कि मध्य प्रदेश में एक पैराशूट फैक्टरी होगी ?

†श्री कृष्ण मेनन : जी नहीं, इस प्रकार की कोई परियोजना या प्रस्ताव नहीं है ।

†श्री बड़े : आप ने अपने भाषण में यह कहा है ।

†श्री कृष्ण मेनन : मैं ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या मध्य प्रदेश में विद्यमान आयुध फैक्टरियों का विस्तार करने की कोई योजना है ?

†श्री कृष्ण मेनन : यह पृथक प्रश्न है ; मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्थान है ।

†श्री दाजी : क्या मा० मंत्री ने इन्दौर में उन के भाषण की रिपोर्ट देखी है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय इंदौर में कोई उद्योग स्थापित करेगा और प्रस्तावों पर सक्रियता से विचार करेगा ? क्या रिपोर्ट गलत है ?

†श्री कृष्ण मेनन : इन्दौर में कोई उद्योग स्थापित करने का प्रश्न नहीं है । महो बड़ा पुराना और बड़ा विख्यात स्थान है, अंग्रेजों के जाने के पश्चात् वहां यह विचार है कि वहां काफी रोजगार नहीं है । प्रतिरक्ष मंत्रालय की मुख्य जिम्मेवारी इस प्रकार उद्योगों की देखभाल करना नहीं है । किन्तु विविध साधन उपलब्ध होने पर हम इस पर भी विचार करेंगे और इसके बारे में सोचा जा रहा है ।

†श्री बड़े : क्या सरकार को पता है कि महो और राहौल में कोशा कहलाने वाले रेशम का बहुत उत्पादन है ? क्या सरकार मध्य प्रदेश में कोई पैराशूट फैक्टरी में उस रेशम का उपयोग कर रही है ?

†श्री कृष्ण मेनन : पैराशूटों के उपयोग के लिये सामान को जांचना होगा और संबद्ध विशेषज्ञों द्वारा निर्णय करवाना होगा ? जैसा मैं ने कहा, हमारी पैराशूट क्षमता हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है और इस प्रकार हमारी कोई समस्या नहीं है ।

प्राथमिक माध्यमिक, विश्व विद्यालय और समाज शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति

†*१४४५. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक माध्यमिक, विश्वविद्यालय और समाज शिक्षा सम्बन्धी प्रस्तावित चार स्थायी समितियों के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के सिद्धान्त पर निर्णय कर लिया है;

(ख) प्रस्तावित समितियों के सदस्यों के नाम सम्भवतः कब तक अन्तिम रूप से तय हो जायेंगे; और

(ग) समितियां अपना कार्य संभवतः कब तक कर देंगी ?

---

†मूल अंग्रेजो में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग) उन में से लोगों को बुलाया जा रहा है, जिन का शिक्षा के संगत क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव हैं। उस के उत्तर प्राप्त होने पर सदस्यों की सूची तैयार की जायेगी और तब स्थायी समिति कार्य करेगी।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इन विवध समितियों के कार्यों का स्वरूप क्या होगा और उनकी पदावधि क्या होगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : कार्य होगा, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, और कुछ काम सौंपे जा चुके हैं। वे ये हैं। (क) विशिष्ट क्षेत्र में इस के सब पहलुओं में शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अनुमान (ख) पहली सिफारिश किस मात्रा तक कार्यान्वित की गई हैं और इस से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मूल्यांकन तथा अमुमान, (ग) उस क्षेत्र में परिवर्तनीय हालतों और आवश्यकताओं के सम्बन्ध में शिक्षा के उद्देश्य तथा प्रयोजन निश्चित करना, (घ) भावी विकास की योजना बनाना, तथा प्राथमिकता निर्दिष्ट करना और (ङ) कि निम्न कार्यो का सुझाव दिया गया है उन की लागत का अनुमान लगाना।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इन विविध समितियों का आकार क्या होगा और इन समितियों के सदस्यों के बारे में कब तक फैसला हो जायेगा ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : आकार ९ से ११ सदस्य होगा। समिति में एक अतिरिक्त सदस्य सहयोजित भी होगा। सदस्यों के बारे में शीघ्र ही फैसला कर लिया जायेगा।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रारम्भिक से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के विविध स्तरों में सम्यक समन्वय का अभाव है, सरकार इस तालमेल के लिये किस तन्त्र की साधना का विचार करती है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : एक कार्य संचालक समिति स्थापित की जा चुकी है और चारों सभापति इकट्ठे मिलेंगे और परस्पर परामर्श करेंगे जब ऐसा करना आवश्यक होगा।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अन्य विविध समितियां इन नियमों के लिये कौन सी हैं ?

†डा० का ला० श्रीमाली : इन विशिष्ट क्षेत्रों में कोई समिति काम नहीं कर रही है।

†श्री भगवत झा आजाद : क्या कुछ राज्यों द्वारा स्थापित प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा संबंधी समितियां, उस सामान्य विचार धारा के अनुसार काम कर रही है जिसका अभी मा० मंत्री ने स्पष्टीकरण किया है अथवा क्या वे विभिन्न राज्यों में अकेले अकेले काम कर रही हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : राज्य अपने विशिष्ट क्षेत्रों में स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिये समितियां नियुक्त कर सकती हैं। अब जो समितियां भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं वे समूचे देश में शिक्षा और शिक्षा के विकास के संबंध में समूची स्थिति पर पुनर्विचार करेंगी।

†श्रीमती सरोजिनी महिषी : प्रश्न का भाग (क) प्रस्तावित समितियों के लिये सदस्य शामिल करने की कसौटी के बारे में हैं। मैं समझती हूं कि प्रश्न का उत्तर मा० मंत्री ने नहीं दिया। इन समितियों के सदस्यों की नियुक्तियों का आधार क्या है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं पहले ही कसौटी बता चुका हूं। उन लोगों में से लोग बुलाये जाते हैं जिन्हें शिक्षा के संगत क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव होता है। शिक्षा के संबद्ध क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव ही कसौटी होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तिरुमल राव : क्या समाज शिक्षा की कोई मान्य परिभाषा है, जैसा कि अन्य तीन प्रकार की शिक्षा के मामले में है और यदि हां, तो यह परिभाषा क्या है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : समाज शिक्षा साक्षरता तथा वयस्क शिक्षा और कुछ कुछ चीज और हैं, अर्थात् यह कि वयस्क लोगों को नागरिकता आदि का मोटा मोटा प्रशिक्षण होना चाहिये। हम इस शब्द का उपयोग अपने देश में करते हैं और इसकी परिभाषा यहां तथा अन्य कई बार की गई है ।

भारतीय शस्त्र अधिनियम

†*१४४७. श्री हेम राज : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय शस्त्र अधिनियम के अधीन नियमों को अन्तिम रूप देने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वे कब तक लागू हो जायेंगे ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) नियम अन्तिम रूप में तैयार किये जा चुके हैं और बहुत शीघ्र ही उन के जारी किये जाने की संभावना है ।

(ख) कुछ महीनों के पश्चात् नवीन नियमों को उन के जारी किये जाने की तिथि से लागू करने का विचार है ।

†श्री हेम राज : क्या कोई तिथि निश्चित की गई है जब से ये नियम लागू किये जायेंगे ?

†श्री दातार : १ अक्तूबर, १९६२ से ये नियम लागू किये जायेंगे ।

बिलेट[1] का आवण्टन

†*१४४८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न 'री-रोलिंग' फर्मों की री रोलिंग उपकरण अथवा मशीनों के लिये आयात लइसेन्स देते समय यह शर्त लगाई गई थी कि आयात किये गये उपकरण अथवा मशीनों के लाये जाने के फलस्वरूप बढ़ने वाली क्षमता को बिलेट अथवा स्क्रैप[2] के आवंटन के लिये मान्यता नहीं दी जायेगी;

(ख) ऐसी कौन सी रीरोलिंग फर्में है जिन के मामलों में ये शर्तें नहीं लगाई गई थीं; और

(ग) इस अपवाद के क्या कारण हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी, हां, क्योंकि इनमें से अधिकांश मामले वर्तमान मिलों में परिवर्तन संबंधी थे ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि रोलिंग मिल्स की इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उन को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Billets.

[2] Billets or scrapes.

श्री प्र० चं० सेठी : ऐसी शिकायतों की जानकारी नहीं है, लेकिन जो मौजूदा मिलें हैं उन्हीं का रिप्लेसमेंट किया गया है, और ऐसी सूरत में उन को अधिक बिलेट्स एलाट करने का सवाल पैदा नहीं होता ।

इन्टर नेशनल ज्योलोजिकल कांग्रेस

+
†*१४४१. { **श्री प्र० के० देव** :
श्री कोहोर :
श्रीमती शशांक मंजरी :

क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्टरनेशनल ज्योलोजिकल कांग्रेस (अन्तर्राष्ट्रीय भूतत्वीय संघ) की निकट भविष्य में नई दिल्ली में बैठक होने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कौन कौन देश भाग ले रहे हैं ; और

(ग) इस 'कांग्रेस' के सम्बन्ध में और क्या कार्यक्रम रखे जायेंगे ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री ((श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय भूतत्वीय संघ का रखा सत्र १४ और २२ दिसम्बर, १९६४ के बीच नई दिल्ली में होगा। क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है यह अनुमान लगाया जाता है कि संसार भर से भूतत्वज्ञ, भू भौतिकाविज्ञ, भू-रसायवज्ञ, खनन इंजीनियर तथा भूतत्वीय एवं सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि इस संघ की कार्यवाही में भाग लेंगे। अब तक ६८ देशों ने आमन्त्रण का प्रत्युत्तर दिया है।

(ग) संघ के १६ अनुभागों की बैठकों के अतिरिक्त, विभिन्न आयोग उनके अब आयोग तथा संघ की समितियां एवं अन्य सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं, की बैठकों के अतिरिक्त जो १४ और २२ दिसम्बर, १९६४ के बीच होंगी, भारत के भूतत्वीय दिलचस्पी वाले अधिकांश क्षेत्रों में २६ भ्रमणों की व्यवस्था सत्र से पहले और बाद में की जाएगी। महत्वपूर्ण भारतीय चट्टानों, खनिजों, नक्शों और प्रकाशनों की प्रदर्शनी की भी सत्र के अंग के तौर पर व्यवस्था की जाएगी।

†**अध्यक्ष महोदय**: एक अल्पसूचना प्रश्न है। श्री कोष—माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय भावात्मक एकता के बारे में पुस्तकें

†*१४३२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भावात्मक एकता के विषय पर बच्चों और शिक्षकों के लिये पुस्तकों के प्रकाशन को प्रस्तावित योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी मुद्रा

†*१४४१. **श्री याज्ञिक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में ब्याज, लाभ या उस विदेशी पूंजी के आंशिक भुगतान के रूप में कितना धन विदेशों को भेजा गया है जो विदेशियों ने भारत में अपनी व्यापार संस्थाओं या भारतीय व्यापार संस्थाओं के साथ सहयोग करके विनियोजित की है ; और

(ख) विदेशी मुद्रा के इस प्रकार के खर्च को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) १ अप्रैल, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक ७९.२ करोड़ रुपये बाहर भेजे गये।

(ख) सरकार स्वीकृत क्षेत्रों में विदेशी पूंजी लगाई जाना उचित समझती है और विदेशी पूंजी लगाना और सहयोग के प्रस्तावों की जांच और उन्हें अनुमति देने के बारे में सावधानीपूर्ण नीति अपनानी है ताकि लाभांश, रायल्टी आदि के रूप में विदेशी मुद्रा अनावश्यक रूप से बाहर न जाने पाये।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†*१४४३. **श्री मुंजनी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में इस्पात कारखाना बनाने के लिये अर्जित की गई भूमि विभिन्न कार्यों के लिये पट्टे पर दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रति एकड़ दर क्या है ; और

(ग) क्या उसी अधिसूचित क्षेत्र में अपनी बस्ती बनाने के लिये राज्य सरकार ने कुछ भूमि ले ली है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) और (ख). रूरकेला इस्पात सन्यन्त्र के निर्माण के लिये अर्जित जमीन अनुबद्ध सेवाओं, सन्यन्त्र के कार्यालयों, प्रदर्शन कक्ष, गोदाम आदि के लिये पट्टे पर देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) उड़ीसा सरकार ने अधिसूचित क्षेत्र में असैनिक बस्ती और औद्योगिक बस्ती बनाने के लिये अधिसूचित क्षेत्र में ९८४.४२ एकड़ जमीन ले ली है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा रूरकेला नगर की जो ४००.०६ एकड़ जमीन ले ली थी उसे राज्य सरकार ने विकास के लिये रख लिया है।

कोयले का आवंटन

†*१४४६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के औद्योगिक उपभोक्ताओं ने हार्ड कोक और कोयले के आवंटन मे वर्ष १९६१ में प्राप्त मात्रा की औसत के आधार पर परिवर्तन करने के सरकार के कथित निर्णय के विरुद्ध कड़ा अभ्यावेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग) विभिन्न उपभोक्ताओं के कोयले/कोक के कोटे में परिवर्तन इसलिये किया गया है कि उसे रेल परिवहन की उपलब्ध क्षमता के अनुसार, निर्धारित किया जा सके। परिवर्तित आवंटन उस मात्रा से कम नहीं है जो १९६० और १९६१ में वास्तव में भेजी गयी थीं। जहां सम्भव हो वहां सम्भरण की पूर्ति सड़क परिवहन द्वारा की जायेगी। हमारी राय यह है कि उपलब्ध क्षमता की अपेक्षा कहीं अधिक ठोस निर्धारित करने की बजाय वास्तविक आवंटन करना उपभोक्ताओं के हित में होगा। इससे वे अपने एककों के कार्य की उचित आयोजना कर सकेंगे/कोयला/कोक के कोर्ट में परिवर्तन करने से औद्योगिक एककों के सामान्य कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस बात को देखते हुए कि पहले भेजी गयी मात्रा की तुलना में कोटा कम नहीं किया गया है, सम्बन्धित औद्योगिक एककों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

लौह अयस्क का उत्पादन

†१४५०. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी**: क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोहा अयस्क का कुल उत्पादन तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये निश्चित किये गये लक्ष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी है ;

(ख) क्या तीसरी योजना के लक्ष्यों की तुलना में कोई कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) से (ग). गोआ को छोड़ कर, तीसरी योजना के पहले वर्ष (१९६१–६२) में वास्तविक उत्पादन १३० लाख टन से कुछ कम रहा, जबकि इस योजना का लक्ष्य ३२० लाख टन निर्धारित है। १९५९–६० के बाद उत्पादन ४० लाख टन बढ़ गया है। उत्पादन वृद्धि की गति सन्तोषजनक है। लोहा और इस्पात उद्योग की अयस्क की सभी आवश्यकतायें पूरी की जा रही हैं। यदि पत्तनों तक और पत्तनों में यातायात की सुविधाओं का विस्तार सन्तोषजनक गति से हो तो निर्यात के लिये योजना का उत्पादन लक्ष्य भी पूरा किया जा सकता है।

बढ़िया किस्म के कोयले की खपत

†*१४५१. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बढ़िया किस्म के कोयले का उपभोग किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा तक ;

(ग) घटिया किस्म के कोयले के रक्षित भंडारों की तुलना मे देश में बढिया किस्म का कोयला किस मात्रा मे उपलब्ध है ; और

(घ) देश की अत्यावश्यक मांगों के अनुसार कोयला निकालने के तरीके का वैज्ञानिकन करने के लिये क्या कारंवाई की जा रही है, ताकि हम बढ़िया किस्म के कोयले के रक्षित भंडारों को समाप्त न करलें क्योंकि इस से हमारी भावी सन्तानों को हानि होगी ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी, नहीं। विभिन्न उद्योगों को कुल जितना कोयला भेजा जाता है उसमें केवल ३ प्रतिशत कोयला बढ़िया किस्म का होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बढ़िया और घटिया किस्म के कोयले के रक्षित भण्डार अनुमानतः क्रमशः ६,१००० लाख और ५१,८००० मीट्रिक टन हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(१) भूमिगत खनन कार्य में अपव्यय से बचना।

(२) अन्तिम रूप से प्राप्ति के लिये थाक लगाना।

(३) कोयले के पर्तों से कोयला बारी से निकालने की प्रथा लागू करना।

(४) कोयला धोने के कारखानों की स्थापना करके कोयले की किस्म को बढ़िया बनाना।

(५) "कोकिंग" कोयले के साथ "नान-कोकिंग" कोयले को मिलाने की प्रथा आरम्भ कराना।

(६) विभिन्न उपभोक्ताओं को उनकी प्रविधिक आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न किस्म का कोयला देना। कोयला नियन्त्रक के संगठन से सम्बद्ध मुख्य ज्वलन इंजीनियर कोयले की विभिन्न किस्मों की आवश्यकताओं की जांच करता है।

न्यायाधीशों की अखिल भारतीय तालिका

†*१४५२. श्री अ० क० गोपालन : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीशों की अखिल भारतीय तालिका बनाने और उनके एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के बारे में विधि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने मे कोई कठिनाइयां हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये कठिनाइयां क्या हैं और उनको दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) उच्च न्यायालयों क न्यायाधीश इस प्रकार की सूची बनाने का विरोध करते है। ऐसी स्थिति में फिलहाल इस प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही न करने का निर्णय किया गया है।

इस्पात संयंत्रों का विस्तार

†*१४५३. श्री वी० चं० शर्मा : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात संयंत्रों का विस्तार कार्य निर्धारित कार्यक्रम से एक वर्ष पीछे चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†इस्तपात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

मूल कार्यक्रम के अनुसार सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात संयंत्रों के विस्तार के आर्डर १९६१-६२ के अन्त में दिये जाने वाले थे। भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिये उपकरण के संभरण के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और सोवियत संगठनों के बीच ९ फरवरी, १९६२ को ठेके पर हस्ताक्षर किये गये हैं। रूरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिये मुख्य संयंत्र और उपकरण के संभरण के लिये थोक टेन्डर प्राप्त हो गये हैं और आर्डर दिसम्बर, १९६२ तक दिये जाने की संभावना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में विस्तार के लिये टेन्डर आदि की व्यवस्था की जा रही है और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक आर्डर दिये जाने की संभावना है। इन प्राविधिक बातों को तय करने में कुछ समय लगा है जिसके बाद आर्डर दिये जा सकते हैं।

इस बीच संयंत्रों के स्थान पर प्रारम्भिक कार्य भी आरम्भ किया जा चुका है।

अन्दमान और कार-निकोबार द्वीपसमूह में तेल की खोज

†*१४५४. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास : }

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और कार-निकोबार द्वीपसमूह में तेल की खोज की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ग) क्या यह काम सरकार स्वयं करेगी ; और

(घ) काम अब कब आरम्भ होगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने १९५९ में जो प्रारम्भिक भूतत्वीय सर्वेक्षण आरम्भ किया था वह अभी चल रहा है।

मोटर गाड़ियों के नीचे[1] के ढांचों का निर्माण

†*१४५५. **श्री उमानाथ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मोटर गाड़ियों के नीचे के ढांचों के निर्माण के लिये चार से अधिक लाइसेंस देना अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) और (ख) १ जनवरी, १९६१ के बाद व्यापार वाहनों के निर्माण के लिये एक नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ था जो अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इस प्रकार के एकक की स्थापना की कोई गुंजाइश नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chasis.

केन्द्रीय बाल कल्याण बोर्ड

†*१४५६. { **श्री महेश्वर नायक :**
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री बिशन चन्द्र सेठ : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय बाल कल्याण बोर्ड बनाने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) बनाये जाने वाले बोर्ड के ध्येय तथा उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या योजना का ब्यौरा बना लिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग) बाल कल्याण के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

इंडोनेशिया से वैम्पायर विमानों की खरीद

†*१४५७. { **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने इंडोनेशिया से कई वैम्पायर ट्रेनर विमान तथा पुर्जे खरीदने की बातचीत की है ;

(ख) यदि हां तो कितने विमान खरीदे जाने है ; और

(ग) किन शर्तो पर ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इससे ज्यादा जानकारी देना लोक-हित में नहीं होगा ।

राष्ट्रीय एकता परिषद् के लिये सचिवालय

†१४५८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् के लिये एक अलग सचिवालय बनाने का विचार है ;

(ख) क्या उक्त सचिवालय गैर-सरकारी आधार पर बनाया जायेगा ; और

(ग) इस प्रस्ताव का वित्तीय भार क्या होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खनिज सलाहकार बोर्ड

†१४५९. श्रीमती ममूना सुल्तान : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज सलाहकार बोर्ड की बैठक २८ मई, १९६२ को श्रीनगर में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में खनिज साधनों के विकास में किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

†खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) बोर्ड की बैठक श्रीनगर में २८ और २९ मई को हुई थी।

(ख) और (ग) बैठक में कई प्रस्तावों पर, जिनका देश के खनिज साधनों के विकास से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सम्बन्ध था, चर्चा हुई। खनिज साधनों के विकास से सम्बन्धित जिन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई उनमें निम्नलिखित प्रस्तावों का उल्लेख किया जा सकता है। राज्य सरकारों तथा अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों को भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण में प्रशिक्षण की सुविधा देना, कुछ खनिज निक्षेपों की भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा जांच, खनिजों के लदान तथा यातायात के लिये रेल की सुविधा और खान क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और बिजली लगाने की व्यवस्था। बोर्ड ने इन मामलों की स्थिति पर विचार किया और कुछ बातों के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने की सिफारिशें कीं। इन सिफारिशों की जांच अब सरकार द्वारा की जायेगा।

'पेकिंग रिव्यू'

†*१४६०. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पेकिंग रिव्यू' नामक चीन की एक सरकारी पत्रिका को इस कारण जब्त कर लिया गया है कि उसमें दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, १९६१ के अधीन आपत्तिजनक लेख हैं;

(ख) यदि हां, तो यह पत्रिका भारत में कब आई ;

(ग) क्या भारत में विदेशी पत्रिकाओं तथा अन्य साहित्य के परिचालन अथवा बिक्री से पूर्व उस की जांच कराने की कोई व्यवस्था है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार) : (क) पेकिंग रिव्यू पाई वान चुआंग, पेकिंग द्वारा प्रकाशित "पेकिंग रिव्यू" के भारत में प्रवेश पर तो कोई सामान्य प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु इस पत्रिका का २० अप्रैल, १९६१ का १६वां अंक और ४ मई, १९६२ का १८वां अंक दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, १९६१ के अधीन जब्त कर लिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह तिथि बताना संभव नहीं है क्योंकि विदेशी प्रकाशनों के आयात का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

(ग) और (घ) जो प्रकाशन भारत की प्रादेशिक एकता या सीमाओं को चुनौती देते हैं उनका भारत में प्रवेश वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक २६ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या १५८-सीमाशुल्क रोक दिया जाता है । सीमा-शुल्क अधिकारी यह प्रतिबन्ध लागू करते हैं ।

जेट विमानों के इंजनों का निर्माण

†*१४६१. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के ब्रिस्टल सिडले ग्रुप से भारत में ब्रिटिश फर्म के नवीन विकसित जेट एयरो इंजन "पेगासस" के निर्माण के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मुद्रण यंत्रों आदि के लिये भारत को यूनेस्को की सहायता

†*१४६२. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने शिक्षा के विकास के लिये कागज की लुगदी और मुद्रण-यंत्रों के सम्बन्ध में यूनेस्को से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यूनेस्को ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) यूनेस्को इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि भारत को अन्य देशों से इस प्रकार की सहायता द्विपक्षीय आधार पर प्राप्त हो ।

'इंटरनेशनल कोल प्रिपरेशन कांग्रेस'

†*१४६३. { **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६२ के अन्त में हुई 'इंटरनेशनल कोल प्रिपरेशन कांग्रेस' में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो कांग्रेस में क्या मुख्य विचार व्यक्त किये गये थे और सिफारिश की गई थीं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन सिफारिशों के आधार पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इंटरनेशनल कोल प्रिपरेशन कांग्रेस नेशनल कोल बोर्ड, ग्रेट ब्रिटेन के तत्वावधान में हैरोगेट, इंगलैन्ड में २७-५-६२ से ७-६-६२ तक होने वाली थी । कोयला बोर्ड के मुख्य खनन इंजीनियर और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का एक अन्य अधिकारी भारत के प्रतिनिधि की हैसियत में कांग्रेस में भाग ले रहे हैं ।

(ख) जो अधिकारी इस काम के लिये भेजे गये हैं उनके प्रतिवेदन उनके भारत लौटने पर जून, १९६२ के अन्त तक प्राप्त होंगे ।

(ग) कांग्रेस द्वारा की गई सिफारिशें और व्यक्त किये गये विचार और उसमें भाग लेने वाले अधिकारियों के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जायेगा और उसके बाद आवश्यक हुआ तो यथासमय कार्यवाही की जायेगी ।

विश्वविद्यालयों में उत्पादन-व-प्रशिक्षण केंद्र

†*१४६४. **श्री उमानाथ** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में उत्पादन-व-प्रशिक्षण केन्द्रों की अग्रिम योजना की पूरक योजना के रूप में ऐसी कोई योजना है जिसके अनुसार विद्यार्थी, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में काम पर लगा दिये जायें;

(ख) यदि नहीं, तो प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद उनको काम पर लगाने के लिये सरकार का क्या प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार ने किन कारणों से मद्रास, केरल, आंध्र तथा मैसूर विश्वविद्यालयों में से एक को भी इस प्रशिक्षण के लिए नहीं चुना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

(ग) जिन विश्वविद्यालयों ने यह योजना स्वीकार की और जो इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकीय संस्थाओं से सम्बद्ध थीं और जिन्हें उद्योगों के विकास तथा विपणन की सुविधायें उपलब्ध थीं उन्हें ही इस प्रयोजन के लिये चुना गया ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां

†३०४४. **श्री मलिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में १९६१–६२ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितनी बस्तियाँ बनाने का इरादा है ;

(ख) ये बस्तियाँ कहाँ-कहाँ बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं; और

(ग) इन बतिस्यों में कितने परिवारों के निवास की व्यवस्था की गई है और की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) उड़ीसा सरकार ने इन बस्तियों के निर्माण के लिये राज्य के या केन्द्र के क्षेत्र में १९६१–६२ में कोई उपबन्ध नहीं किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में राष्ट्रीय गोष्ठी

†३०४५. **श्री मि० क० कुमारन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी द्वारा की गई कितनी सिफारिशों को सरकार ने अब तक कार्यान्वित किया है; और

(ख) शेष सिफारिशों के कार्यान्वय के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मंत्रालय शिक्षा सम्बन्धी विचार और अनुभव के प्रसार के लिये शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर समय-समय पर गोष्ठी का आयोजन करता है । ऐसी गोष्ठियों में की जाने वाली सिफारिशों के बारे में भारत सरकार का मुख्य दायित्व इन सिफारिश सहित गोष्ठी के प्रतिवेदन प्रकाशित कर उन्हें राज्य सरकारों को भेज देना होता है ताकि राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र की दशा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही कर सकें।

तदनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी की सिफारिशों का एक प्रतिवेदन केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित किया था और राज्य सरकारों को जानकारी और आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया था । सिफारिशों का किस हद तक कार्यान्वय किया इस बात की जाँच शिक्षा मंत्रालय के सी० ओ० पी० पी० दल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ की जा रही है । उसका प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध होने की संभावना है ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान का किराया

३०४६. **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री प्र० प्र० सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी परिषदों से यह सिफारिश प्राप्त हुई है कि उन सरकारी कर्मचारियों से जिनका मासिक वेतन डेढ़ सौ रुपये और तीन सौ रुपये के बीच है साढ़े सात प्रतिशत से अधिक किराया मकान न लिया जाय; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) सिफारिश मंजूर नहीं की गई।

बहुउद्देश्यीय परियोजनायें

†३०४७. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी बहुउद्देश्यीय परियोजनायें काम कर रही हैं और कहाँ-कहाँ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में ऐसी कितनी परियोजनायें शुरू करने का इरादा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में ४३ विशेष बहुउद्देश्यीय आदिम खण्ड शुरू किये गये थे । इन ४३ खण्डों के स्थान की एक सूची संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७**] ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में ३३० आदिम विकास खण्ड शुरू करने का इरादा है ।

सरकारी कर्मचारियों का अंशकालिक सेवानियोजन

†**३०४८. श्री अ० सिं० सहगल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर के घंटों के बाद अंशकालिक रोज़गार करने दिया जाता बशर्ते कि उससे उनकी दफ्तर में कार्यकुशलता प्रभावित न हो;

(ख) यदि हाँ, तो क्या एसे मामलों में निर्णय लेने के लिये कोई अन्य आधार नहीं है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे अंशकालिक रोज़गार को, यदि उसमें प्राप्त अनुभव से कर्मचारी की दफ्तर में कार्यकुशलता बढ़ती हो, प्रोत्साहन देती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). इस मंत्रालय के दिनाँक १६ अक्तूबर, १९५८ के ओ० एम० २५/४२/५८–एस्ट० (ए) की एक प्रति, जिसमें समस्त जानकारी निहित है, सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८**] ।

(ग) जी, नहीं ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†**३०४९. श्री सरजू पांडेय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितना धन खर्च किये जाने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) और (ख) अनुसूचित जातियों के बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । उत्तर प्रदेश में कोई अनुसूचित आदिम जातियाँ नहीं हैं । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९**] ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†**३०५०. श्री सरजू पांडेय :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्र-वृत्तियाँ देने के लिये १९६१–६२ और १९६२–६३ में अलग-अलग कितना धन दिया और मंजूर किया गया ; और

(ख) १९६१–६२ में वास्तव में कितना धन खर्च किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १९६१–६२

६०,६६,४०० रु०

१९६२–६३

अब तक कोई आवंटन नहीं किया गया।

(ख) पूरी राशि खर्च की गयी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने १३,३९,६०० रुपये खर्च किये।

समाज शिक्षा सम्बन्धी साहित्य

†३०५१. **श्री सरजू पांडेय:** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज शिक्षा सम्बन्धी साहित्य तथा नव-साक्षरों के लिये साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रकाशकों, मुद्रकों और पुस्तक-विक्रेताओं को १९६१–६२ में क्या सहायता दी गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** नव-साक्षरों के लिये पुस्तकों/पाण्डुलिपियों की पारितोषक प्रतियोगिता योजना के अन्तगत १९६१–६२ में उत्तर प्रदेश के एक प्रकाशक से पारितोषक-प्राप्त उर्दू पुस्तक "मसनुई चान्द" की १५०० प्रतियाँ खरीदी गयीं और उसे १५०० रुपये दिये गये।

साक्षरता

†३०५२. **श्री राम हरख यादव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साक्षरता का नवीनतम प्रतिशत क्या है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों के पिछड़े वर्गों में साक्षरता का क्या प्रतिशत है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) १९६१ में हुई जनगणना के आधार पर साक्षरता के आँकड़े भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एकत्र किये जा रहे हैं।

(ख) भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पिछड़े वर्गों के बारे में अलग साक्षरता आँकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

राजस्थान के जिलों की विवरणिका (डिस्ट्रिक्ट गजटियर)

†३०५३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर, पाली, बारमेट, जालोर और नागोर की जिला विवरणिकायें (डिस्ट्रिक्ट गजटियर) किस अवस्था में हैं ; और

(ख) राजस्थान सरकार को कुल कितना सहायता अनुदान दिया गया और उपरोक्त पाँच जिलों के लिये कितना आवंटन किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) बारमेर जिला विवरणिका इस वर्ष प्रकाशित की जा रही है। जोधपुर, पाली, जालोर, और नागौर जिलों की विवरणिकाओं के लिये सामग्री एकत्र की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) राजस्थान सरकार को अब तक ६,००० रुपये का सहायता अनुदान दिया जा चुका है। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित पांच जिलों के लिये कोई आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि इन विवणिकाओं का अब तक पुनरीक्षण नहीं किया गया है।

"सैनिक समाचार"

†३०५४. श्री व० क० रामस्वामी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सैनिक सकाचार" के अनुवादकों का वेतन क्रम उस पूछ ताछ के अनुसार निर्धारित किया गया है जो उनके मंत्रालय के सूचना और प्रासारण मंत्रालय से की थी; और

(ख) यदि हां, तो वेतनक्रम क्या हैं?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों की शिक्षा यात्रायें

†३०५५. श्री सरजू पांडेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में अब तक राज्य में और राज्य के बाहर विद्यार्थियों की शिक्षा यात्राओं की व्यवस्था करने के लिए उत्तर-प्रदेश सरकार को कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता का पूरा प्रयोग किया है?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) वर्ष १९६१–६२ में उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार को इस कार्य के लिये कोई राशि नहीं दी गई। वर्ष १९६२–६३ में धन आवंटित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सूखे क्षेत्रों की समस्याओं संबंधी गोष्ठी

†३०५६. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, १९६२ में सूखे क्षेत्रों की समस्याओं सम्बन्धी कोई गोष्ठी हुई थी;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो मुख्यकर किन बातों की चर्चा हुई थी ; और

(ग) गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) रेगिस्तान के सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्रों में प्रतिरक्षा की समस्याओं से सम्बन्धित अनेक विषयों पर चर्चा हुई थी ।

(ग) सूखे क्षेत्रों की समस्या सम्बन्धी गोष्ठी में निम्न मुख्य सिफारिशें की गईं ;

(क) जिन क्षेत्रों में ईंधन की कमी है या उपलब्धि कठिन है वहाँ पानी गर्म करने, कमरे गर्म करने, आदि के लिये सौर्य शक्ति का प्रयोग सम्बन्धी अनुसन्धान प्रयास बढ़ाना ।

(ख) रेगिस्तानी स्थितियों में प्रयोग के लिए सामान और वस्त्रों के निर्माण के लिए शारीरिक अध्ययन ।

(ग) पीने के लिए खारी पानी को नमक रहित बनाने के लिये वहनयोग्य किट बनाना ।

(घ) रेगिस्तानी क्षेत्र में चलते समय मोटरगाड़ियों के मार्ग बनाने सम्बन्धी मूल अध्ययन ।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

†३०५७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये ऐच्छिक अभिकरणों को उदार सहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी सहायता दी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). भारत सरकार अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये प्रचार सम्बन्धी अनुमोदित योजनाओं स्कूलों और बालवाड़ियों आदि के संचालन और पिछड़े वर्गों के कल्याण की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये अखिल भारतीय स्तर के ऐच्छिक संगठनों को सहायता देती रही है और यह सहायता तीसरी योजना में जारी रखी जायेगी । ऐसी सहायता के लिये तीसरी योजना के दौरान १२० लाख रुपये का उपबन्ध है जबकि दूसरी योजना में ७० लाख रुपये का था । अधिक उपबन्ध किये जाने का कारण यह है कि ऐच्छिक संगठनों के कार्यों का विस्तार किया जायेगा ।

दिल्ली के स्कूलों में कुप्रबन्ध

३०५८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के स्कूलों में कुप्रबन्ध के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये ; और

(ख) सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) दस ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुप्रबन्धकों के विरुद्ध उनके द्वारा की गई अनियमितताओं को देखते हुए, समुचित कार्रवाई की जाती है । यह कारंवाई निम्न प्रकार की होती है :—

(१) चेतावनी देना ;

(२) नियन्त्रण को सुदृढ़ करना और विभागीय अधिकारियों द्वारा उनके कार्यकलाप पर कड़ी निगाह रखना ;

(३) स्कूल के लेखों की विशेष जाँच करना ;

(४) मान्यता को रद्द कर देना और अथवा सहायक-अनुदान बन्द कर देना ।

अपराध का पता लगाने के लिये कुत्ते

३०५९. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराधों का पता लगाने के लिये कुत्तों का प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विशेष जाति के कुत्तों को कोई विशेष शिक्षण की भी व्यवस्था की गई है ;

(ग) ऐसे कुत्तों का क्या बाहर से भी कुछ आयात किया गया है ; और

(घ) इन कुत्तों की सेवाओं से इस समय कहाँ-कहाँ लाभ उठाया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभागों में कुत्तों के दस्ते बनाये गए हैं । आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में जहाँ इन दस्तों का निर्माण अभी हाल में ही किया गया है ये अभी प्रयोग में नहीं लाए गए । इन दोनों राज्यों के अलावा ये दस्ते सफल सिद्ध हुए हैं । दिल्ली में पुलिस के एक कुत्ते को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और दूसरे को हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(ख) मद्रास और हिमाचल प्रदेश में पुलिस के कुत्तों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध है । अन्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र भी अपने कुत्तों को वही प्रशिक्षण के लिये भेजते हैं ।

(ग) नहीं ।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास, पंजाब और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश अपने-अपने पूरे क्षेत्रों में पुलिस के कुत्तों का प्रयोग करते हैं । मद्रास राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के माँगने पर उन्हें भी अपने कुत्तों की सहायता देता है । निम्नांकित राज्य पुलिस के कुत्तों का प्रयोग अपने क्षेत्र के निर्दिष्ट इलाकों तक ही सीमित रखते हैं :—

राज्य	वे स्थान जहां पुलिस के कुत्तों का प्रयोग किया जा रहा है
मध्य प्रदेश . . .	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना और दतिया जिले ।
महाराष्ट्र . . .	वृहत्तर बम्बई ।
उत्तर प्रदेश . .	लखनऊ और वाराणसी ।

तिहाड़ (दिल्ली) की सेंट्रल जेल में एक व्यक्ति की मृत्यु

†३०६०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेकराम नामक एक विचाराधीन व्यक्ति १६ अप्रैल, १९६२ को तिहाड़ (दिल्ली) की सेन्ट्रल जेल में मर गया ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मृत्यु का कारण क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उस की मृत्यु की जिम्मेदार परिस्थितियों के संबंध में जांच कराई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) फंदा डाल कर लटकने से श्वासावरोध ।

(ग) जी हां । नियमों के अन्तर्गत एक सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई थी ।

अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, त्रिपुरा

†३०६१. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के अध्यापक प्रशिक्षण कालेज में इस समय पढ़ाने वाले अध्यापकों की कमी है;

(ख) वह कमी कितनी है; और

(ग) उस कमी को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान्, कुछ कमी है ।

(ख) ३४ में से ७ पद रिक्त है ।

(ग) २ रिक्त पदों को भरने के लिये प्रस्ताव भेजे गये हैं । शेष ५ पदों को कामं दिलाऊ दफ्तरो और खुले विज्ञापन द्वारा भरने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

खम्भात में तेल

†३०६२. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्भात में तेल क्षेत्रों से तेल के संभरण की अनुमानित मात्रा कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि जब प्रधान मंत्री खम्भात गये थे तो कुंआ संख्या ८ से कुछ तेल निकाल कर कुंआं संख्या ४ में पम्प कर के कुंआ संख्या ४ में तेल की अधिकता प्रदर्शित की गई थी ;

(ग) कुंआं संख्या ४ से तेल का दैनिक औसत संभरण कितना है ; और

(घ) प्रधान मंत्री के खम्भात जाने के समय कुंआ संख्या ४ से कितना तेल निकला था ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) खम्भात बेसिन के तेल क्षेत्रों से, अंकलेश्वर और कालोल क्षेत्रों को सम्मिलित करके, विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित छिद्रण कार्य की क्रियान्विति के पश्चात् तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त मे प्रतिवर्ष लगभग २५० लाख टन तेल निकलने की आशा हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) इस समय इस कुंएं से बहुत कम तेल निकल रहा हैं ।

(घ) हवा के दबाव की सहायता से लगभग ४ क्यूबिक माटर प्रतिदिन ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के सामयिक कर्मचारी

†३०६३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया) में १ जनवरी, १९६१ से १ जनवरी, १९६२ तक सामयिक कर्मचारी वर्ग से चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी नियमित वर्ग में लिये गये; और

(ख) १९६२–६३ में कुल कितने आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित वर्ग में लिये जाने की आशा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) ५९ ।

(ख) ७६ ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

†३०६४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया) के अनेक कर्मचारियों द्वारा अन्य विभागों में नौकरी के लिये पेश गई अर्जियां १९६० और १९६१ में आगे नहीं भेजी गईं;

(ख) यदि हां, तो १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि में ऐसी कितनी अर्जियां पेश की गयी थीं ;

(ग) उनमें से कितनी आगे भेजी गयीं;

(घ) कितनी नामंजूर कर दी गयीं; और

(ङ) नामंजूरी के क्या कारण हैं और वे किन नियमों के अन्तर्गत नामंजूर की गईं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) से (ङ) ऐसी १०५९ अर्जियां प्राप्त हुईं जिन में से ८५६ आगे भेजी गईं । शेष २०३ लोकहित में रोक ली गयीं ।

परियोजनाओं संबंधी प्रगति प्रतिवेदन

†३०६५. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय द्वारा सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है . और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति संबंधित परियोजनाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों में दी जाती है जो समय समय पर सभा पटल पर रखे जाते है।

सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में भी सामान्य रूप में दी जाती है जिनकी प्रतियां संसद् सदस्यों को प्रतिवर्ष बजट-सत्र में दी जाती हैं।

चिकित्सा एवं प्रविधिक संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण

†**२०६६. श्री रिशांक किशिंग** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन सी चिकित्सा एवं प्रविधिक संस्थाओं में संघ राज्य क्षेत्रों, नागालैण्ड और नेफा के विद्यार्थियों के लिये स्थान आरक्षित किये जाते है;

(ख) प्रत्येक राज्य अथवा क्षेत्र की स्थानों की संख्या कितनी हैं; और

(ग) सरकार ने इन क्षेत्रों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर): (क) से (ग). चिकित्सा संस्थायें १. प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों के अनुसार विभिन्न मेडिकल कालेजों में केन्द्रीय प्रशासित राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़ कर) के विद्यार्थियों के लिये स्थान आरक्षित किये जाते है १९६१-६२ में निम्नलिखित कालेजों में ६३ स्थान आरक्षित किये गये थे;

मेडिकल कालेज, वारंगल; मेडिकल कालेज, काकिनाड़ा; असाम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़; मेडिकल कालेज, गौहाटी; दरभंगा; मेडिकल कालेज; लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली, मौलाना आजाद मैडिकल कालेज, नई दिल्ली; एम०पी० शाह० मेडिकल कालेज, जामनगर; मेडिकाल कालेज, जबलपुर; मेडिकल कालेज, भोपाल; मेडिकल कालेज, मद्रास; मेडिकल कालेज मनीपाल; मेडिकल कालेज, अमृतसर; मेडिकल कालेज, आगरा; बंकुर सम्मिलानी मेडिकल कालेज, बंकुरा; एन० एस० मेडिकल कालेज कलकत्ता; मेडिकल कालेज, कलकत्ता; मेडिकल कालेज, श्रीनगर।

२. इन ६३ स्थानों का राज्य क्षेत्रों में वितरण निम्न प्रकार किया गया था :

हिमाचल प्रदेश : ३४; मनीपुर : १०; त्रिपुरा : ११; अण्मान और निकोबार : ७; नागालैंड : १।

प्रविधिक संस्थायें :

१. निम्नलिखित इंजीनियरिंग कालेजों में दीर्घकालीन आधार पर २५ सीटें आरक्षित हैं :

कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नालाजी, जादवपुर, विश्वविद्यालय; विक्टोरिया जुबिली टैक्नीकल इंस्टीट्यूट, बम्बई; अन्नामलाई विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज ; रुड़की विश्वविद्यालय।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. इन २५ सीटों का संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण निम्न प्रकार है :

हिमाचल प्रदेश : ४; मनीपुर : ५; लक्कदीव तथा मिनिकाय : १; पांडिचेरी :५ ; त्रिपुरा : ६; अण्डमान और निकोबार : ३; नेफा तथा नागालैंड: १ ।

३. राज्य क्षेत्रों से प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली प्रार्थनाओं के आधार पर अतिरिक्त सीटें भी प्राप्त की जाती हैं। १९६१–६२ में २३ अतिरिक्त सीटें डिगरी कोर्स के लिये और १४ सीटें डिप्लोमा कोर्स के लिये प्राप्त की गयी थीं ।

मनीपुर प्रशासन

†३०६७. **श्री रिशांक किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन के सतर्कता विभाग ने अपनी स्थापना के समय से अब तक कितने मामलों का पता लगाया है;

(ख) उनमें कितने सरकारी कर्मचारी अंतग्रस्त हैं ; और

(ग) कितने मामलों की जांच की गई, कितने मामले निपटाये गये और क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) ७१ ।

(ख) ७७ ।

(ग) जिन ७१ मामलों की जांच की गई उन में से ५१ निपटाये जा चुके हैं। इन ५१ मामलों में निम्नलिखित कार्यवाही की गई --

प्रारम्भिक जांच के बाद छोड़ दिये गये	३४
पदच्युति	६
सेवाओं की समाप्ति	२
वेतन वृद्धि रोकना	२
निदिंदत	२
मुक्त	१
पुलिस द्वारा हस्तगत	४
कुल	५१

मनीपुर, नागालैंड और नेफा का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†३०६८. **श्री रिशांक किशिंग :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण कभी ने मनीपुर, नागालैंड और नेफा के संघ राज्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या खनिज पदार्थ पाये गये ; और

(ग) उन के निकालने की क्या योजनायें हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अभी तक निम्नलिखित खनिज पाये गये हैं ;

मनीपुर : गिलट, तांबा, क्रोमाइट, चूने का पत्थर, लिग्नाइट, अभ्रक, एसबेसटस और तेल क्षरण ।

नागालैंड : चिकनी मिट्टी, तेल क्षरण, कोयला और कंकड ।

नेफा : कोयला, पाइराइट, तांबा, सोना, चिकनी मिट्टी, नमक के झरने, गैस और तेल क्षरण ।

(ग) जब तक यह न सिद्ध हो जाये कि ये निक्षेप आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होंगे तब तक उनके निकालने की योजना बनाना व्यर्थ होगा ।

खोवाई की आदिवासी छात्राओं के लिये होस्टल

†**३०६९. श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोवाई की आदिवासी छात्राओं के लिये होस्टल की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कोई कदम उठाया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) त्रिपुरा के खोवाई नगर में स्थित विभिन्न स्कूलों में ऐसी कितनी आदिवासी छात्रायें पढ़ रही हैं जो विभिन्न मैसों अथवा निजी मकानों की व्यवस्था कर के रह रहीं हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् । जैसे ही लड़कों के हाई स्कूल की इमारत बन जायेगी आदिवासी लड़कियों के लिये एक होस्टल की व्यवस्था की जायेगी ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ३१ ।

जीवन बीमा निगम की अभिगोपन कार्रवाई

†**३०७०.** { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने १९५८ में अपनी प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये का अभि गोपन करने की पंचवर्षीय योजना चालू करने के समय से अपने प्रथम वर्ष की चूकें घोषित नहीं की हैं ?

Under writing activity.

†मल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) १९५८ से १९६१ तक प्रतिवर्ष जनवरी से शुरू कर के और ३१ दिसम्बर तक देय तारीख को बन्द किये गये भुगतान के आधर पर प्रथम वर्ष की चूकों की राशि कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) चाहे गये रूप में यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है । परन्तु निगर्मन के कलेंडर वर्ष और चूक के कलेंडर वर्ष के आधार पर चूक के आंकड़े भारत के जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों में प्रकाशित किये जाते हैं ।

त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्ति

†३०७१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा स्थित समस्त विस्थापित व्यक्तियों ने अपने को भारत का नागरिक रजिस्टर करा लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने विस्थापित व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन अभी किया जाना है ; और

(ग) उनके रजिस्ट्रेशन में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). चाही गई सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर पटल पर रख दी जायेगी ।

इस्पात कारखानों के लिये केन्द्रीय संयंत्र प्रयोगशाला

†३०७२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य की किस्म की जांच करने के लिये इस्पात कारखानों के लिये एक केन्द्रीय संयंत्र प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो क्या योजनाबद्ध प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ;

(ग) यह योजना किसने तैयार की है ; और

(घ) यह प्रयोगशाला कहां स्थापित की जायेगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (घ). अभी इस्पात संयंत्रों के लिये एक केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मनु नदी पर पुल

†३०७३. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलासहर (त्रिपुरा) के मनुघाटी आदि जैसे चाय बागानों के मालिकों से कैलासहर मनुघाटी सड़क पर मनु नदी पर एक स्थायी पुल बनाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कथित क्षेत्र के चाय बागानों के मालिकों ने इस प्रयोजन के लिये सरकार को ५०,००० रुपये देने की इच्छा व्यक्ति की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

आदिवासी झूमियों का पुनर्वास

†२०७४. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कचार जिले के आदिवासियों के पुनर्वास के लिये आसाम में आदिवासी झूमियों के पुनर्वास की योजना अपनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को कितना अनुदान दिया जायेगा और कितनी भूमि आवण्टित की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां यह कार्य करने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा के लिये सीमेंट और लोहे की नालीदार चादरें

†२०७५. **श्री दशरथ देव** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा को १९६१–६२ में लोहे की नालीदार, चादरों और सीमेंट का कितना संभरण किया गया और चालू वर्ष में कितना किया जायेगा ; और

(ख) क्या सरकार को त्रिपुरा प्रशासन से त्रिपुरा में अनेक स्थानों में मकानों के आग लगने से नष्ट हो जाने के कारण ऐसे कोटे को बढ़ाने का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) त्रिपुरा की लोहे की नालीदार चादरों और सीमेंट की १९६१–६२ की मांग और उसको किये गये आवण्टन और प्रेषणों की मात्रा निम्न प्रकार है :

(मीट्रिक टनों में)

	मांग	आवण्टन	प्रेषण
लोहे की नालीदार चादरें .	५,२५९	२,२२१	४५७ (अप्रैल, १९६१ से फरवरी, ६२ तक)
सीमेंट . . .	२६,७८१	१७,४००	१०,७०१

†मूल अंग्रेजी में ।

अप्रैल से जून, १९६२ की तिमाही के लिये राज्य के लिये ३,००० मीट्रिक टन सीमेंट का आवण्टन किया गया है। आशा है कि १९६२–६३ की अगली तीन तिमाहियों में इतना ही कोटा फिर दिया जायेगा। जहां तक लोहे की नालीदार चादरों का सम्बन्ध है, उनके संभरण का इस अवस्था में अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ख) त्रिपुरा में आग लगने से अनेक स्थानों में मकानों के नष्ट होने के कारण तिमाही कोटे की वृद्धि के लिये त्रिपुरा प्रशासन से कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है । परन्तु उस राज्य क्षेत्र के तूफान और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्य सम्बन्ध में लोहे की नालीदार चादरों के कोटे में वृद्धि के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । यह मांग यथासंभव आंशिक रूप में पूरी की गई है ।

त्रिपुरी भाषा का विकास

†३०७६. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में त्रिपुरा में त्रिपुरी भाषा के विकास के लिये कोई राशि आवण्टित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये कोई संगठन स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार संरक्षण द्वारा त्रिपुरी भाषा का विकास करने का विचार कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). यद्यपि त्रिपुरी भाषा के विकास के लिये अलग से कोई राशि आवण्टित नहीं की गई है उसके विकास के लिये उस भाषा में समाज शिक्षा पुस्तक तैयार कराई जा रही है और त्रिपुरी के लेखकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

धर्म संबंधी जनगणना के आंकड़े

३०७७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ की जनगणना में धर्म सम्बन्धी जो आंकड़े एकत्रित किये गये थे वह पृथक्-पृथक पता लग गये हैं अथवा नहीं ;

(ख) यदि हां, तो कुल मिला कर भारत में हिन्दू, मुसलमान और ईसाइयों की पृथक्-पृथक् कितनी संख्या है ; और

(ग) १९५१ की अपेक्षा १९६१ में इन तीनों में किस अनुपात से पृथक्-पृथक् वृद्धि हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) १९६१ की जनगणना में एकत्रित की गई धर्म सम्बन्धी आधारभूत सामग्री पर अभी काम किया जा रहा है और उस के १९६३–६४ में प्रकाशित किये जाने की आशा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता :

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य देशों को ऋण

३०७८. श्री रामेश्वरानन्द : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने किन्हीं अन्य देशों को विभिन्न रूप में कुछ ऋण दे रखा है ;

(ख) यदि हां, तो वह किन-किन देशों को कितना और किस-किस रूप में दिया गया है ;

(ग) इस में से कितनी रकम वापस प्राप्त की जा चुकी है और कितनी शेष है ; और

(घ) शेष रकम कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३० ।]**

कांगो से वापस आये भारतीय विमान बल के सैनिक

†३०७९. श्री भागवत झा आजाद : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) भारतीय विमान बल के कुछ लड़ाकू सैनिक क्या कांगो में अपना शांति कार्य करके भारत लौट आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ; और

(ग) क्या वापस आये सनिकों के बदले में नये सैनिक भेजे गये हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अधिकारी . . . . ६४ } विभिन्न दलों में
वैमानिक . . . १८६ }

(ग) हां, श्रीमान् ।

नमगिया-कौरिक सड़क

†३०८०. श्री हेम राज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमगिया (हिमाचल प्रदेश) को स्पीति में कौरिक से मोटर चलने योग्य सड़क द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने की संभावना है ; और

(ग) क्या वह राष्ट्रीय राजपथ संख्या १, हिन्दुस्तान–तिब्बत सड़क का भाग होगी ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय विमान बल, पालम

†३०८१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान बल, पालम की नियमित असैनिक स्थापना संख्या ३ विंग को अब तक स्वीकृति नहीं मिली है यद्यपि असैनिक विमान सैनिकों के स्थान पर गत कई वर्षों से काम कर रहे हैं ; और

(ख) स्थापना की स्वीकृति के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख) संख्या ३ विंग में कई नियमित असैनिक पदों की स्थापना की गई है । यूनिट के सामरिक काम के कारण शेष पदों को सैनिकों के लिए रखा गया है । असैनिकों को रिक्त-स्थानों पर सैनिकों के स्थान पर अस्थाई रूप म भरती किया जाता है ।

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप में कर्म समिति (वर्क्स कमेटी)

†३०८२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप दिल्ली छावनी में में कर्म समिति (वर्क्स कमेटी) १९५९–६१ की अवधि मे दो वर्ष तक काम करती रही और इस प्रकार उस ने औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के नियमों का उल्लंघन किया क्योंकि इसके अधीन सामान्य अवधि दो वर्षों की है ;

(ख) क्या नये चुनाव कराये गये हैं ; और

(ग) मजदूर पंचायतों ने कितने स्थान जीते ।

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) औद्योगिक विवाद कि अधिनियम, १९५७ के नियम ५२(१) के अनुसार वक्स कमेटी में मजदूरों के प्रतिनिधियों का सेवाकाल, आकस्मिक रिक्तस्थान को। भरने के लिए चुने गये. सदस्य के अतिरिक्त दो वर्ष का होता है । ५०० आर्मी बेस वर्कशाप दिल्ली छावनी की वक्स कमेटी ने ५९–६१ तक का काम किया था क्योंकि मजदूरों के प्रतिनिधियों का चुनाव पदावधि समाप्त होने के बाद मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से नहीं हो सकता था :—

(१) वर्कशाप में एक कार्मिक संघ अर्थात् मजदूर पंचायत ने अपेक्षित जानकारी समय पर न देकर प्रबन्ध के साथ सहयोग नहीं किया था ;

(२) इस संघ ने निर्वाचन क्षेत्र की संख्या बढ़ाने का माला उठाया था ; और

(३) वर्कशाप के दो कार्मिक संघों ने आदेश प्राप्त कर लिया है और इसी-लिए कमान्डैंट चुनाव नहीं करा पाये ;

(ख) जी हां, ५ सितम्बर, १९६१ को नये चुनाव हुए थे

(ग) आठ स्थान ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नोट आदि का कागज बनाने वाला कारखाना[1]

†३०८३. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : होशंगाबाद, मध्यप्रदेश में नोट आदि का कागज़ बनाने का कारखाना स्थापित करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : २८ मार्च, १९६२ को ब्रिटेन के मैसर्स पोटर्ल्स लिमिटेड से नोट आदि का कागज बनाने के कारखाने की स्थापना के लिए प्रविधिक सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे । कारखाने तथा उसके कर्मचारियों के लिए निवास बस्ती बनाने के लिए होशंगाबाद में १८४ एकड़ भूमि का अर्जन किया गया था । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ कर दिया है । इंडिया स्टोर्स डिपार्टमेंट, लन्दन को कागज बनाने की मुख्य मशीनों तथा यंत्रों के लिए इंडैन्ट दे दिए गए हैं। मैसर्स पोर्टल्स मिल में प्रशिक्षण के लिए २० प्रशिक्षार्थियों को चुना गया है और आशा है कि वह अगस्त १९६२ में ब्रिटेन चले जायेंगे ।

दिल्ली में स्कूलों की फीस

†३०८४. **श्री जेधे** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री वाडीवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री १४ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कुछ हायर सैकेन्डरी स्कल सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक ले रहे हैं

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा निर्धारित धन के अतिरिक्त कुछ स्कूल धन ले रहे हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख). का उत्तर स्वीकारात्मक है तो वह कौन से स्कूल हैं, और

(घ) इन स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या करने का विचार है ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के स्कूलों के लिये पाठ्य पुस्तकें

†३०८५. **श्री जेधे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत से सहायता प्राप्त स्कूलों को अनुमति दे दी गई है कि वह गणित, इतिहास, व्याकरण, अनुवाद और अन्य विषयों की विभिन्न पुस्तकें अपने पसंद की निर्धारित करें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन पुस्तकों पर सरकार का मूल्य नियंत्रण नहीं है तथा इन पुस्तकों के मूल्य बहुत अधिक हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Security Paper Mill.

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न स्कूलों की इच्छानुसार निर्धारित पुस्तकों के मूल्य निश्चित करने का अथवा सरकार द्वारा जो पुस्तकें स्वीकृत नहीं हैं उनके मूल्य निर्धारित करने का है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के स्कूलों में अध्यापकों को ग्रीष्मावकास के लिये वेतन

†**३०८६. श्री जेधे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी हायर सैकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों से प्राप्त ग्रीष्मावकास के वेतन दिए जाने के कई आवेदन शिक्षा निदेशालय में अभी तक ऐसे ही पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो वह कितने हैं तथा कितने चार वर्ष से अधिक की अवधि से लम्बित हैं ;

(ग) उन पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(घ) इन पर कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ;

(ङ) क्या ऐसे मामलों के लिये विशिष्ट नियम बनाये गये हैं ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (च). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कांगो में संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही पर व्यय

†३०८७. { **श्री महेश्वर नायक** :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगो में संयुक्त राष्ट्र की सैनिक कार्यवाही पर अब तक कुल किनना व्यय हुआ और उसमें भारत से कितना व्यय वहन करने को कहा गया है ; और

(ख) इस आधार पर कि अनुच्छेद १७ के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संगठन के व्यय में यह व्यय आ जाते हैं क्या संयुक्त राष्ट्र स्वयं अथवा भारतीय अनुरोध पर ऐसा कोई कदम उठा रहा है कि यह व्यय प्रत्येक सदस्य देश वहन करे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)**): (क) संयुक्त राष्ट्र द्वारा कांगो के सैनिक कार्यों पर किये गये व्यय की हमें जानकारी नहीं है। जुलाई १९६० से अक्तूबर १९६१ तक

†मूल अंग्रेजी में

की अवधि में कांगो में संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यय किए गए धन का अपना भाग ८६,३८,७४४ रुपये भारत ने दिए हैं।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के कहने पर यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय को राय के लिये भेज दिया गया है। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

कोयला उद्योग के लिये विश्व बैंक का ऋण

†३०८८. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कोयला उद्योग के विकास के लिये विश्व बैंक ने कुल कितना ऋण देना स्वीकार किया है ;

(ख) उद्योग को अब तक कितना धन मिला है तथा अब तक उसका किस प्रकार उपयोग किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार का विचार इस ऋण का कुछ भाग किसी और काम के लिये व्यय करने का भी है ; और

(घ) यदि हां, तो किस आधार पर ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) विश्व बैंक ने भारत सरकार को गैर सरकारी कोयला खानों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ३५० लाख डालर (लगभग १७ करोड़ रुपया) का ऋण स्वीकार किया है।

(ख) अब तक ऋण का कोई भाग नहीं मिला है। परन्तु लगभग २ करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस दे दिए गए हैं और इसका ऋण शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

(ग) अभी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महाराष्ट्र में भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

†३०८९. **श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र मे उमरेट, काम्पटी तथा बुखारो के क्षेत्रों में भूतत्वीय परीक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां। महाराष्ट्र के भूतत्वीय तथा खान निदेशालय ने उमरेट, काम्पटी तथा बोखारो क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जांच के ब्योरे नीचे दिये जाते हैं :—

उमरेट : इस क्षेत्र में ३०८५.४ मीटर की ड्रिलिंग के २४ बोर होल किये गये। सिद्ध हो गया है कि इस क्षेत्र में ७०० लाख टन का रक्षण है।

काम्परी : वर्तमान कार्यवहन कोयला खान के परीक्षण में कोयले के क्षेत्र के विस्तार की जांच के लिये सात बोर होल पूरे किये गये थे। इसके अतिरिक्त ६ वर्गमील के एक क्षेत्र में और कोयला मिलने का पता लगा है और अनुमान है कि ३००० लाख टन का रिजर्व है।

बोकारो : इस क्षेत्र में ७ बोर होल का छिद्रण किया गया। इस क्षेत्र में कोयले की विभिन्न मोटाई है। महाराष्ट्र सरकार का भू-विज्ञान तथा खान विभाग काम कर रहा है।

दिल्ली नगर निगम

†३०६०. **श्री शिव चरण गुप्त**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने १९६१–६२ तथा १९६२–६३ के आय-व्ययक में भारत सरकार से २.०७ करोड़ रुपये का अनुदान मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निगम के वित्तीय संकट को दूर करने के लिये इस अनुदान को देना अथवा कोई कार्यवाही करना स्वीकार कर लिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम ने १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में भारत सरकार से २.०७ करोड़ रुपये का अनुदान नीचे लिखे अनुसार मांगा है :—

	रुपये लाखों में
१९६१–६२	
प्रतिवर्ष ५० लाख रुपये का तदर्थ अनुदान जारी रखना	५०.००
१९६२–६३	
(१) प्रतिवर्ष ५० लाख रुपये का तदर्थ अनुदान जारी रखना	५०.००
(२) वेतन आयोग की सिफारिशों तथा दिल्ली को 'ए' क्लास नगर घोषित किए जाने के कारण वेतन तथा भत्ते का भुगतान .	१०७.००

१९६१–६२ के वित्तीय वर्ष के अन्त में यह पाया गया कि निगम इस वर्ष कुछ प्रत्यय बना लेगा और इसलिये निगम को कोई वित्तीय संकट नहीं आयेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनगणना विभाग के कर्मचारी

†३०९१. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० सारादशि राय :
श्री याज्ञिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर भरती किया गया है ;

(ख) उनको इस विभाग में कितने दिनों तक रखा जायेगा ; और

(ग) क्या काम समाप्त हो जाने के बाद इन व्यक्तियों को इस विभाग में रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)**) : (क) जी हां ।

(ख) समस्त भारत में स्थापित रीजनल टैबुलेशन आफिसों में १९६१ की जनगणना के गणना आंकड़े बनाने का काम खत्म हो जाने के कारण अधिकांश अस्थाई कर्मचारियों को सेवा-मुक्त कर दिया गया है । १९६१ की जनगणना से संबद्ध कार्य जब पूरा हो जायेगा तब शेष अस्थायी कर्मचारियों को भी सेवामुक्त कर दिया जायेगा ।

(ग) राज्य सराकरों तथा संघ राज्य क्षेत्रों और प्रशासनों से प्रार्थना की गई है कि रीजनल टैबुलेशन आफिस से सेवामुक्त अस्थायी कर्मचारियों को अपने यहां नियुक्त कर लें । केन्द्रीय सरकार के अधीन वैकल्पिक नियुक्ति के लिये इनको निर्धारित सेवामुक्ति प्रमाणपत्र दे दिया गया है जिससे इनको काम दिलाऊ दफ्तर आदि में छटनी किए कर्मचारियों की प्राथमिकता मिल जायेगी ।

भारत को नार्वे की सहायता

†३०९२. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने भारतीय पत्रकारों के सामने भारत को अधिक सहायता देने का पक्ष लिया है ;

(ख) इस समय भारत को नार्वे की सहायता कितनी तथा किस रूप में मिल रही है ;

(ग) क्या भारत को उनका प्रस्ताव स्वीकार है; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भारत सरकार ने समाचारपत्रों में ऐसा समाचार देखा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नार्वे ने अब तक केरल के मत्स्य पालन विभाग परियोजना के लिये ३.१९ करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। यह दान यंत्र, मशीन, प्रविधिज्ञ, छात्रवृत्ति तथा फैलोशिप के रूप में होगा।

(ग) अब तक नार्वे से सरकारी तौर पर कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें

†३०९३. **श्री म श्वर नायक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा अनुसंधान का प्रशिक्षण राष्ट्रीय परिषद् के तत्वावधान में स्थापित विशेष समिति ने सिफारिश की है कि शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें लागू कर की जना को आगे बढ़ाने के लिये विशेष तालिका नियुक्त की जाये ;

(ख) सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनको कब तक लागू किया जायेगा।

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विशेष समिति ने इतिहास, भौतिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, गणित तथा हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों को बनाने की योजनायें बनाने का निर्णय किया है। डा० ताराचंद, डा० डी० एस० कोठारी, डा० ए० सी० जोशी, डा० राम बिहारी तथा डा० नागेन्द्र से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त विषयों सम्बन्धी पुस्तकों की तालिका के सभापति बनें। तालिका द्वारा बनाई गई योजनाओं में पाठ्य पुस्तकों का लेखन, उदाहरण, समीक्षा तथा संपादन बताया जायेगा।

(ग) तालिका द्वारा संबंधित विषयों के लिये योजनायें बनाने के बाद समस्त कार्यक्रम की समय अनुसूची निश्चित होगी।

पेटेंटों तथा रायल्टियों के लिये विदेशों को भेजा गया धन

†३०९४. **श्री याज्ञिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में देश वार पेटेंटों तथा रायल्टियों के लिये कितने धन की विदेशी मुद्रा विदेशों को भेजी गई; और

(ख) विदेशी मुद्रा का वर्तमान रुख कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) एक विवरण संबद्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

रायल्टी, कापीराइट, विदेशी मशीनों के लिये दिया गया भाड़ा आदि

(रुपया लाखों में)

	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	अप्रैल, दिसम्बर १९६१
ब्रिटेन	७२	३५	५७	९२	७७
हांगकांग .	..	..	..	..	१
अमरीका .	३९	४५	५८	११८	७०
इटली	३	..	..	..	१
होलैंड	१	२	..	१७	३
स्विटजरलैंड	१	३	६	७	११
पश्चिम जर्मनी	१	..	८	९	४
फ्रान्स		..		३	४
बेल्जियम				..	२
स्वेडन				..	१
जापान	१	२	२	२	२
अन्य देश	१	५	२	३	१
जोड़ .	१,१९	९२	१,३३	२,५१	१,७७

नोटः— पेटेंटों तथा रायल्टियों के विप्रेषण के आंकड़े अलग अलग उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु व्यापार चिह्नों, कापीराइटों तथा विदेशी मशीन के लिये भाड़े आदि के आंकड़ों में शामिल कर दिए गये हैं।

(ख) सरकार विदेशी विनियोजन तथा सहयोग के प्रस्तावों की जांच तथा स्वीकृति के सम्बन्ध में सावधानी से नीति अपनाती है, जिससे पैटेंटों, रायल्टियों आदि के लिये विदेशी मुद्रा अनावश्यक रूप से विदेशों में न चली जाये।

†मूल अंग्रेजी में

वालामुखी में तल के लिये छिद्रण

†३०९५. **श्री हेमराज** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वालामुखी में छिद्रण कार्य पुनः आरंभ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख).यदि हां, तो कब तक काम आरंभ हो जाने की आशा है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). मामला विचाराधीन है तथा अब तक प्राप्त आंकड़ों का पुनरीक्षण करने के बाद तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्णय करेगा ।

कांगड़ा में सीमेंट का कारखाना

†३०९६. { **श्री हेम राज** : **श्री दलजीत सिंह** :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कांगड़ा जिले के सीमेंट कारखाने की स्थापना के लिये किस फर्म को लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यह कब तक स्थापित होगी ;

(ग) क्या इसकी मशीनों का आयात होगा ;

(घ) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कारखाने को कांगड़े से बाहर स्थापित करने का है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** :(क) से (ङ).कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। पठानकोट के निकट एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है। रेलवे के परामर्श से ठीक स्थापना स्थान पर निर्णय होगा। कारखाने की स्थापना के बारे में अन्य प्रबन्धों पर बाद में निर्णय होगा।

केन्द्रीय किरायेदार संघ

†३०९७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय किरायेदार संघ के प्रतिनिधि अभी हाल में उनसे मिले थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संघ ने मुख्यतः कौन कौन सी शिकायतें सामने रखीं ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी शिकायतों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां ।

(ख) संघ ने गृह मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया । उसमें मुख्य मुख्य शिकायतें इस प्रकार थीं :—

> दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ से किरायेदारों के वास्तविक हितों की कोई रक्षा नहीं हुई है और न ही उनकी समस्याएं दूर हुई हैं । किरायेदारों को निकालने के बारे में उपबन्धों का, खासकर वे उपबन्ध जिनमें मकान मालिक के अपने इस्तेमाल या अपने आश्रितों के इस्तेमाल के लिये जगह की जरूरत और इमारत में कुछ मरम्मत कराने के सम्बन्ध में विवेचन है, मकान मालिक बहुत अधिक दुरुपयोग कर रहे हैं ।

नये बनाये गये मकानों का स्टैंडर्ड किराया निर्धारित करने के लिये अधिनियम में जो उपबन्ध रखे गये हैं, उनसे मंझले या निम्नतर मंझले दर्जे के लोगों को उचित दर के किराये पर जगह मिलने की अपेक्षा सम्पत्ति स्वामित्व के विस्तार और केन्द्रीयभूत होने में अधिक सहायता मिली है ।

अधिनियम के उपबन्धों के परन्तुकों और निरसनों से दो दो अर्थ निकलते हैं ।

(१) किरायेदारों द्वारा किराये पर दिया जाना (२) रोका गया किराया जमा करना (३) इमारत में कुछ निर्माण कार्य आदि कराने का मकान मालिक का इरादा (४) पुनर्निर्माण के बाद किरायेदार द्वारा मकान पर फिर से कब्जे के बदले में किरायेदार को क्षतिपूर्ति की अदायगी, सम्बन्धी खंडों का मकान मालिक खुले तौर पर दुरुपयोग कर रहे हैं ।

संघ ने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है ।

(ग) और (घ). संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की छानबीन की जा रही है और उसका उत्तर संघ को यथासमय भेज दिया जायेगा ।

दिल्ली में कुछ स्मारकों का निर्माण

३०९८. श्री भक्त दर्शन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली मे अन्तिम मुगल बादशाह और सन् १८५७ के दो शहीदों, राजा नाहर सिंह और झज्झर के नवाब, के स्मारक बनाने के विचार से सहमति प्रकट की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) हाल ही में प्रधान मंत्री को अन्तिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह "ज़फ़र" तथा राजा नाहर सिंह और झझ्झर के नवाब की स्मृति में दिल्ली में उपयुक्त स्मारक स्थापित करने का एक प्रस्ताव मिला था। प्रधान मंत्री ने इन व्यक्तियों की स्मृत्ति में स्मारक बनाने के विचार से सहमत न होते हुए, यह सुझाव दिया कि राजधानी में कुछ सड़कों के नाम उनके नाम पर रखकर उन्हें कुछ मान्यता दी जाय।

(ख) प्रस्ताव तथा प्रधान मंत्री के विचार दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका को भेज दिए गए हैं।

त्रिपुरा में पटसन का व्यापार करने वाली संस्थाएं

†३०९९. **श्री बीरेनदत्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन का व्यापार करने वाली ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जो त्रिपुरा में स्थित आयकर कार्यालय को सीधे आयकर देती हैं ;

(ख) त्रिपुरा में पटसन का व्यापार करने वाली ऐसी कितनी संस्थाएं हैं, जो त्रिपुरा में आयकर विभाग के जरिये कोई आयकर नहीं देतीं ;

(ग) जो लोग आयकर कलकत्ते में देते हैं उनके आयकर का हिसाब लगाने में, आयकर पदाधिकारी नियमानुसार त्रिपुरा के आयकर पदाधिकारी से सलाह मशविरा करना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) दो।

(ख) तेरह।

(ग) और (घ). यह मामला किसी नियम द्वारा विनियमित नहीं होता। यदि कर निर्धारण करने वाला आय कर पदाधिकारी कर दाता द्वारा पेश किये गये हिसाब किताब से संतुष्ट नहीं होता तो उस मामले में दूसरे संबंधित आयकर पदाधिकारियों से परामर्श किया जाता है।

पंजलंक विरिची, तिन्नेवली में सेना प्रशिक्षण केन्द्र

†३१००. **श्री बालकृष्णन् :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछप्पोम्न्न द्वारा चालू किये गये प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन की याददाशत कायम

---

†मूल अंग्रेजी में

रखने के लिए तिरुनेवेल्ली जिले के पंचतंक विरिची गांव में एक सेना प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह केन्द्र चालू करने के लिए कोई प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रूरकेला बस्ती के क्वार्टर

†३१०१. **श्री मुन्जनी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला बस्ती में कितने क्वार्टर हैं और कितने क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें अभी हाल में दरारें पैदा हुई हैं ; और

(ख) उन्हें फिर से कब बनाने का सरकार का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). अब तक बनाये गये ८८७२ क्वार्टरों में से ४१३ क्वार्टरों में जमीन की हालत के कारण दरारें पड़ गयीं हैं ? ये दरारें ऐसी नहीं हैं कि उन इमारतों को फिरसे बनाने की जरूरत हो। जब जब दरारें का पता लगा, जरूरी मरम्मत किये गये।

सेना इंजीनियरिंग सेवा, दिल्ली क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन क्रम

†३१०२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना इंजीनियरिंग सेवा, दिल्ली क्षेत्र, में कुछ मामले ऐसे हैं जहां पहले वेतन आयोग की रिफारिशों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनक्रम अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए ऐसे प्रभावित कर्मचारियों का वेतन किस प्रकार निर्धारित करने और उनका वेतन निर्धारित न किये जाने के कारण कर्मचारियों से वसूली बंद करने का मंत्रालय का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेना इंजीनियरिंग सेवा, दिल्ली क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन क्रम

†३१०३. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना इंजीनियरिंग सेवा, दिल्ली क्षेत्र के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के संबंध में पुनरीक्षित क्रम में वेतन अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है और अभी तक उन्हें बकाया रकमें नहीं दी गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें शीघ्रता करने के लिए मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

†३१०४. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु ५५ वर्ष से ५८ वर्ष तक बढ़ाने के संबंध में इस बीच कोई अंतिम निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित विभागों को आदेश जारी किये जा चुके हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). सेवानिवृत्ति की आयु ५८ वर्ष तक बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है।

इस्पात परियोजनाओं में कमी

†३१०५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोजन आयोग ने सरकारी-क्षेत्र की विभिन्न इस्पात परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में कमी दूर करने के लिए अभी हाल में किन्हीं उपायों की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनपर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं के काम और प्रगति के बारे में प्रायः हर महीने आयोजन आयोग के साथ चर्चा की गयी है। इन बैठकों में दृष्टिकोण जानकारी और सुझावों का आदान-प्रदान किया जाता है और जहां आवश्यक हो, उचित कार्यवाही की जाती है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कूच बिहार में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†३१०६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने कूच बिहार में अनेक पाकिस्तानी लोगों को उनके पास मान्य यात्रा प्रलेख न होने के कारण गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और उनमें से कितनों को सजा दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

अगरतल्ला, त्रिपुरा में रात्रि कालेज

†३१०७. { **श्री बीरेन दत्त :**
श्री दशरथ देब :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतल्ला, त्रिपुरा में एक रात्रि कालेज स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई अभ्यावेदन पहुंचा है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कालेज चालू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रशासन इस प्रस्ताव की छानबीन कर रहा है।

खंभात में तेल

३१०८. { **श्री ब्रह्मजीत सिंह :**
श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खंभात में तेल की खोज में अभी तक कितना धन खर्च हुआ ;

(ख) अभी तक खंभात में कितना तेल निकाला गया ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उक्त खोज का कार्य कौन से देश के इन्जीनियर कर रहे हैं ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० डे० मालवीय) : (क) खंभात में तेल की खोज में खर्च हुए धन का अभी तक जुदा रूप में हिसाब नहीं लगाया गया है।

(ख) कुओं के परीक्षण के दौरान में अब तक खंभात में लगभग ३०० टन के तेल का उत्पादन हुआ है।

(ग) भारत, रूस और रुमानिया।

अफीम का निर्यात

†३१०१. { **श्री बड़े :**
श्री ब० जो० सिंह :
श्री कच्छवैया : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों को अफीम का निर्यात किया जाता है ;

(ख) विदेशों को वह किस दर से बेची जाती है ;

(ग) क्या यह सच है कि किसानों से खरीद की सरकारी दर और विदशियों के हाथ बिक्री की दर में बहुत बड़ा अन्तर है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) अफीम निम्नलिखित देशों को निर्यात की जाती है :—

(१) अमेरिका
(२) ब्रिटेन
(३) रूस
(४) फ्रान्स
(५) पश्चिमी जर्मनी
(६) जापान
(७) इटली
(८) बेल्जियम
(९) अर्जेन्टाइना
(१०) पाकिस्तान और
(११) श्री लंका

(ख) अफीम की तैयार डलों (लगभग ९० डिगरी कनसिस्टेन्स) का वर्तमान मलभत निर्यात मूल्य कलकत्ते में समुद्र तट पर्यन्त निःशुल्क, प्रतिकिलो मार्फीन के फी यूनिट के लिए १.५५ डालर या ७.३६ रुपये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ) : अफीम लगभग ७० डिगरी कनसिस्टेन्स पर किसानों से खरीदी जाती है और ९० डिगरी कनसिस्टेन्स तक बढ़ाने के बाद वह विदेशी खरीददारों के हाथ बेच दी जाती है। इसके अलावा किसानों को दिया गया मूल्य मार्फीन तत्व के अनुसार नहीं होता और इसलिए दोनों दरों की ठीक ठीक तुलना नहीं की जा सकती फिर, विदेशी खरीददारों से लिये गये मूल्य में कारखाने स खरीद की जगह तक लाने लेजाने का खर्च, तैयार करने और ब्याज का खर्च, कारखाने से कलकत्ते तक लाने ले जाने और बंडल आदि बाधने का खर्च, विनिमय तथा वायदे का खर्च और इसी तरह के दूसरे खर्च जिन मे नियंत्रण व्यय तथा मुनाफा भी होता हैं, शामिल रहते हैं। यहां यह बताना भी सुसंगत होगा कि १९५५ से १९६२ के दौरान किसानों को दिया गया मूल्य क्रमशः ३३ रुपये से ४१ रुपये फी सेर तक अर्थात् औसतन् २४ प्रतिशत बढ़ाया गया हैं जब कि उसी अवधि में निर्यात मूल्य उतना हो नहीं बढ़ाया जा सका और वास्तव में अभी मूल्य नीचे की ओर गिरता जा रहा हैं ।

रांची, बिहार में छोटी मोटरगाड़ी परियोजना

†३११०. **श्री प्र० चं० बरुआ:**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार सरकार ने रांची के पास छोटी मोटरगाड़िया तैयार करने की एक योजना पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निश्चय हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). अन्य कई राज्यों की तरह बिहार सरकार ने भी उस राज्य में छोटी मोटर गाड़ियों के कारखाने के लिए एक जगह केन्द्रीय सरकार से मांगी हैं । जैसा कि १ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०१ के उत्तर में बताया गया हैं, सरकार ने सरकारी क्षेत्र में छोटी मोटर गाड़ी तैयार करने के प्रश्न के संबंध में अभी अंतिम निश्चय नहीं किया हैं ।

अंग्रेजी भाषा का स्थान सम्बन्धी विधेयक

†३१११. **श्री अ० ब० राघवन् :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी भाषा का स्थान पूर्ववत् बनाये रखने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ; और

(ख) यदि हां, तो वह विधेयक कब प्रस्तुत किया जायगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). १९६५ के बाद अंग्रेजी के निरन्तर प्रयोग के लिए संविधान के अनुच्छेद ३४३(३) के अधीन एक विधेयक निकट भविष्य में प्रस्तुत करने का सरकार का विचार हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्तीचक (भागलपुर) में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

†३११२. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर में अन्तरीचक नामक स्थान पर खुदाई से कोई उल्लेखनीय वस्तुएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किस काल की है ; और

(ग) खुदाई करने वाले पुरातत्वशास्त्रियों के तत्कालीन निष्कर्ष क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) पाल और उस के बाद के काल ।

(ग) "इंडियन आर्क्यालोजी —ए रिव्यू (१९६०-६१)" के पृष्ठ ३-४ में काम की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है ।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

३११३. **श्री युद्धवीर सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में जिला सैनिक, नाविक और वायु बोर्डों के द्वारा अवकाश प्राप्त सैनिकों की भलाई के लिये कितना रूपया दिया गया ; और

(ख) इस अवधि में केन्द्र द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को किस प्रकार की सहायता दी गई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्य विधिजीवी परिषदें

३११४ **श्री युद्धवीर सिंह चौधरी** : क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिवक्ता एक्ट, १९६१ के अधीन किन राज्यों में राज्य विधिजीवी परिषदें बन गई है, और

(ख) विधि शिक्षण और सार देश में विधि व्यवसाय में एकरूपता लाने के बार में जो इस ऐक्ट का मुख्य उद्देश्य है अब तक क्या प्रगति हुई हैं ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन सब राज्य विधिज्ञ परिषदें बन गयी हैं।

(ख) यह काम अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ की धारा ७ के अधीन गठित की जाने वाली अखिल भारतीय विधिज्ञ परिषद् का हैं जो कि अभी नहीं बनी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेना में मानसिक रोग

†३११५. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के कितने लोग सेवा में रहते हुए प्रति वर्ष, पिछले दस वर्षों में, मानसिक रोगों से पीड़ित थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया गया था और उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी ;

(ग) क्या सरकार की ओर से मानसिक रोगों के अस्पताल में उनकी चिकित्सा की कोई व्यवस्था है और ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसे रोगियों के लिए एक अस्पताल खोलने का सरकार का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** आवश्यक जानकारी नीचे दी गयी हैं :—

वर्ष	रोगियों की संख्या
१९५१	६८३
१९५२	७९३
१९५३	६०२
१९५४	६१७
१९५५	५००
१९५६	४८०
१९५७	५४९
१९५८	७४४
१९५९	६६१
१९६०	६२०

(ख) उन्हें उनके परिवारों को सौंप देने से पहले सेना अस्पताल या असैनिक मानसिक रोग अस्पताल में उनका इलाज किया जाता है । सेना के मानसिक रोगियों के संबंध में वर्तमान नीति इस प्रकार है :—

(१) यदि मानसिक रोग विज्ञान के विशेषज्ञ की राय में रोगी उपलब्ध चिकित्सा द्वारा पूरी तरह अच्छे हो गये या उसके रोग काफी हद तक कम हो जाने की संभावना हो तो उन्हें चिकित्सा के लिए अस्पताल में अधिक से अधिक छः महीने की अवधि तक रखा जा सकता है । इलाज पूरा हो जाने के बाद उन्हें अपंग करार सेवा से मुक्त कर दिया जाता है और निम्नलिखित रूप में आगे कार्यवाही की जाती है :—

(१) यदि वे नुकसानदेह न हों, तो उन्हें अपने परिवारों को सौंप दिया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

(२) जिन रोगियों को असैनिक मानसिक रोग अस्पतालों में भरती करना जरूरी होता है उन्हें अपने मकानों के निकटतम अस्पतालों में भेज दिया जाता है ।

(३) मानसिक रोग से पीड़ित उन कर्मचारियों को जिन्हें मानसिक रोग अस्पताल में चिकित्सा नहीं दी जा सकती, छः महीने की बीमारी छुट्टी दी जा सकती है जो वेतन और भत्तों सहित ९ महीने की अधिकतम सीमा तक बढ़ादी जा सकती है ।

(२) जिन मामलों में मानसिक रोग गंभीर न हों और थोड़ी अवधि के हों और वे पूरी तरह दूर गये हों उन में कर्मचारियों को वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ और मेडिकल बोर्ड की राय पर सेवा में कायम रखा जा सकता है ।

(३) न्यूरोसिस के जो रोगी पूरी तरह अच्छे हो गये हों उन्हें सेना से मुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती ।

(४) अन्य सभी प्रकार के मानसिक रोगियों को यथा शीघ्र सेवा से मुक्त कर दिया जाता है ।

(ग) स्वास्थ्य सेवा के लिए फिलहाल कोई अलग मानसिक रोग अस्पताल नहीं हैं लेकिन प्रत्येक बड़े मिलिटरी होस्पिटल में मानसिक रोग विज्ञान शाखा होती हैं जहां मानसिक रोगों की चिकित्सा की जाती है और उसके बाद ही उन्हें अपने परिवारों या असैनिक मानसिक रोग अस्पतालों में भेजा जाता है :

(घ) जी नहीं ।

सेना इंजीनिअरिंग सेवा के पेन्शन के मामले

†३११६. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना इंजीनिअरिंग सेवा के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि, उपदान (ग्रेचुइटी) और सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) की अदायगी के कितने मामले, राज्यवार, ३० अप्रैल, १९६२ तक बगैर निबटाये पड़े हैं ;

(ख) वे मामले कितने सालों से पड़े हुए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ये कर्मचारी तीन से चार या दो से तीन साल पहले ही मुक्त कर दिये गये थे ;

(घ) उन के मामलों का अंतिम निर्णय करने में देर किन कारणों से हो रही है ; और

(ङ) उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है और उनका अंतिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी नीचे से इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वलन मशीनों का आयात

†३११७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(१) पिछले दस वर्षों में विभिन्न री-रोलर्स को कितने कितने मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किये गये और प्रत्येक री रोलर का क्या नाम है ;

(२) री-रोलिंग मिल के साजसामान का मशीनों के आयात के लिए उन्हें कितने मूल्य के आयात लाइसेंस मंजूर किये गये ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बिलट्स का आवंटन

†३११८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५२ से १९६१ तक री-रोलरों को कितना बिलट्स या स्क्रैप दिया गया, प्रत्येक री रोलर का नाम क्या है और उसे १९५२ से १९६१ के दौरान हर साल कितना टन दिया गया ; और

(ख) प्रत्येक री-रोलर के मामले में, १९५९ के अन्त तक कतरन (बिलेट) या रद्दी लोहा (स्क्रैप) देने के लिए सरकार द्वारा मान्य की गयी क्षमता और १९६१ के लिए स्क्रैप और बिलट्स देने के लिए सरकार द्वारा मान्य की गयी क्षमता कितनी थी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं :—

विवरण—क—बिलट्स से काम करने वाले रीरोलरों के सम्बन्ध में, जिसमें यह बताया गया है कि १९४६ में प्रत्येक की कितनी क्षमता थी, १९६०-६१ में उनके काम के आधार पर उन्हें दिया जाने वाले बिलट्स का परिमाण और १९५७ से १९६१ के दौरान उन्हें दिये गये कतरन का परिमाण । उससे पहले के वर्षों में कितना कितना कतरन दिया गया इसके आँकड़े अभी तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण—ख—१९५२ से अप्रैल, १९६२ तक स्क्रैप री रोलर्स को तिवरण के लिए उपलब्ध किया गया कुल रद्दी लोहा / प्रत्येक री रोलर को दिये गये वाले रद्दी लोहे के परिमाण के बारे में आँकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण—ग—स्क्रैप की रोलर्स की सूची में जिसमें १९४६ में निर्धारित उनकी क्षमता भी बतायी गयी है । इसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये एल टी १९४/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

काश्मीर में खुदाई

†३११९. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री बोहोर :
श्रीमती शशांक मंजरी : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में अभी हाल की खुदाई में प्राग-ऐतिहासिक मेगालिथ पाये गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह खुदाई कहाँ करायी गयी थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने खुरजाहोम नामक सुप्रसिद्ध स्थल पर खुदाई आरम्भ की है और एक रिपोर्ट 'इंडियन आर्क्यालोजी—एरिव्यू : १९६०–६१' में प्रकाशित की गयी है। बताया जाता है कि राज्य पुरातत्व विभाग को काश्मीर घाटी में खुरहोम नामक स्थान पर मेगालिथ प्राप्त हुए हैं।

खनन पट्टों के लिये रायल्टी

†३१२०. **श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन पट्टों पर किस दर से रायल्टी दी जाती है ;

(ख) भारत में विदेशी पटेंटों के उपयोग के लिए रायल्टी की दर क्या है ;

(ग) १९६१–६२ में रायल्टी के रूप में कुल कितनी आय हुई ; और

(घ) रायल्टी की दरें किस आधार पर निर्धारित की गयी हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (घ). विभिन्न खनिजों पर रायल्टी की दरें खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६७) की अनुसूची २ में दी हुई हैं। ये दरें एक ही तरह से सभी पट्टों पर लागू होती हैं।

(ख) यह खनन पट्टों के सम्बन्ध में नहीं है। वह जानकारी इकट्ठी की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन-क्रम

३१२१. **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों में हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये पृथक-पृथक मंत्रालयों में कितने प्रकार के पद हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन विभिन्न पदों के मंत्रालय-वार वेतन-मान क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न मंत्रालयों में एक ही पद के वेतन-मान एक समान नहीं हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो किस किस वेतनमान में असमानता है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और कब तक इस पर अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य- मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन क्रम

३१२२. श्री रामेश्वरानन्द : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना तथा अन्य सरकारी स्वायत्त-शासी निकायों के अन्तर्गत कार्य करने वाले हिन्दी अनुवादकों, अनुसंधाना सहायकों, सहायक सम्पादकों, उप सम्पादकों, सम्पादकों आदि के वेतन मानों में कुछ असमानता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक ही पद के कर्मचारियों को लगभग हर कार्यालय में एक ही प्रकार का कार्य करना होता है ;

(घ) यदि हां, तो असमानता के क्या कारण है ; और

(ङ) सरकार इस पक्षपातपूर्ण असमानता को दूर करने के सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में (राज्य मंत्री श्री दातार) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

निर्यात प्रमाणपत्र

†**३१२३. श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित स्थानों पर विमान के द्वारा जाने वाले भारतीय नागरिकों को अपने साथ ले जाई जाने वाली घड़ियों, आभूषणों और व्यक्तिगत उपयोग की अन्य ऐसी वस्तुओं के लिये भारत के सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निःशुल्क निर्यात प्रमाणपत्र दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो किन २ हवाई अड्डों पर ऐसे निर्यात प्रमाणपत्र जारी करने के लिये शुल्क लिया जाता है और इस सम्बन्ध में समान विनियम न होने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). मद्रास को छोड़कर, जहाँ, गबन के द्वारा प्रति प्रमाणपत्र १ रुपया का शुल्क लिया जाता रहा है निर्यात प्रमाणपत्र भारत में

†मूल अंग्रेजी में

सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निःशुल्क जारी किये जाते हैं। मद्रास में भी अब ये प्रमाणपत्र निःशुल्क दिये जाते हैं।

कोयले के दाम

†३१२४. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत खान श्रमिक संघ के महामंत्री ने उनको एक तार भेजा है जिसमें उन से कोयले के दामों में वृद्धि होने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाने की प्रार्थना की गई है ;

(ख) क्या सरकार उस प्रार्थना पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). जैसा कि संघ ने प्रस्ताव किया है उस तरह की कोई त्रिपक्षीय बैठक बुलाने का विचार नहीं है। तथापि कोयले के दामों में वृद्धि का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और निर्णय करने में सरकार उक्त संघ के विचारों को निस्सन्देह ध्यान में रखेगी।

नंगल उर्वरक फैक्टरी

†३१२५. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल उर्वरक फैक्टरी में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ; और

(ख) उससे कितनी आय होती है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) लगभग २२.६३ करोड़ रुपये।

(ख) नंगल उर्वरक फैक्टरी उर्वरक निगम का एकांश है। निगम की अंश पूंजी में ३१-३-६१ को कुल पूंजी ३६.२७ करोड़ रुपये की थी। आज कुल पूंजी ३६.६२ करोड़ रुपये है। निगम ने वर्ष १९६०-६१ के लिये ३६.२७ करोड़ रुपये पर १ प्रतिशत का शलाभांश घोषित किया है। वर्ष १९६०-६१ के लिये निगम का संतुलन पत्र तथा लाभ-एवं हानि लेखा अभी अन्तिम रूप में तैयार नहीं हुए हैं।

भारी परिवहन गाड़ियों का निर्माण

†३१२६. **श्री मान सिंह पु० पटेल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में भारी परिवहन गाड़ियों का अनुमानित वार्षिक निर्माण कितना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या प्रत्येक फैक्टरी इसके निर्माण का अपना नियत अभ्यंश पूरा कर रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है ;

(घ) क्या यह सही है कि टाटा–मरसीडज–बैंज गाड़ियों का संभरण कम है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) तीसरी योजना के अन्त तक वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण का लक्ष्य प्रतिवर्ष ६०,००० नियत किया गया है। केवल भारी गाड़ियों के कोई पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। तथापि इस प्रकार की गाड़ी के लिये लाइसेंस प्राप्त एक मात्र फर्म से आशा है कि वह तीसरी योजना के अन्त तक प्रति वर्ष ५४,०० गाड़ियों का निर्माण करेगी।

(ख) भारी काम की गाड़ियों के निर्माण के लिये लाइसेंस प्राप्त फर्म सरकार द्वारा उसके लिये अनुमोदित निर्माण कार्यक्रम को पूरा कर रही है।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) जी हाँ।

(ङ) हाल ही में निर्माता फर्म को, टाटा–मरसीडज-बैंज गाड़ियों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिये अपनी निर्माण क्षमता बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है।

दिल्ली के स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन-क्रम

३१२७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रशिक्षित अध्यापकों को भले ही वह जूनियर हाई स्कूलों या हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्य करते हों समान रूप मे वेतन देने का निश्चय किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में एक आदेश भी २१–२–५६ को दिल्ली राज्य के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर की ओर से प्रकाशित हुआ था ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उस आधार पर सबको यह वेतन प्राप्त हो रहा है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्यों और उस निर्णय में फिर से परिवर्तन की क्या आवश्यकता अनुभव हुई ; और

(ङ) इस प्रकार के वे अध्यापक जो जूनियर हाई स्कूल में काम करते हैं और जिनके वेतन पर इसका प्रभाव पड़ता है कुल मिलाकर उनकी संख्या कितना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु

३१२८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाई कोर्ट के जजों की सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट) की

†मूल अंग्रेजी में

आयु बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार कोई विधेयक प्रस्तुत करने वाली है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह विधेयक कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ; और

(ग) विधेयक के प्रस्तुत होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) हाँ ।

(ख) और (ग). इस प्रस्ताव के लिये संविधान में संशोधन करना होगा । अतः इस पर यथा-समय अन्य संशोधनों के साथ कार्यवाही की जायेगी ।

उड़ीसा में सरकारी खानें

†३१२९. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में रेलवे लाइन तक पहूंचाने में सरकारी खानों में लोह अयस्क की उत्पादन लागत क्या है ;

(ख) इन खानों से निकाले गये लोहे अयस्क में प्रति टन कितने प्रतिशत चूरा होता है ;

(ग) उड़ीसा में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली खानों में अब तक चूरे का कुल स्टाक कितना है ;

(घ) क्या इन खानों का उपयोग करने के संबंध मे सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस को उपयोग में लाने पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

खान और ईंधन मंत्रालय के उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आय कर के मामलें

३१३०. **श्री बेरवा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बूंदी (राजस्थान) में सन् १९६०–६१ में आयकर अधिकारी ने कितने फैसले दिये और कितनी अपीलें दायर की गईं ; और

(ख) हमारी सरकार को १९६०–६१ मे आयकर से उस क्षेत्र में कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सूचना नीचे दी जाती है :

निबटाये गये मामले	३१८
दायर की गयीं अपीलें	४१
मिली हुई रकमें	७९,००० रुपये

*मूल अंग्रेजी में

कोटा में मशीनी औजारों का कारखाना

३१३१ श्री बेरवा : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या कोटा (राजस्थान) में मशीनी औजारों का कारखाना जो रूसी **सहयोग से** खुल रहा था वह अब उदयपुर में खोला जा रहा है ; और

(ख) यदि हीं, तो यह कारखाना कब तक चालू हो जायेगा ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) रूवी **सहयोग** से कोटा (राजस्थान) में मशीनी औजारों का कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। **अतः** इस कारखाने का उदयपुर को स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

हरिजन लड़कियों के होस्टल

†३१३२. **श्री नि० रं० नास्कर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या यह सही है कि तीसरी योजना अवधि में बहुत सी हरीजन लड़कियों **के** होस्टलों का निर्माण किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों मे उनका निर्माण किया जाएगा ; और

(ग) उक्त काम के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) से (ग). सूचना राज्य सरकारों से मांगी गई है। सूचना प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में खेलों के लिये अनुदान

†३१३३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **खेलों** को प्रोत्साहन देने के लिये पंजाब सरकार के लिये वर्ष १९६२-६३ के लिये कुल **कितनी** राशि मंजूर की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला०** श्रीमाली) : १९६२-६३ में अभी तक कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया।

पंजाबी भाषा के विकास के लिय केन्द्रीय सहायता

†३१३४. **श्री दलजीत सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि में वर्षवार पंजाबी भाषा के विकास के लिये **पंजाब** सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) १९६२-६३ के लिये कितना अनुदान मंजूर किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) १९५९-६० में १४००० रुपये और १९६०-६१ में ३५२९३ रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६२–६३ की कुल आवश्यकता की सूचना अभी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा रोजगार दफ्तरों में पंजीयन

†३१३५. **श्री ज० बं० सिं० बिष्ट :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों या सरकारी उपक्रमों में उत्तम पद. के लिये रोजगार दफ्तरों में अपन आप को पंजीबद्ध करवाने की अनुमति देने का फैसला कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो गैर-तकनीकी पदों वाले स्थायी कर्मचारियों को यह सुविधा न प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां। अनुसूचित जाति एवं आदिम जातियों के स्थायी कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उच्च पदों के लिये अपने आप को रोजगार दफ्तरों में पंजीबद्ध करवाने की अनुमति दी गई है जिनके लिये इन के पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं हों। जारी किये गये आदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **(देखिय परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ३१)**

(ख) उपरोक्त वर्णित कर्मचारियों के अतिरिक्त स्थायी कर्मचारी अपने आप को उच्च पदों के लिये रोजगार दफ्तरों में पंजीबद्ध नहीं करवा सकते, क्योंकि रोजगार संबंधी सहायता का क्षेत्र बढ़ाना वांछनीय नहीं समझा जाता, क्योंकि जो लोग ठीक पदों पर लगे हुए हैं, वे रोजगार दफ्तरों के रजिस्टरों में रोजगार ढूंढने वालों की संख्या न बढ़ाएं जिसका अन्य लोगों पर बुरा प्रभाव पड़े जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। दूसरे जो लोग स्थायी तौर पर सरकारी सेवा में पहले से हैं, उन को अपनी उन्नति के अवसर अपने ही विभागों में या अन्य भरे जाने वाले पदों के लिये प्रार्थना देकर अर्थात जो सं०लो०से० आयोग या अन्य किसी प्राधिकार के द्वारा विज्ञापन के द्वारा भरे जाते हैं। ९ मई १९६० को आदेश जारी किये गये थे जिन में सरकारी कर्मचारियों द्वारा अन्यत्र रोजगार के लिये अर्जियां भेजने के बारे में नियमों को ढीला किया गया था और यह समझा जाता है कि वे आदेश स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं।

सेक्शन अफसरों के वेतन

†३१३७. **श्री बाल्मीकि :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ मार्च १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सैक्शन अफसर को उन के लिये निर्धारित संशोधित वेतन मान में सातवें वर्ष में वेतन में पर्याप्त वृद्धि का उपबन्ध करने के संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में मकान निर्माण सहकारी संस्थायें

†३१३८. { **श्री अब्दुल गनी गोनी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विधि मकान निर्माण सहकारी संस्थाओं को आवंटित भूमि का स्थान क्या है ;

(ख) क्या भूमि उन संस्थाओं को दे दी गई है ;

(ग) यदि नहीं तो विलंब के कारण क्या हैं ;

(घ) उन संस्थाओं को आवंटित की गई भूमि के लिये उन संस्थाओं से क्या दाम लिये गये हैं या लेने का विचार किया गया है ;

(ङ) अभिग्रहण से पूर्व इन संस्थाओं द्वारा मूलतः खरीदने के दामों और उनको जिन दामों पर भूमि आवंटित की गई है, उन में क्या अन्तर है ;

(च) अन्तर के कारण क्या हैं ;

( ) क्या वही भूमि जो इन संस्थाओं के पास थी, उन को आवंटित नहीं की गई है ; और

(ज) यदि हां इसका क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). १०५५ एकड़ अविकसित भूमि १५ संस्थाओं को विकास के लिये पेश की गई है। इन संस्थाओं के नाम, पेश की गई भूमि का आकार, और इसका संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]**

१९९ एकड़ भमि अन्य २९ संस्थाओं को आवन्टित करने का भी फैसला किया जा चुका है किन्तु यह सरकार द्वारा विकास किये जाने के पश्चात ही किया जाएगा। क्योंकि प्रत्येक का क्षेत्र इतना कम है कि प्रत्येक संस्था काम को संतोषजनक ढंग से कर नहीं सकेगी, अतः विभिन्न स्थानों पर बड़े२ खण्डों में भूमि का विकास करके संस्थाओं को भूभाग आवंटित करने का विचार है। उन भूमियों के लिये अधिग्रहण कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।

इन संस्थाओं को भूमि पेश करने में कोई विलंब नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर अधिहण, विकास और भमि के निपटारे की योजना मई ६१ में मंजूर की गई थी और उस के पश्चात् शीघ्रतापूर्वक अधिग्रहण कार्रवाई पूरी की गई और अविकसित भूमि अनुबंध में उल्लिखित १५ संस्थाओं को पेश की गई। इन संस्थाओं को प्रीमियम की राशि जमा करने तथा आवंटन की शर्तों की स्वीकृति की सूचना देने के लिये तीन महीने का समय दिया गया। चार (क्रमांक १, २, ४ और ७ अनुबंध में से) संस्थाओं ने आवंटन की शर्तें स्वीकार करके अपेक्षित प्रीमियम राशि भी जमा कर दी है। अनुबन्ध की क्रमांक ७ की संस्था ने सब औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और उसे भमि पर दाखिल होने की अनुज्ञा दी जा चुकी है। अन्य तीन संस्थाएं (क्रमांक १, २ और ४) को भी उनको आवंटन के लिये प्रस्तावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई है और इस महीने के अन्त तक औपचारिक अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण में वर्णित शेष संस्थाओं में से एक (क्रमांक १०) को छोड़ कर सब ने आवंटन की शर्तें स्वीकार कर ली हैं। तथापि उन्होंने अभी तक अपेक्षित धन जमा नहीं किया। जब वे प्रीमियम की राशि जमा कर देंगी तभी उनको भूमि पर प्रविष्ट होने की अनुज्ञा जारी की जाएगी। (घ) और (ङ). यह बताना संभव नहीं है कि ३४००० एकड़ की सामान्य अधिसूचना से पहले जिन संस्थाओं के पास भूमि थी, वह उन्होंने किन दामों पर खरीदी थी। खरीद लंबे समय तक होती रही और कुछ मामलों में खरीद लोगों ने की और तब इकट्ठी करके संस्था बना ली गई।

(घ) और (ङ) सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम १८९४ के उपबंधों के अनुसार भूमि अधिग्रहण कर रही है और इसके उपबंधों के अनुसार प्रतिकर दे रही है। संस्थाओं से लिये जाने वाले प्रीमियम की राशि श्री प्र० गं० देव द्वारा नियम १९७ के अन्तर्गत दी गई सूचना के उत्तर में २३ मार्च १९६१ को लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में वर्णित सिद्धान्तों के अनुसार है।

(च) कुछ अन्तर होना अनिवार्य है क्योंकि संस्थाओं को वही भूमि नहीं दी जा रही है और कुछ मामलों में भूमि की पेशकश न केवल उन के द्वारा खरीदी गई भूमि के बदले में की गई है अपितु उन के लिये सामान्य अधिसूचना (१३-११-५९) से पूर्व अधिसूचित भूमि का ध्यान करके दी गई है।

(छ) और (ज). वही भूमि आवंटित करना संभव नहीं था क्योंकि भूमि मंडलीय विकास योजनाओं/ले आउट प्लानों और संस्थाओं को पेश किये गये इकट्ठे क्षेत्र के अनुसार देनी थी ताकि विकास कार्य में सुभीता हो।

अनुसूचित जाति के अपर डिवीजन क्लर्क

†३१३९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों में अनुसूचित जाति के अपर डिवीजन क्लर्कों की संख्या कितनी है, जिन्होंने तीन साल की सेवा पूरी की है;

(ख) क्या इस ग्रेड में उनका पुष्टीकरण हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और उनके कब स्थायी होने की संभावना है; और

(घ) क्या वे आरक्षित पदों पर स्थायी हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क). से (घ). उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति के १०३ अपर डिवीजन क्लर्क हैं—जिनमें २८ स्थायी हैं—मंत्रालयों/दफ्तरों में जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में आते हैं जिन्होंने इस ग्रेड में तीन साल की सेवा पूरी करली है। शेष ७५ व्यक्तियों के बारे में उनकी बारी आने पर स्थायी बनाने के लिये विचार किया जाएगा। ये सब क्लर्क लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर पहले से स्थायी हैं और अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्ति पदोन्नति के द्वारा हुई है। अतः अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के आरक्षण का सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

असिस्टेंटों के ग्रेड के लिये विभागीय परीक्षा

†३१४०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि असिस्टेंटों की ग्रेड के एक विभागीय परीक्षा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कब परीक्षा होने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). इस समय असिस्टेंटों के ग्रेड के लिये कोई विभागीय परीक्षा करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पहाड़ प्रति कर भत्ता

†३१४१. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के सब सरकारी कर्मचारियों को पहाड़ प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जाता ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) कितने सरकारी कर्मचारियों को पहाड़ प्रतिकर भत्ता मिलता है और किस दर पर ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हाँ।

(ख) कई बातों को, अर्थात् निर्वहन की ऊंची लागत, किसी क्षेत्र की दूरी, संचार साधनों तथा परिवहन सुविधाओं का अभाव तथा समुद्रतल से ऊंचाई आदि को ध्यान में रखने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये प्रतिकर भत्ता मंजूर किया गया है। अन्य क्षेत्रों के लिये कोई पत्र मंजूर नहीं किया गया, जहाँ ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में तैनात विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये प्रतिकर भत्ते की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। ऐसे क्षेत्रों में तैनात सब कर्मचारियों को भत्ता मिलता है। **[देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३ :]**

जवानों की वार्षिक वेतन वृद्धि

†३१४३. { **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वारियर : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २.५० रुपये की पंचवर्षीय वृद्धि की वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर जवानों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या वर्तमान वृद्धि दर को बढ़ाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ;

(ग) क्या अन्य पदों और नान-कमीशंड अफसरों के सम्बन्ध में वेतन में कोई शोधन किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो किस वर्ष में ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) और (घ). अन्य पदों और नान-कमीशंड अफसरों के वेतन दरों में सरकारी आदेशों के अन्तर्गत शोधन और वृद्धि की गई थी, जो सितम्बर, १९६० में जारी किये गये थे और जो १ जुलाई, १९५९ से भूतलक्षी प्रभाव वाले थे ।

प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

३१४४. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के कुछ विभागों का विघटन करके उन्हें अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण वैज्ञानिकों में बड़ा असंतोष फैल रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

केरल में विधि स्नातकों का पंजीयन

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७. श्री कोया :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के विधि स्नातकों की पंजीयन सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है, जिन्होंने सितम्बर, की परीक्षा पास की थी ;

(ख) क्या यह सही है कि केरल विश्वविद्यालय ने परिणाम बहुत देर से प्रकाशित किये; और

(ग) क्या किसी अन्य राज्य के विधि स्नातकों को परिणाम के देर से प्रकाशित होने के कारण पंजीयन से इन्कार किया गया ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बे० मिश्र) :** (क) जी हाँ ।

(ख) केरल विश्वविद्यालय के विधि स्नातक परीक्षा के परिणाम ६–२–६१ को घोषित किये गये थे ।

(ग) बंबई और नागपुर विश्वविद्यालयों के विधि स्नातकों को ओर से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी अन्तिम एल० एल० बी परीक्षा के परिणाम १२ दिसम्बर, १९६१ और २० दिसम्बर, १९६१ को क्रमशः घोषित किये गये थे कि उनको अपने आपको एडवोकेट के नाते पंजीयन कराने में कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

रेलवे फाटक पर रेलगाड़ी और बस में हुई टक्कर

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे ११-६०-६२ को फुलका और साँभर झील के बीच रेल-गाड़ी और बस की टक्कर की दुर्घटना के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है यह निस्संदेह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है और हाल का है किन्तु चूंकि रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में दो घंटे की चर्चा का समय सोमवार को निश्चित किया जा चुका है, इस लिये मैं स्थगन प्रस्ताव को अनियमित ठहराता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

उत्तरी लद्दाख के चीनीयों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य-क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तरबन्द गाड़ियों का कथित आवागमन

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : मैं **प्रतिरक्षा** मंत्री का ध्यान उत्तरी लद्दाख के चीन द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य-क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तरबन्द गाड़ियों के कथित आवागमन और अधिकृत अक्साई चीन क्षेत्र के दक्षिण सिंकियांग और किज़िल जिलगा में चीनी सैनिक गाड़ियों के लम्बे काफिलों के देखे जाने की ओर दिलाता हूं ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : सरकार को उत्तरी लद्दाख के, जिसके कुछ भाग चीनियों के कब्जे में हैं, भारतीय राज्य-क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तार-बन्द गाड़ियों के आवागमन सम्बन्धी समाचारपत्रों में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है । परन्तु किज़िल जिलगा क्षेत्र में कुछ समय से चीनी गाड़ियाँ आ जा रही हैं । वह भूखंड ऐसा है जिसमें मोटर गाड़ियों के चलने के लायक सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं । चीन उन सड़कों का प्रयोग उन चौकियों तक पहुंचने के लिये कर रहे हैं, जो उन्होंने अवैध रूप से बना ली हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या यह सही है कि चीन ने अधिकृत लद्दाख के क्षेत्र की सीमा पर पश्चिम तिब्बत में मिग विमान, इलयुशिन बम्बार और अन्य परिवहन विमान भी भेजे हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** हमें इस के बारे में कोई जानकारी नहीं और नहीं वहां से जानकारी लेना आसान है । हमने देखा है कि समाचारपत्रों में छपने वाली खबरें अधिकतर निराधार होती हैं ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : क्या प्रतिरक्षा मंत्री या प्रधान मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि सैनिक दृष्टि से चीनियों को कोई विशेष सुविधा प्राप्त नहीं है और कि हम हर तरह से तैयार हैं ?

†**श्री हेम बरुआ :** क्या पंचशील को एक पक्षीय रूप से क्रियान्वित करना ऐसी स्थिति में संभव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पंचशील का अर्थ सभ्य व्यवहार है। क्या हम इसलिये सभ्य व्यवहार छोड़ दें, क्योंकि कोई और इसका अनुसरण नहीं करता। हम तो सभ्य व्यवहार करते रहेंगे चाहे कोई दूसरा पक्ष करे या न करे। इस का प्रतिरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या सरकार ने प्रतिरक्षा स्तर के अलावा जनता स्तर पर भी किसी भी संकट का सामना करने के लिये नैतिक साहस को बढ़ावा दिया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य जिस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, उन से देश का नैतिक साहस नहीं बढ़ता।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह पूछना देश द्रोह है कि खतरे का मुकाबला करने के लिये क्या किया जा रहा है। इस से देश का नैतिक साहस कैसे गिरता है।

नेफा में नियुक्त कुछ वरिष्ट सेना अधिकारियों की कथित भर्त्सना

†**श्री मोहसिन** (धारवाड़ दक्षिण) : मैं **प्रतिरक्षा** मंत्री का ध्यान कुछ वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों की नागा विद्रोहियों को पूर्वी पाकिस्तान भाग जाने से रोकने से असफल रहने के कारण भर्त्सना किये जाने की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह एक वक्तव्य दें।

†**प्रति रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** जैसा कि सदन को ज्ञात है लगभग १५० नागा १ मई, १९६२ को प्रातः काल के समय आसाम के कच्छार जिले में स्थित परिनगर के पास सुरमा नदी को पार करके पूर्वी पाकिस्तान चले गये। वे नागा किसी भी समय नेफ़ा नहीं गये। इस लिये नेफ़ा में नियुक्त सैनिक अधिकारियों का इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ये नागा मनीपुर के तामेनलाँग क्षेत्र से चले और उन्होंने वह रास्ता पकड़ा जो कछार पहाड़ियों के जंगल में से हो कर गुजरता है। सीमा तक पहुंचने में उन्हें जो लगभग तीन सप्ताह लगे उनमें वे आबादी वाले क्षेत्रों में यदा-कदा केवल खाद्य सामग्री आदि लेने के लिये आये और फिर घने जंगलों में गायब हो गये जब उनकी उपस्थिति की खबर सुरक्षा बल के पास पहुंची, गश्ती दस्ते भेजे गये थे, किन्तु उन में सम्पर्क नहीं हो सका। एक ओर तो जिस क्षेत्र से हो कर नागा निकले, उसमें घने जंगल होने से उनको काफ़ी आड़ मिली हुई थी, दूसरी ओर हमारे गश्ती दस्तों के लिये वहाँ आने जाने और संचार सम्बन्धी कठिनाइयाँ थीं।

हमारी सुरक्षा सेवाओं ने नागाओं को केवल एक बार देखा जबकि १ मई, १९६२ को प्रातः काल के समय सुरमा नदी को पार कर रहे थे। परिनगर की पुलिस चौकी से उन पर गोलियाँ चलाई गईं परन्तु नदी के उस पार से भी उनका जवाब दि...
...या मारे गये, अधिकाँश बच कर भाग गये।

इस मामले पर विचार करने के लिये आसाम के राज्यपाल की अध्यक्षता में ७ मई, १९६२ को एक सम्मेलन किया गया था। इसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय और सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इन की चर्चा के निष्कर्ष बताना लोक हित में नहीं होगा। तब से उनकी रोक थाम के लिये समस्त संभव कदम उठाये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

सदन को ज्ञात है कि हमारा नागाओं के विरुद्ध युद्ध नहीं है। अधिकाँश नागा हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। हम केवल उन नागाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, जो शान्ति और व्यवस्था भंग करते हैं और अनधिकृत अग्नेयास्त्र आदि रखते हैं या शहरी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पकड़े जाते हैं ।

यदि सैनिक कर्मचारियों द्वारा शाँति तथा व्यवस्था कायम रखने के सम्बन्ध में असैनिक अधिकारियों की सहायता करने में गलती या चूक की जाती है, तो उसे ठीक करने के लिये कार्यवाही हमेशा की जाती है। नागा भारतीय राष्ट्रजन हैं, कुछ विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही करते समय यह खयाल रखना पड़ता है कि निर्दोष व्यक्तियों को हानि न पहुंचे और साधारण जीवन में हस्तक्षेप न हो । इसलिए हमारे गश्ती दस्ते कई बार अपने को जोखिम में डाल कर भी कार्यवाही करने से बचना पड़ता है । स्थिति में कई कठिनाइयाँ हैं। जमीन खराब है और संचार साधन नहीं है । सशस्त्र सैनिक अपना कठिन कार्य बड़ी खूबी से कर रहे हैं। उन की कार्यवाही से विद्रोहियों के विरुद्ध कड़ा वातावरण पैदा हो रहा है और अपराध का जीवन बिताने और मुकाबला करने के स्थान पर भाग निकलना अच्छा समझते हैं।

†**श्री मोहसिन** : सरकार के पास इस बात का क्या स्पष्टीकारण है कि श्री चालिहा ने कहा है कि सेना अधिकारियों को उनके भाग निकलने का ज्ञान था ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : स्पष्टीकरण मैं ने दे दिया है । हमारे पास जानकारी तो है, किन्तु वह पर्याप्त या समय पर नहीं होती । दूसरे हम यह भी नहीं जानते कि नागा भाग कर कहाँ जा रहे हैं ?

श्री बागड़ी (हिसार) : क्या आप हिन्दी में कुछ कहला सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत लम्बा स्टेटमेंट है, और आप इतना समझ सकते हैं ।

श्री बागड़ी : सवाल तो मैं करूंगा लेकिन लोग समझेंगे कि गलत सवाल कर रहा हूं । क्या डिफेन्स मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब चार या पाँच दिन पहले उनको यह इत्तला हो चुकी थी कि नागा होस्टाइल्स जा रहे हैं पाकिस्तान को, और मि० फिजो से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने उसके वास्ते एहतियाती तदावीर करने के लिये, जो फौज वहाँ पर थी वह तो थी, लेकिन क्या खास तौर पर कोई मजीद फौज भेजने का इन्तजाम किया ? और कितनी तादाद में वहाँ पर मजीद फौज लगाई गई जो कि उन्हें रोके । आप कहते हैं कि मुठभेड़ हुई और उसमें कुछ मरे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कितने लोग मरे हैं ?

इसके बाद मजीद सवाल जो पूछना चाहता हूं वह यह है कि वह लोग वापस आना चाहते हैं, बगावत करने के लिये । तो क्या उनकी रोक थाम के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ताकि वह वापस न आ सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : शायद माननीय सदस्य समझे नहीं जो अभी डिफेन्स मिनिस्टर ने कहा । इसलिये मैं इस बात को दोहराता हूं । अभी चार पाँच रोज पहले मालूम होने की बात कही गई । उनको ठीक मालूम नहीं था । मालूम था कि कुछ लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कई दफा मालूम हुआ, लेकिन यह तो मालूम नहीं था कि ये किस तरफ से जा रहे हैं, किस जंगल से होकर जा रहे हैं, और उस का इन्तजाम जाहिर है कि कम हुआ हमारी तरफ से, कोआर्डिनेशन का, खबर को चारों ओर फैलाने का । यह नहीं मालूम था आखिरी दम तक कि किस तरफ से आयेंगे । आखिर में मनिपुर से आये । नागालैंड से नहीं बल्कि मणिपुर होकर आये। इसलिये उनको रोका नहीं जा सका ।

आपने इस के बाद क्या कहा मुझे याद नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : जब खबर आ गई थी तो कोई ऐडीशनल फोर्स लगाई गई ताकि वे आखिर में वापस न आ सकें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐडीशनल फोर्स का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि मौका हम को ठीक मालूम होना चाहिये था कि कहाँ है । १००, १५० आदमी आसानी से जंगल में छिप सकते हैं, जा सकते हैं, तरह तरह के रास्तों से । हर कदम पर तो फौज खड़ी नहीं होती । इस की इत्तला आई कि वह जा रहे हैं । लेकिन कहाँ जा रहे हैं १०० मील के अन्दर, यह पता नहीं था । तो यह बात हुई और उस वक्त कमजोरी हमारी साबित हुई उसकी इत्तला करने की, रोकने की नहीं । हमें ठीक ठीक इत्तला नहीं मालूम हुई कि किस तरफ से जा रहे हैं। जब मालूम हुई तो हम ने रोकने की, कोशिश की, लेकिन वह उस तरफ पहुंच गये । जहाँ तक उन के लौटने का सवाल है, इस बात पर भी गौर करना चाहिये कि उनका वहाँ जाना किस लिये हुआ । फीजो साहब से मिलने के लिये हो सकता है, यह भी हो सकता है कि वह इतने परेशान हो गये थे कि चले गये वहाँ । और अगर मेरी राय लीजिये तो वहाँ जा कर वहीं पर रहने लगें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री बागड़ी : मैं ने यह भी पूछा था कि सूचना किस ने दी थी । कहा गया कि मुठभेड़ हुई थी, उस में कुछ मरे भी थे । तो कितने मरे थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो पहले बतलाया जा चुका है कि कितने मरे थे, जो मुठभेड़ हुई थी उस में मरने वालों की तादाद ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे याद नहीं ठीक से । लेकिन देखा था कि कुछ मरे थे, कुछ जख्मी हुए थे, और उन के जो हथियार थे वह भी गिरफ्तार हुए थे । लेकिन जो मरे थे उन की लाशें वे घसीट ले गये थे ।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे कोई भी सदस्य हाथ से लोगों की तरफ इशारा न करें, नहीं तो हाथ पैर बहुत हिलने लगेंगे यहाँ । मैं किसी को शिकायत नहीं करता, लेकिन माननीय सदस्य अक्सर हाथ पैर हिलाते हैं । अगर यह आदत हो जाय तो हाथ पैर बहुत हिलने लगेंगे ।

श्री बागड़ी : उम्र का तकाजा है । बूढ़ा हो जाऊंगा तो हाथ नहीं हिलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने माननीय सदस्य से पहले भी कहा था, लेकिन वे अपनी आदत से मजबूर हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : क्या मैं प्रधान मंत्री का ध्यान लन्दन आबजरवर में ३ जून और १० जून को श्री जार्ज पटरसन के लेखों की ओर दिला सकता हूं कि जिस में. जनरल केटो ने, जो पूर्व पाकिस्तान में हैं निश्चित बातें कहीं हैं ? क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन लेखों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने सारे लेख नहीं पढ़े । एक पूरा पढ़ा है और दूसरे का संक्षेप । मुझे मालूम होता है कि उन में झूठ ही झूठ भरा हुआ है । मुझे आश्चर्य है कि कोई उत्तरदायी समाचारपत्र बिना जाँच किये इस प्रकार के वक्तव्य दे सकता है ।

†**श्री नाथ पाई** : एक आरोप यह है कि हमने एक लाख व्यक्तियों को मार दिया है और ४ लाख कैद में हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सब इतना ऊटपटाँग है कि कोई भी व्यक्ति बिना जांच किये इस पर यकीन नहीं कर सकता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : यह समाचार सारे युरोप में फैलाया गया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि कोई समाचारपत्र ऐसे समाचार छापता है, तो हम उसका विरोध करते हैं । ऐसा हम ने श्री फिजो के वक्तव्य के बारे में भी किया था, जो उन्होंने गत वर्ष दिया था । अब आबजरवर ने उसी प्रकार का समाचार छापा है जो कोई व्यक्ति मान नहीं सकता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रधान मंत्री के एक पहले वक्तव्य और आसाम के मुख्य मंत्री के वक्तव्य से यह पता नहीं चलता कि सेना और सुरक्षा दल काफ़ी मज़बूत हैं किन्तु वे जोरदार नीति नहीं अपनाना चाहते क्योंकि सरकार नागा समस्या का राजनैतिक हल नहीं चाहती ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते जो भारत के प्रति वफ़ादार नहीं हैं और हमने इस प्रयोजन के लिए निदेश दिये है । अधिकांश नागा इस प्रकार की गड़बड़ नहीं चाहते । वे शान्तिपूर्ण तरीके से रहना चाहते है । इसलिए उन में और विद्रोहियों में भेद करना आवश्यक है । एक दो बार ऐसी गलतियां हो भी चुकी है जिन के परिणाम अच्छे नहीं निकले । मैं अन्य स्थानों के साथ तुलना नहीं करना चाहता, जैसा कि मलाया आदि जहां बड़ी बड़ी सेनायें भेजी गई हैं और उन्हें स्थिति पर काबू पाने के लिये बहुत समय लगा है ।

हाल में वे बर्मा से आते जाते रहे हैं । वहां उन का पीछा करना हमारे लिये उचित नहीं था । अब दबाव के कारण वे अपनी पुरानी कार्यवाहियां जारी नहीं रख सकते । इस का अर्थ यह नहीं कि स्थिति पूरी तरह संतोषजनक है, किन्तु पहले से अधिक संतोषजनक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वैस्ट विनय नगर, दिल्ली में साफ़ किय हुये पानी की कमी

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

वैस्ट विनय नगर, नई दिल्ली में साफ़ किये हुए पानी का कथित अभाव

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : केवल ११ जून, १९६२ को ही सुबह पानी के अभाव का समाचार मिला था। साढ़े दस बजे तक उसे ठीक कर दिया गया था लेकिन ११ बजे दोपहर को फिर पानी बन्द हो जाने के कारण उस क्षेत्र के निवासियों को कोई राहत नहीं मिल सकी थी। ४ बजे शाम तक पानी खूब मिलने लगा था।

पानी का सम्भरण बन्द हो जाने का कारण यह था कि मोती बाग़ १ के पास ३३ इंच व्यास के मुख्य नल का वाल्व पूरी तौर पर बन्द मिला था और पानी केवल उपमार्ग से होकर जा रहा था। इसी से पानी का अभाव हो गया था। लगता हैं कि बाल्व खोलने वाले उसे भूल से बन्द कर गये थे और वे सुबह खोलना भूल गये। अब उस बाल्व पर ताला लगाया जा रहा है, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

वैसे सामान्यतया पानी की कमी हैं। इसलिये कि उसकी मांग बहुत बढ़ गई हैं। रामकृष्णपुरम् को नया कनैक्शन दे देने से कमी और बढ़ गई है। निगम रिंग रोड पर एक और नल डलवा रहा है। उसका काम पूरा हो जाने पर कुछ आसानी हो जायेगी।

प्रस्ताव यह है कि मोतीबाग़ २ को ११ बजे से ४ बजे शाम तक ही पानी दिया जाये। और, उस बीच रिंग रोड़ पर स्थित क्षेत्रों, जैसे वैस्ट विनय नगर को पानी न दिया जाये। निगम मोतीबाग़ २ में जल संचित करके इन क्षेत्रों के लोगों के लिये जल सुलभ बनायेगा।

†**श्री वारियर** : समाचारपत्रों में कहा गया था कि पानी की कमी तीन दिन तक रही थी—शुक्रवार, शनिवार और इतवार को। निगम के अधिकारी तीन दिन तक यह पता क्यों नहीं लगा पाये कि मुख्य पाइप बन्द था ?

†**डा० द० स० राजू** : ८, ९ और १० तारीख को पानी की कमी की कोई बड़ी शिकायत नहीं थी। हमारे पास ११ को ही शिकायत आई थी।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुजा) : क्या यह सही है कि इसका कारण नई दिल्ली नगर-पालिका और दिल्ली नगरपालिका निगम के बीच जलसंभरण के सम्बन्ध में चलने वाला कोई विवाद था ?

†**डा० द० स० राजू** : विवाद के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हैं।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि बागड़ी समझा नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे हिन्दी में समझाया था। यह सवाल भी मुझे समझा दिया जाता . . .

अध्यक्ष महोदय : पहले भी मैंने आप से कहा है कि आप अपने पास वाले से पूछ लिया करें। वैसे आप खुद अंग्रेजी समझते है। अब आप को जो सवाल करना हैं वह कर लीजिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : सवाल तो मुझे करना पड़ेगा लेकिन वह गोलमोल होगा क्योंकि मैं पूरा समझ नहीं पाया हूं ।

मैं मिनिस्टर साहब से आपकी मारफत पूछना चाहूंगा कि पानी के बारे में दिल्ली में एक तरफ इतनी कमी थी और दूसरी तरफ मिनिस्टरों और बड़े बड़े अफसरों के बागों और कोठियों में पानी जाया हो रहा था। यह अखबारों में भी निकलता रहा था कि दिल्ली के निवासी गन्दा पानी पी रहे हैं । क्या मिनिस्टर साहब ने इस तरफ गौर करके पानी की कटौती करके जनता को पानी पहुंचाने की कोशिश की और इस मामले पर विचार किया ?

डा० द० स० राजू : माननीय सदस्य विनय नगर के अलावा दूसरे क्षेत्र के बारे में पूछ रहे है । यह प्रश्न केवल विनय नगर के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि सवाल तो सिर्फ विनय नगर के बारे में है और माननीय सदस्य ने सारी दिल्ली के बारे में सवाल पूछा है ।

श्री बागड़ी : जो हालत आज विनय नगर की है वही कल सारी दिल्ली की भी हो सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह सवाल तो विनय नगर के बाबत है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : (हमीरपुर) : क्या मैं पूछ सकता हूं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब, जिनके नाम है वही पूछ सकते हैं ।

†**डा० द० स० राजू :** मैं बता चुका हूं कि पानी का अभाव रामकृष्णपुरम् को दिये नये नये कनैक्शन के कारण हुआ है और रिंग रोड़ पर लगने वाले पाइप से उसकी पूर्ति हो जायेगी ।

श्री बागड़ी : मेरे सवाल का जवाब तो हिन्दी में दे दो ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सही है कि रामकृष्णपुरम् में ८,००० सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर्स दिये गये है, पर वहां पानी का अभाव है ?

†**डा० द० ज० राजू :** यही तो मैंने कहा है कि रिंग रोड पर एक नयी पाइप लाइन उसके लिये डाली जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : क्या माननीय मंत्री जो इस तरह का आश्वासन देने की स्थिति में है कि कम से कम आगे वैसी मुसीबत नहीं पैदा होने दी जायेगी और इसका पूरा इन्तजाम कर दिया गया है ?

†**डा० द० स० राजू :** उसके लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री मोरारजी देसाई द्वारा १२ जून, १९६२ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

> "कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**श्री प्र० कें० देव** (कालाहांडी) : माननीय मंत्री ने बिलकुल ठीक कहा है कि हम इतिहास के एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमारी सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा है और साथ ही विदेशी ऋणों की राशि बढ़ने के साथ ही विदेशी मुद्रा की स्थिति कठिन होती जा रही है। रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा हैं। वस्तुओं के मूल्य चढ़ते जा रहे हैं।

यदि हम इस वित्त विधेयक की वित्तीय नीति का विश्लेषण करें, तो देखेंगे कि यह एक सब से खराब वित्त विधेयक हैं, जो देश को दिवालिया बना देगा। केन्द्रीय आय-व्ययक में ७१.७ करोड़ रुपये का घाटा था। उस घाटे की पूर्ति २७.२ करोड़ प्रत्यक्ष करों और ४४.५ करोड़ अप्रत्यक्ष करों से करने की व्यवस्था की जा रही हैं। अप्रत्यक्ष करों का अनुपात ६२ प्रतिशत रहेगा। अधिकांश अप्रत्यक्ष करों का भाग देश की निर्धन जनता पर पड़ेगा। जनता की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य को प्राथमिकता देने के लिये योजनीकरण और कर-ढांचे की कायापलट करनी पड़ेगी। गरीब किसानों को भी कर से विमुक्ति नहीं दी गई है। इसीलिये स्वतंत्र पार्टी शुरू से कह रही है कि भूराजस्व हटा कर उसकी जगह कृषीय आय-कर रोपित किया जाना चाहिये।

इस विधेयक की व्यवस्था के अनुसार सूती वस्त्र उद्योग पर लगने वाले उत्पादन शुल्क से ९० करोड़ रुपये की आय होगी। वर्ष भर में उत्पादन शुल्क की आय ५०० करोड़ रुपये होती है। अर्थात् उस उद्योग से १८ प्रतिशत उत्पादन शुल्क की वसूली होगी। यदि सरकार हथकरघा और विद्युत्-चालित करघा उद्योग को बचाना चाहती है तो उनको इस प्रस्तावित उत्पादन शुल्क से विमुक्त किया जाना चाहिये।

एस्बेस्टस सीमेंट की चादरों पर कर लगाने से इमारती सामान का मूल्य और चढ़ जायेगा। उसका भुगतान ग़रीब जनता को ही करना पड़ेगा।

माननीय वित्त मंत्री ने हर संसाधन से राजस्व लेने की कोशिश की हैं, पर वह मद्य-निषेध हटाने की बात जैसे बिल्कुल भूल ही गये हैं। हमारे देश में मद्य-निषेध पूर्णतया असफल रहा हैं। उससे भ्रष्टाचार और बढ़ गया है।

वित्त मंत्री ने तो चाय को भी नहीं बख्शा हैं। चाय की किस्म बेहतर बनाने में सब से बड़ी बाधा यही है कि चाय बागान के मालिक बहुधा बदलते रहते हैं। सही ढंग के श्रम सम्बन्ध स्थापित करने के बाद ही, चाय के निर्यात में संवर्धन किया जा सकेगा।

कम से कम तमाखू की पत्ती पर तो कर नहीं लगाया जाना चाहिये था, क्योंकि उसका उपभोग तो गरीब जनता ही करती है। सामाजिक न्याय की अपेक्षा भी तो ध्यान में रखनी चाहिये।

प्रत्यक्ष करों में आय-कर, अधिकर और सम्पदा कर की दर में वृद्धि की जा रही है। आय-कर और अधिकर की दर बढ़ने का परिणाम यह होगा कि हमारे उद्योग पतियों में उत्साह नहीं रहेगा और उससे औद्योगिक उन्नति में बाधा पड़ेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प० के० देव]

मैंने हिसाब लगाया है कि २०,००० रुपये की वार्षिक आय वाले को प्रतिवर्ष २,२९१ रुपये आयकर के रूप में देने पड़ेंगे। तब उसके पास केवल १७,७०९ रुपये बच रहेंगे, जो १९५२–५३ के स्तर पर केवल १४,१५६ रुपये बनते हैं। आय २०,००० रुपये की आय युद्ध-पूर्वकाल के ३,००० रुपये की आय के बराबर है। आज १०० रुपये के नोट से पहले के स्तर पर, २० रुपये की वस्तुयें ही खरीदी जा सकती हैं। मुद्रा-स्फीति का यही कारण है।

आय-बचत आन्दोलन पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। लेकिन एक रुपये का आज जो मूल्य है, वह दस वर्ष बाद नहीं रहेगा। इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिये।

पूंजी-लाभ पर आज की तरह आठ वर्ष तक रियायत देना जारी रहना चाहिये।

सरकार को बचत करने वालों को अधिक सुविधायें देनी चाहियें।

आय-कर अधिनियम, १९६१ में इन सभी प्रश्नों पर काफी विचार किया गया था। सभा में और प्रवर समिति में भी इस पर चर्चा हुई थी। लेकिन उसके प्रभावी बनने से पहले ही वित्त विधेयक ने उसकी व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया है। यह संसदीय प्रक्रिया के विरुद्ध है।

इतना अपव्यय हो रहा है। उसे तो रोका नहीं जाता, और हमारे ऊपर करों का भार बढ़ाया जा रहा है। जनता के धन को उचित ढंग से व्यय करने की व्यवस्था होनी चाहिये। मैंने महालेखा परीक्षक की आलोचना के अनौचित्य का प्रश्न उठाया था। उस पर अभी तक विनिर्णय नहीं दिया गया है।

यदि हमें पर्याप्त विदेशी सहायता नहीं मिलेगी, तो तृतीय योजना में कुछ कटौती करनी अनिवार्य हो जायेगी।

"मिग" विमानों की खरीद के बारे में जो रस्साकशी चल रही है, उसने हमारे देश को शीत युद्ध की कगार तक ला दिया है। बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश में उन विमानों के निर्माण की व्यवस्था और क्षमता पैदा हो। नहीं तो चीन के साथ युद्ध होने पर, हमारी प्रतिरक्षा कमजोर पड़ जायेगी।

डा० गोविन्ददास (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय जी, फाइनेंस बिल का एक ऐसा अवसर होता है जब हम केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखने वाली हर बात का और हर मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ चर्चा कर सकते हैं। ऐसे अवसर हमको दो मौकों पर मिलते हैं। एक तो राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर जब बहस होती है उस समय मिलता है और दूसरे फाइनेंस बिल पर।

इस समय हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है जिससे हमारे इस फाइनेंस बिल का बहुत सम्बन्ध है। हम निर्माण का काम कर रहे हैं और निर्माण हमारे देश में दो प्रकार का हो रहा है। एक बौद्धिक स्तर का निर्माण और एक आर्थिक स्तर का निर्माण। बौद्धिक स्तर के निर्माण में भाषा का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। अंग्रेजी हमारे ऊपर लादी गई अंग्रेजों के यहां आने के बाद जिसका परिणाम यह हुआ कि जो देश किसी समय संसार का सब से सुरक्षित देश था उस देश में सौ में से नब्बे आदमी अपढ़ रह गये। स्वराज्य के बाद संविधान में हमने अपनी चौदह भाषाओं को राष्ट्र भाषाएं बनाया और हिन्दी को राज भाषा भी और वह इसलिये कि लगभग आधी आबादी की वह मातृभाषा है और अगर हम दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो शेष देश उसे अच्छी तरह समझता है। पन्द्रह वर्षों के बाद, अध्यक्ष जी, हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी यह बात संविधान सभा में जिसका मैं भी एक सदस्य था सर्वमत से स्वीकृत हुई थी। लेकिन इसके बाद कतिपय क्षेत्रों से इसका विरोध आरम्भ हुआ विशेषकर तामिल-

नाड से और बंगाल से। मुझे अब ऐसा लगता है कि हमने पन्द्रह वर्ष का समय इस काम को देकर बड़ी गलती की है। अगर हमने उसी समय अपनी भाषा में सब काम करना आरम्भ कर दिया होता तो यह विरोध नहीं हो सकता था।

आयरलैंड का दृष्टांत हमारे सामने है। उसने स्वतन्त्र होते ही अपना शासकीय काम गैलिक में शुरू कर दिया। इजराइल का दृष्टांत हमारे सामने है। उसने स्वतन्त्र होते ही हिब्रू में शुरू कर दिया। हिन्देशिया का दृष्टांत हमारे सामने है। वहां पर हिन्देशियन भाषा में सब काम शुरू कर दिया गया। यह गैलिक भाषा, यह हिब्रू भाषा, यह हिन्देशियन भाषा जब की सब मृत भाषायें थीं। हिन्दी मृत भाषा नहीं थी और मेरा स्पष्ट मत है कि यदि हम संविधान को लागू करते ही हिन्दी में अपना सब काम शुरू कर देते तो हम बखूबी उसे कर सकते थे।

खैर अब तो परिस्थिति बदल गई है। प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि पन्द्रह वर्ष बाद सन् १९६५ के पश्चात् भी अंग्रेजी हिन्दी के साथ चलेगी। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि इस सम्बन्ध में वह एक विधेयक यहां उपस्थित करना चाहते हैं। इस विधेयक पर मैं आज अपना कोई मत नहीं देना चाहता। विधेयक आने के बाद मैं इस सम्बन्ध में अपनी राय दूंगा। लेकिन मैं एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि इस समय देश में सब से अधिक भावात्मक एकता की आवश्यकता है। हमरा विश्वास है कि भावात्मक एकता का निर्माण नहीं हो सकता जब तक कि देश को एक भाषा के सूत्र मे न बांधा जाये। लेकिन इसी के साथ देश में इस समय भाषा के ऊपर कोई कटुता उत्पन्न करने के भी मैं खिलाफ हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि किसी व्यक्ति के जीवन में दस, बोस, पच्चोस या पचास वर्ष का समय महत्व रखता है किसी देश और राष्ट्र के में नहीं। इतना होने पर भो हिन्दो और भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में हमको विचार करना होगा कि उनको उनका उचित स्थान मिले।

अध्यक्ष जी, कई बार मैं बड़ा गलत समझा जाता हूं। यह समझा जाता है कि हिन्दी का हो मैं पक्षपाती हुं। मैं कई बार इस सदन में और इस के बाहर भी कह चुका हूं कि मैं चौदहों भाषाओं का पक्षपाती हूं, केवल हिन्दी का ही नहीं और अंग्रेजी का भी मैं विरोधी नहीं हूं। लेकिन सब चोजों को उनका उचित स्थान प्राप्त होना चाहिये। झगड़ा हिन्दो और अन्य भारतीय भाषाओं का नहीं है, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं से झगड़ा अंग्रेजो का है। इस समय जो यह बात कहो जाती है कि हिन्दो लादी जा रही है, उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दो नहीं लादी जा रहो है, अंग्रेजो लादो जा रही है। हिन्दी को उचित रूप देने के लिये उस के दर्जे और रूप दोनों पर हमें विचार करना है। केन्द्र सरकार द्वारा जो कुछ किया जाता है, अध्यक्ष जी, आप यहां जो कुछ करते हैं, लोक सभा में जो कुछ होता है, राज्य सभा में जो कुछ होता है, उस से हिन्दी का दर्जा या पद घटता और बढ़ता है।

पहले हमारे प्रधान मंत्री जी जब वदेशिक कार्य मंत्रालय पर बोलते थे उस समय उनका एक भाषण हिन्दी में होता था और एक भाषण अंग्रेजी में होता था, हमारे समय के गृह मंत्रो जब रेलवे मंत्रो थे उस समय उन्होंने अपना पहला रेलवे बजट जब उपस्थित किया तो उनका भाषण हिन्दो में हुआ था, अब यह बात बिल्कुल बन्द हो गई है। कहा जाता है कि इस सदन के लोग हिन्दी नहीं जानते इस लिये अंग्रेजी मे भाषण होते हैं। मैं आप से कहता हूं कि आप जांच कर लें इस बात को कि इस सदन में हिन्दी न जानने वालों की संख्या अधिक है या अंग्रेजी जानने वालों की संख्या अधिक है। बेचारे अंग्रेजी न जानने वाले कुछ कहते नहीं हैं, हल्ला नहीं मचाते हैं, खुशामद नहीं करते हैं, इस तरह को बातें नहीं करते हैं इसलिये यह बात मानकर चला जाता है कि सदन मे हिन्दी न जानने वालों की संख्या अधिक है।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अपने अधिकार को प्राप्त नहीं करना चाहते।

डा० गोविन्द दास : मैं इस सम्बन्ध में आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। पहले पहल मेरा यह सुझाव है कि हमारे जो मंत्री हिन्दी जानते हैं उनके ५० प्रतिशत भाषण यहां पर हिन्दी में होने चाहियें। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि कि अभी जो प्रश्न हिन्दी में किये जाते हैं, और उनके उत्तर जो हिन्दी मे दिये जाते हैं उनमें हिन्दी के साथ अंग्रेजी भी जुड़ी रहती है। हिन्दी प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में होता है, उसका उत्तर अंग्रेजी में भी होता है। इस सम्बन्ध मे मेरा सुझाव यह है कि जो प्रश्न अंग्रेजी में किये जाते हैं उन के उत्तर भी अंग्रेजी के साथ हिन्दी में होने चाहियें। इस में यदि अधिक समय लगता हो तो मेरा सुझाव यह है कि जिस प्रकार कई प्रदेशों की विधान सभाओं मे प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के साथ छप कर बंट जाते हैं, उसी प्रकार यहां भी प्रश्नों के उत्तर छप कर बंट जायें, जिसमें यहां पर केवल पूरक प्रश्नों की ही आवश्यकता हो। जहां तक पूरक प्रश्नों का सम्बन्ध है, मेरा स्पष्ट मत है कि पूरक प्रश्नों के उत्तर उसी भाषा मे होने चाहियें जिस भाषा में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हमारे कुछ मंत्री हिन्दी नहीं जानते हैं तो उनके साथ उप मंत्रियों को जोड़ा जाये जो कि हिन्दी जानते हों और हिन्दी के प्रश्नों के उत्तर वे हिन्दी में दें। लेकिन इतने पर भी, जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा था, जो मन्त्री हिन्दी नहीं जानते हैं उनको हिन्दी में प्रश्नों के उत्तर देने के लिये विवश नहीं कर सकता, और इस सम्बन्ध में कोई कटुता भी उत्पन्न करने के लिये मैं तैयार नहीं हुं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

फिर यहां पर जो कारंवाई होती है उस के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राष्ट्र संघ के सदृश्य उस का तुरन्त अनुवाद होना चाहिये। यहां पर उस यन्त्र को लगाया जाना चाहिये जिस में हिन्दी की कार्रवाई का तर्जुमा, उसका अनुवाद, तुरन्त अंग्रेजी में हो और अंग्रेजी की कार्रवाई का तुरन्त हिन्दी में हो, जिस में कि माननीय सदस्य जिस भाषा में सुनना चाहें सुन सकें।

एक माननीय सदस्य : रीजनल लैंगवेज में भी हो।

डा० गोविन्द दास : इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि यह हो सके तो जरूर किया जाये।

जहां तक हमारे राष्ट्रपति जी का सम्बन्ध है, अब तक हमारे राष्ट्रपति हिन्दी भाषा भाषी थे। उनका भाषण पहले हिन्दी में होता था और उसके बाद ही अंग्रेजी में वे अपना भाषण पढ़ते थे। यह सम्भव भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिये कि हमेशा हमारा राष्ट्रपति हिन्दी भाषा भाषी हो, और यह भी शायद इस समय सम्भव नहीं है कि हमारे राष्ट्रपति हिन्दी का ज्ञान रखते हों। इसलिये जिस प्रकार हमारे डा० राजेन्द्र प्रसाद के हिन्दी के भाषण का अंग्रेजी अनुवाद अनेक बार उपराष्ट्रपति जी पढ़ते थे उसी प्रकार मेरा निवेदन यह है कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी के अंग्रेजी भाषण का अनुवाद हमारे उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसेन साहब हिन्दी भाषा मे पढ़ें।

फिर आज से कुछ समय पहले हम देखते थे कि हिन्दी की ओर लोग खिंच रहे हैं, प्रान्तीय भाषाओं की तरफ लोग खिंच रहे थे। लेकिन इस में फिर परिवर्तन हुआ है। यदि किसी चपरासी को भी उसकी नौकरी बिना अंग्रेजी जाने नहीं मिल सकती, तो अंग्रेज़ी को तरफ खिंचाव होना एक स्वाभाविक बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में, जैसाकि हमारे गृह मंत्री जी कह चुके है और जिसमें यहां देर हो रही है, माध्यम वैकल्पिक रूप से हिन्दी का हो। यह बात जिस समय भाषा आयोग स्थापित, हुआ था और उस पर विचार करने के लिये सदन की जो कमेटी नियुक्त हुई थी, उस समय पूज्य टन्डन जी ने और मैंने अपने नोट में कही थी।

फिर हिन्दी भाषा भाषी राज्यों से केन्द्र का पत्र व्यवहार हिन्दी में होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्र का पत्र व्यवहार जो हिन्दी भाषा भाषी राज्य है उन से अंग्रेज़ी में क्यों होता है। इस सम्बन्ध में तुरन्त आज्ञा देने की आवश्यकता है।

अब कुछ सुझाव मुझे देने हैं भाषा के रूप के सम्बन्ध में। अभी हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री जी के कुछ ऐसे भाषण हुए, कुछ ऐसी घोषणायें हुई और रेडियो अथवा आकाशवाणी के संबंध में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, जिस से एक बड़ा भारी वावेला मच गया हैं और देश भर के जो हिन्दी पत्र हैं उनमें यह चर्चा चल रही हैं। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित जो भाषा होती है वह प्रमुख साहित्यिक भाषा मानी जाती है। दृष्टांत के लिये मैं आप को लन्दन के बी० बी० सी० का उदाहरण देता हूं। लन्दन के बी० बी० सी० की भाषा साहित्यिक भाषा हैं। अंग्रेज़ी साहित्यिक भाषा है। लेकिन आप लन्दन की जनता की भाषा को देखिये। लन्दन की जनता की भाषा "काकनी" भाषा हैं। "काकनी" भाषा में बी० बी० सी० के प्रसारण नहीं होते हैं। वहां खबरें जो प्रसारित की जाती है वह अंग्रेजी म प्रसारित की जाती हैं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : वहां की स्पोकेन और रिटेन भाषा में बहुत कम अन्तर है।

डा० गोविन्द दास : दिल्ली में "आकाशवाणी" की भाषा को जो यह कहा जाता है कि उसे इस देश में समझा नहीं जाता, यह गलत बात है। अगर हम केवल दिल्ली को, पंजाब को और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भग को छोड़ दें तो कोई भाग हिन्दी भाषा भाषी ऐसा नहीं है जो इस समय जो भाषा रडियो से प्रसारित होती हैं उसे न समझे। बल्कि मैं आप से आगे कहूंगा कि हिन्दी का अखिल भारतीय रूप है और अखिल भारतीय रूप वाली हिन्दी संस्कृतनिष्ठ ही हो सकती है क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र पश्चिम में और पूर्व में बंगाल, असम और उत्कल सब की भाषायें जो हैं वे संस्कृत से निकली हैं। दक्षिण की जो भाषायें है उन में भी संस्कृत के शब्दों को अधिकता है। संस्कृतनिष्ठ भाषा ही अखिल भारतीय भाषा हो सकती हैं। इसीलिये हमारे संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि मूलतः हमारी शब्दावली संस्कृत से आयेगी।

फिर एक बात और देखिये। इस देश के बाहर रहने वाले जो लोग हैं और जो आज हिन्दी सीख रहे हैं, देश के कई स्थानों पर हिन्दी सीखी जा रही है, देश के बाहर कई स्थानों पर हिन्दी सीखी जा रही हैं, वे सब लोग आज जो भाषा आकाशवाणी से प्रसारित होती है उस से अपनी हिन्दी को शुद्ध करते हैं। इसलिये आकाशवाणी की भाषा ऐसी भाषा होनी चाहिये जोकि शुद्ध भाषा हो और जो ठीक भाषा हो और उस का आज जो स्वरूप है उसे मान लिया गया है।

एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं। इस सम्बन्ध में भी मैं बहुत कुछ गलत समझा जाता हूं। उर्दू से मेरा कोई द्वेष नहीं है। उर्दू को मैं इस देश की राष्ट्रीय भाषा मानता हूं। मैं एक छोटा सा साहित्यकार भी हूं। मैंने अपने नाटकों में उर्दू खूब लिखी है। यह प्रश्न उर्दू द्वेष का नहीं हैं। उर्दू भाषा में जो प्रसारण होते है किसी हिन्दी वाले ने उन का विरोध नहीं किया। उस की भाषा कठिन है, वह भी किसी हिन्दी वा वाले नहीं कहा। केवल उर्दू वाला वर्ग ऐसा है जो हमारी इस हिन्दी का विरोध कर रहा है, लेकिन उस वर्ग में भी आप देखिये कि उन की लड़कियां उन के लड़के सब आज हिन्दी पढ़ रहे है। यह मुट्ठी भर लोग हैं उर्दू दां जो इस का विरोध करते है। नई पीढ़ी में इस का कोई विरोध होने वाला नहीं है।

फिर जरा जांच करके देख लीजिये कि जो भाषा आकाशवाणी में चल रही है उस भाषा को लोग ज्यादा समझते है या अब जो भाषा बनाये जाने का प्रयत्न हो रहा है उसे लोग ज्यादा समझेंगे।

यह कहा जाता है कि लोग रेडियो अधिक सुनते हैं और समाचार पत्र कम पढ़ते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। समाचारपत्र लोग अधिक पढ़ते हैं क्योंकि रेडियो कितने लोगों के पास हैं और रेडियो कहां कहां लग हुए हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हिन्दी का रूप निखर चुका है, हिन्दी

[डा० गोविन्द दास]

के उस रूप में समाचारपत्र लिखे जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं, ग्रन्थ लिखे जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। इसलिये हिन्दी के इस रूप में परिवर्तन करने का प्रयत्न करना बहुत गलत बात होगी।

हिन्दी में जो उर्दू या अन्य भाषाओं के शब्द आ गये हैं उन को हम निकालना नहीं चाहते, और मैं प्रधान मंत्री जी का बिल्कुल समर्थन करता हूं जब वह कहते हैं कि हमारी भाषा के दरवाजे बिल्कुल खुले रहने चाहियें ताकि जो शब्द दूसरी भाषाओं के हमारी भाषा में आ जायें उन को हम पचा सकें। मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है।

फिर जो लोग केवल उर्दू जानते हैं उन के लिये तो उर्दू में बराबर समाचार प्रसारित होते हैं। हम ने कभी उस का विरोध नहीं किया। ऐसी हालत में यह प्रश्न क्यों उठता है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

जहां तक बेसिक भाषा का सम्बन्ध है, मैं आप से कहना चाहता हूं कि ये बेसिक भाषायें सदा असफल हुई हैं। अंग्रेजी की साढ़े आठ सौ शब्दों की बेसिक भाषा जो श्री ओगडन साहब ने निकाली थी वह असफल हो गई और यह प्रयत्न करना कि इस प्रकार की आठ सौ साढ़े आठ सौ शब्दों की भाषा से साहित्य का निर्माण हो सकेगा, यह गलत बात है, ऐसा कभी नहीं हो सकता।

फिर भाषा विषय के अनुसार चलती है। बोल चाल की भाषा में बहुत सी बातें आ सकती हैं और बहुत सी बातें नहीं आतीं। उदाहरण के लिये, यदि आप किसी अंग्रेजी के फर्स्ट क्लास एम० ए० के सामने एक एनाटोमी की पुस्तक रख दें तो वह उस को समझ में नहीं आयेगी। यदि हम एक वैज्ञानिक भाषा तैयार करना चाहते हैं और वैज्ञानिक पुस्तकें निकालना चाहते हैं तो उन की भाषा लाजिमी तौर पर कठिन होगी। वह सरल नहीं हो सकती। लेकिन उस को भी सरल से सरल बनाने का प्रयत्न किया जाय इस में मेरा कोई मतभेद नहीं है। मैं प्रधान मंत्री जी से सर्वथा सहमत हूं कि आकाशवाणी आदि की हमारी भाषा सरल से सरल होनी चाहिये। उस को कैसा रूप दिया जाना चाहिये इस के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हो सकता है। अभी हाल में वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का रजत जयन्ती समारोह हुआ था। उस अवसर पर प्रधान मंत्री जी ने एक सन्देश भेजा था जिस में लिखा था कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जिस भाषा का उपयोग करती है और जिस भाषा का प्रचार करती है वह भाषा सरल और ठीक है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के द्वारा जिस भाषा का प्रचार हो रहा है और उस का काम जिस भाषा में चल रहा है, भाषा के उस रूप को मान लिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

हिन्दी और उर्दू को हम एक भाषा मानते थे और हम कहते थे कि उर्दू हिन्दी की एक शैली है लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय हम ने देखा कि उर्दू भाषा भाषी हमारे इस कथन का कुछ गलत मतलब निकालते थे। वह यह समझते थे कि उर्दू को हिन्दी भाषा की एक शैली बताने का अर्थ यह है कि हम उर्दू भाषा को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिये हम ने अपने संविधान की १४ भाषाओं में उर्दू को भी एक अलग भाषा स्वीकार कर लिया। इसलिये इस झगड़े को खत्म करने का सब से सीधा रास्ता यह है कि उर्दू और हिन्दी दो अलग अलग भाषायें मान ली जायें जैसा कि हमारे संविधान में माना गया है, और दोनों की उन्नति का प्रयत्न किया जाय। जब मैं हिन्दी की उन्नति की बात कहता हूं तो यह न समझा जाय कि मैं उर्दू या अन्य भारतीय भाषाओं की उन्नति नहीं चाहता।

हिन्दी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को और भी कुछ करना है और मैं बहुत संक्षेप में इस

विषय में कुछ बातें आप के सामने रखना चाहता हूं ।

१ – अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का योजनाबद्ध प्रचार और इस के लिये पर्याप्त धन का व्यय ;

२ – केन्द्रीय राज्य कर्मचारियों को हिन्दी की शिक्षा । जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों उन की वेतन वृद्धि, जो न हों उन की तरक्की रोकी जाय ।

३ – पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य सभी प्रकार के साहित्य और शब्दावली का निर्माण ।

४ – हिन्दी का काम करने के लिये हिन्दी कर्मचारियों की एक संगठित सर्विस ।

५ – हमारे वैदेशिक दूतावासों में हिन्दी का तथा अन्य भारतीय भाषाओं का एक एक वृहत् पुस्तकालय और सैरोमोनियल कामों में हिन्दी का ही उपयोग ।

६ – हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के कुछ पत्रों को पूर्ण पत्र बनाना जैसे कि अंग्रेजी में निकलते है और इसके लिये कागज, विज्ञापन और दूसरे प्रकार की सभी सहायता उन पत्रों को देना ।

भाषा के सम्बन्ध में मैंने आप से कहा, अब मैं एक और विषय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं ने अभी आप से कहा कि हमारे देश में निर्माण का काम चल रहा है, एक तरफ चल रहा है बौद्धिक निर्माण का काम और दूसरी तरफ चल रहा है आर्थिक निर्माण का काम । आर्थिक निर्माण का जहां तक सम्बन्ध है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है । और कृषि प्रधान देश में जब तक हम गोरक्षा की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम आर्थिक निर्माण नहीं कर सकते । मैं कई बार कह चुका हूं कि आप देखें कि कलकत्ता और बम्बई के कसाई खानों में हमारा अच्छे से अच्छा पशुधन काटा जा रहा है । मेरा विश्वास है कि अच्छे पशुओं को रक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि गोवध कतई बन्द न हो ।

फिर हमको गौ की नस्ल सुधारना चाहिये । गोसंवर्धन काउंसिल ने इस सम्बन्ध में कुछ अच्छे निर्णय किये हैं । हमारे परम मित्र श्री ढेबर भाई उस के अध्यक्ष है । लेकिन मैं उन से आप के मारफत कहना चाहता कि गोसंवर्धन काउंसिल के उन अच्छे निर्णयों को भी कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा रहा है । उस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिये ।

अन्त में मैं गो संवर्धन काउंसिल के अध्यक्ष श्री ढेबर भाई के एक भाषण का कुछ अंश पढूंगा जो उन्हों ने गो संवर्धन काउंसिल के एक अधिवेशन में दिया था । उन्हों ने कहा था :

> "यदि कृषि हमारे अर्थशास्त्र की नींव हैं तो गाय भारतीय कृषि की नींव हैं । हमें बैलों की आवश्यकता हैं और वह हमें इस देश की परिस्थिति में गाय से ही मिल सकते हैं । गाय हमें दूध देती हैं और मुख्यत: खाद देती है । देश की दूध की आवश्यकता आर्थिक दृष्टि से गाय ही पूर्ण कर सकती हैं और अंत में मैं कहूंगा कि पशुपालन जिस का केन्द्र गाय हैं, इस देश का एक प्रधान धन्धा है ।"

उपाध्यक्ष जी, निर्माण के इस कार्य में हिन्दी और गोरक्षा दोनों का परस्पर सम्बन्ध है । हिन्दी और हमारी अन्य भारतीय भाषाओं से हमारे मस्तिष्क का सम्बध है, गाय से हमारी शरीर का सम्बन्ध है । मस्तिष्क काम नहीं कर सकता बिना स्वस्थ शरीर के और शरीर नहीं चल सकता बिना मस्तिष्क के । इसलिये निर्माण के काम में इन दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है और यदि हम निर्माण चाहते हैं इस देश का तो हमें बौद्धिक और आर्थिक निर्माण के लिये हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं और गोरक्षा इन दोनों चीजों पर समान रूप से ध्यान रखना होगा ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : माननीय वित्त मंत्री को शायद यहां पसंद नहीं कि विरोधी दल के सदस्य उन की त्रुटियां निकालें। लेकिन वह स्वयं विरोधी दल की भावनाओं को हर प्रकार से कुचलने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। उन को यह महसूस करना चाहिये कि लोकतंत्र में विरोधी दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विरोधी दलों के बिना उस का विकास सम्भव नहीं।

उनको सबसे अधिक आपत्ति इस बात पर है कि विरोधी दल के सदस्यों ने यह क्यों कहा कि वह भिक्षापात्र ले कर घूमे हैं विदेशों में। इसके तथ्य देखिये।

१९५७ से १९६१ तक अमरीका ने हमको ११९.९० करोड़, कनाडा ने ८१.६४ करोड़, आस्ट्रेलिया ने ११.९० करोड़, न्यूज़ीलैंड ने ३.०३ करोड़, इंगलैंड ने .४९ करोड़, नार्वे ने .८९ करोड़ और फोर्ड फाउंडेशन ने ६.९७ करोड़ रुपये की सहायता दी थी। इस प्रकार कुल सहायता २२४.८६ करोड़ रुपये की बैठती है।

अब प्रश्न है कि क्या हम केवल दानों और अनुदानों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, या आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हमें अपने निर्यात संवर्धन का अधिकाधिक प्रयास करना चाहिये। वह केवल राज्य व्यापार निगम बना देने से नहीं होगा। हमें एकाधिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना चाहिये।

सरकार ने सरकारी उपक्रमों की खामियों की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। प्राक्कलन समिति ने ऐसी कई खामियां बतलाई थीं। ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि सरकारी उपक्रमों से सरकार को लाभ हो, हानि नहीं। ८८५ करोड़ रुपयों के विनियोजन से हम को १० करोड़ का भी लाभ नहीं हो पाता।

संघीय उत्पादन शुल्क में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। अब तो हर चीज़ पर उत्पादन शुल्क लगने लगा है। नये उत्पादन शुल्कों से लगभग २७ करोड़ रुपये मिलेंगे। इसकी वसूली पर ही हमें काफी व्यय करना पड़ेगा।

इस प्रक्रिया में कई त्रुटियां हैं, जिनको दूर करने से अधिक लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश के हर गांव में एक चीनी फैक्टरी है। उस ने जितना माल भेजा उस के केवल ७५ प्रतिशत पर माल-भाड़ा चुकाया, जिस से सरकार को १,२९,१८३-८-६ की हानि हुई। इसलिये कि लादने के समय माल को ठीक से तौला नहीं गया था। देश में ऐसी २०० चीनी मिलें हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कुल मिला कर सरकार को कितनी हानि होती है।

कोयला-परिवहन की नयी प्रणाली के फलस्वरूप देश को बड़ी हानि हो रही है। इसलिये कि कोयले के लिये नये ढंग के माल-डिब्बे होते हैं और उन को खाली लौटना पड़ता है।

देश में काफी अपव्यय हो रहा है। नई दशमिक प्रणाली के सिक्के तथा बांटों के निर्माण पर १२.४४ करोड़ रुपयों का अपव्यय हो रहा है।

प्रबन्ध इतना है कि खाद्यान्न के वितरण पर भी हमें काफी घाटा पड़ता है। असैनिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन से पता चलता है कि डिपो के कुप्रबन्ध के कारण ही हमें १११.८ करोड़ रुपये की हानि होती है।

माननीय वित्त मंत्री अपने निजी व्यय के क्षेत्र में बड़े मितव्ययी हैं। उनको देश की राशि के व्यय का अपव्यय भी रोकना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्रालय के प्रतिवेदन में अफीम विभाग का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जबकि वह काफी विदेशी मुद्रा लाता है।

मैं ने नीमच के एक तस्कर व्यापारी को सजा दिलाने की कोशिश को थो। उस का मुकदमा तीन साल तक चला और वह बरी हो गया था।

ऐसे मामले राज्य-पुलिस को नहीं सौंपने चाहियें। राज्य पुलिस रिश्वतें ले कर ऐसे मामले ठंडे कर देती है। इस तरह के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं।

ऐसी कोई व्यवस्था को जानी चाहिये कि ऐसे मामलों में तुरन्त कार्यवाही हो सके।

विश्व कृषि प्रदर्शनी में "भारत कृषक समाज" को सरकार की ओर से भूमि दी गई थी, जिस का बिल अन्त में ३२ लाख रुपये का सरकार को ही चुकाना पड़ा। यह अपव्यय ही तो है।

विदेशों में स्थित हमारे मिशनों में भी इसी प्रकार की चोजें चल रही हैं। उनमें ऐसे व्यक्ति भेजे जाते हैं जिन को भारत के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं रहती। कई अधिकारी रुपये खा जाते हैं। लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं।

एक भारतीय मिशन में १६,००० रुपये का चैक भुनाने में जालसाजी की गई थी।

यहीं दिल्ली में एक कान्स्टेबिल ने बिना बत्ती चलने वाले साइकिल सवारों का चालान कर के १७,००० रुपये वसूल किये और उन सबका गबन कर लिया। आयकर की भी ऐसी अपवंचना होती रहती है। इन सबको रोकना अत्यावश्यक है।

खाद्यान्नों के कुप्रबन्ध के कारण बहुत हानि हुई है। बिहार, आसाम, मध्यप्रदेश, राजस्थान त्रिपुरा आदि अनेक स्थानों पर यह देखने में आया है कि लाखों मन गेहूं भेजा तो गया है किन्तु वह अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचा ही नहीं है। उसका पता ही नहीं है कि वह कहां गया। इस प्रकार की कार्य कुशलता तो हमारे यहां मिलती है। जनता को गेहूं मिला ही नहीं। एक ओर जनता गेहूं के लिये तरस रही है और दूसरी ओर गेहूं इस प्रकार बिगड़ रहा है। यही हाल चावल का भी है। सैंकड़ों मन चावल चोरी छिपे जा रहा है। बम्बई में लोग चावल के लिये हाहाकार कर रहे हैं। सैंकड़ों ट्रक इधर से उधर जा रहे हैं और निरीक्षक लोग धन कमा रहे हैं। इस प्रकार की बातों की रोकथाम करनी चाहिये। यह प्रशासन के लिये धब्बा है कि इस प्रकार का कार्य हो रहा है।

प्राक्कलन समिति ने कई बार इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि हमारी वित्त व्यवस्था ठीक नहीं है। प्राक्कलन ठीक ढंग से नहीं किये जा रहे हैं। अतिरिक्त अनुदान दिये जाते हैं किन्तु उनका उपयोग किया नहीं जाता। पुराने अनुदान ही बच जाते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि आयव्ययक जिस ढंग से बनाया जाता है वह व्यवस्था ही गलत है। अतः आयव्ययक व्यवस्था पर कठोर नियंत्रण होना चाहिये। आशा है कि वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे।

†**श्री सचीन्द्र चौधरी** (घाटल) : हमारा देश एक विशाल देश है और बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि प्रशासन का भी विस्तार किया जाये। लेकिन ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कुछ भूलें रह जायें अतः उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिये।

यदि आयव्ययक में कोई कमी रह जाती है तो उसे दूर किया जाना चाहिये। प्रशासन व्यवस्था में कोई कमी है तो उसे दूर किया जाना चाहिये। मेरा निवेदन तो यह है कि हमें इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान न देकर यह काम करना चाहिये कि हम यह सोचें कि भविष्य में हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं। अतः हमें अधिक से अधिक प्रगति की बात सोचनी चाहिये। हम ने जो योजनायें तैयार की हैं उनकी पूर्ति के लिये पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सचीन्द्र चौधरी]

सभी सदस्यों ने योजना की प्रशंसा की है और उस की आवश्यकता पर बल दिया है किसी ने यह नहीं कहा है कि उसे खतम कर देना चाहिये । अतः हमें इस योजना को पूरा करना चाहिये ।

अब हमें यह देखना है कि इस योजना के लिये हम कितनी राशि देश में से इकट्ठा कर सकते हैं तथा कितनी राशि बाहर से ले सकते हैं ।

जिन देशों ने हमें धन दिया है वह इसलिये नहीं दिया है कि हम गरीब हैं अथवा वे हमारी सहायता करना चाहते हैं । बल्कि इसलिये दिया है कि हम प्रगति कर सकें । उन का हमारे देश के भविष्य में विश्वास है वे जानते हैं कि हमारा देश भविष्य मे उन्नति करेगा । साथ ही वे यह भी जानते हैं कि उन्हों ने जो राशि हमें दी है वह सुरक्षित है और मार में नहीं है । इस कारण हम यह नहीं कह सकते कि हम किसी देश के पास भिखारी के रूप में गये हैं । हम तो सभी के पास एक भाई के नाते से अथवा एक दोस्त के नाते से गये हैं और कहा है कि हमारी सहायता कर सकते हो तो करो और उन देशों ने तुरन्त ही हमारी सहायता की है ।

मैं इस खयाल का नहीं हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में कोई विवाद है । वह एक ही देह के दो अंग हैं । महत्व इस बात का है कि प्रशासन अच्छा है या नहीं और क्या ऐसी वस्तुएं पैदा की जायें, जो देश के काम आ सकें । कम्पनी अधिनियम, वित्त अधिनियम आदि ऐसे साधन हैं जिन के द्वारा यह निश्चित किया जा सकता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र अपना कार्य अच्छी तरह निभा रहा है ।

जहां तक करारोपण का सम्बन्ध है, यह देखना वित्त मंत्री का कर्तव्य है कि कितना कर लगाया जाये । कम्पनियों के मामले में करारोपण ४५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत कर दिया गया है । ऐसा करने से गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथों में पूंजी इकट्ठी नहीं होती । इस लिये यह खयाल रखना जरूरी है कि गैर-सरकारी व्यक्तियों से सरकारी क्षेत्र के लिये जो कुछ लिया जाये, इस का उचित प्रयोग हो रहा है या नहीं । मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय ने ऐसा किया है ।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध हैं, यह केवल उन लोगों से नहीं लिया जाता जो कमाते है, बल्कि उस बड़ी संख्या से भी जिनकी आय अधिक नहीं होती । इसका कारण यह हैं कि हमारे देश में आय-कर बहुत कम लोगों पर लगता है, इसलिये ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है जिसके अनुसार सब व्यक्ति अंशदान कर सकें । यह अंशदान धन के रूप में या श्रम के रूप में हो सकता हैं ।

हम देखते हैं कि योजना के लिये, निर्यात अधिकाधिक आवश्यक होते जा रहे हैं और निर्यात तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक हम वे वस्तुएं पैदा न करें, जिन की विदेशों में आवश्यकता हैं और उनके मूल्य उचित हों । इस प्रयोजन के लिये सब प्रयत्न किये जाने चाहियें । कारखानों के श्रमिकों को आवश्यक सुविधायें दी जानी चाहियें किन्तु उनकी स्थिति सुधारने में हम एक और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग पैदा न कर दें, क्योंकि यदि हम मिलों के श्रमिको को अधिकाधिक देते जायें, तो हमें यह भी देखना चाहिये कि ग्रामों में लोगों को क्या मिल रहा हैं और वे कैसे रह रहे हैं ।

हमारी अर्थव्यवस्था को दृढ़ रखने के लिये यह भी आवश्यक है कि आयात कम किये जायें । आयात लाइसेंस देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ये उन चीजों के लिये दिये जायें, जो उद्योग चलाने के लिये आवश्यक हैं और अत्यावश्यक कच्चे माल के लिये दिये जायें ।

राष्ट्रीय एकता के हित में यह भी आवश्यक हैं कि विभिन्न प्रदेशों में उद्योग, इस बात को ध्यान में रख कर नहीं स्थापित किये जायें कि वहां उनकी आवश्यकता हैं, बल्कि इस बात की कि उस प्रदेश को राष्ट्रीय दृष्टि से क्या लाभ होगा ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : यद्यपि कांग्रेस के बहुमत के कारण वित्त विधेयक पास हो जायेगा। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि हम लोकतन्त्रीय पद्धति अपनाये हैं और समाजवादी समाज की रचना हमारा लक्ष्य है। हमें संसार को दिखाना चाहिए कि प्रजातन्त्र का संगठन खर्चीला नहीं है। खेद है कि हमारे देश में केन्द्र तथा राज्यों में मन्त्रिमण्डलों का निर्माण प्रशासन में बचत का विचार न करते हुए किया गया है।

सरकार ने यह स्वीकार किया है कि राज्य क्षेत्र अतिरिक्त आवश्यक संसाधन नहीं जुटा सका है। इसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिये। क्या केन्द्र ने राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करके अधिक जिम्मेदारियां तो नहीं ले ली है? राज्यों के पास कुछ अच्छे आय के साधन होने चाहियें जिनसे वे अपनी कठिनाइयों पर विजय पा सके। वित्त मन्त्री द्वारा की गई करों की रियायतों की घोषणा से जनसाधारण को कोई लाभ नहीं हुआ है।

वित्त मन्त्री की खादी हथकरघों और बिजली से चलने वाले करघों को कुछ रियायतें देने की घोषणा का स्वागत है परन्तु यह संदिग्ध है कि यह छूट छोटे पैमाने के उद्योग को बड़ी मिलें:—जिन्हें कुछ सुविधायें प्राप्त है—से वास्तविक सुरक्षा दिलाने के लिये पर्याप्त होंगी। आयात पर लगे प्रतिबन्धों के फलस्वरूप आयात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य स्वाभावित: बढ़ जायेगा और फर्मों को बहुत अधिक लाभ होगा। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या उस लाभ का कुछ अंश सरकारी खजाने में आ सकता है।

वित्त मन्त्री ने व्यय-कर को हटाने के लिए कोई सारभूत तर्क नहीं दिया। इस कर का उद्देश्य निजी खर्च पर प्रभावशाली रोक लगाना था। यदि इसका संग्रह नहीं हुआ है तो सरकार को इसके लिये तरीके निकालने चाहियें। यह एक आवश्यक कानून था जिससे समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने में सहायता मिलती। इस सारे विषय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। अब समय आ गया है कि हमें कुछ कदम उठाने चाहियें, जिससे कि आम जनता सरकार के ऋण लेने के कार्यक्रमों में अधिक उत्साह से पूंजी लगाये और अंशदान दे।

प्रशासन में कार्यकुशलता के अभाव और त्रुटियों के कारण योजना के लिये नियत धन पूरा लोगों खर्च नहीं हो सका है और उसमें प्रत्याशित प्रगति नहीं हुई है। इस कमी को पूरा करने के लिये गरीब लोगों से और धन देने के लिये कहना न्यायसंगत नहीं है। हम लोगों से केवल विकास के नाम पर ही करके अतिरिक्त बोझे ढोने के लिये कह सकते है।

श्री मूलचन्द दुबे (फर्रुखाबाद) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक पुराना शेर है जो किसी दूसरे दिन पढ़ा गया था उसको मैं आपको पढ़ कर सबसे पहले सुनाना चाहता हूं। शेर इस तरह है :—

मुझ से लाहासिल है मेरी हसरतों का पूछना।
तुम वही आखिर करोगे जो तुम्हारे दिल में है।

हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब वही करेंगे जो कि उन के जी में है। लेकिन चूंकि हमें कुछ न कुछ कहने को कहा जाता है लिहाजा कहना ही पड़ता है।

पहली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं यह है कि इस सदन में कम से कम ऐसा इंतजाम हो जाना चाहिये कि किसी भी भाषा में कोई माननीय सदस्य बोले लेकिन दूसरे जो माननीय सदस्य हैं, वे उसके भाषण को अपनी भाषा में सुन सकें। जिस तरह से शायद यहां दिल्ली में भी इन्तजाम हैं और युनाइटेड नेशन्ज में भी है कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग वहां पर आते हैं और अपनी अपनी भाषा में बोलते है लेकिन दूसरे जिस भाषा में भी उसकी स्पीच को सुनना चाहते है, उस भाषा में

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मूलचन्द दुबे]

सुन सकते हैं, उसी तरह से यहां भी इन्तजाम होना चाहिये। यहां सदन में ऐसा इन्तजाम होना चाहिये कि कोई भी भाषा में कोई माननीय सदस्य भाषण करे लेकिन दूसरे माननीय सदस्य जिस भी भाषा में उसके भाषण को सुनना चाहें, उस भाषा में सुन सकें। चाहे कोई अंग्रेजी में बोले, हिन्दी में बोले, उर्दू में बोले या किसी दूसरी भाषा में बोले, दूसर लोग उसको जिस भाषा में भी चाहें सुन सकें, ऐसा प्रबन्ध इस सदन में होना चाहिये।

यह जो अंग्रेजी भाषा है यह कब तक चलती रह सकती है। वह टूटी, फूटी अंग्रेजी भाषा कब तक हम बोलते रह सकते हैं। इस सदन में पांच सात माननीय सदस्यों को छोड़ कर कोई भी सही अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। पांच सात माननीय सदस्य ही अच्छा तल्लुफज कर सकते हैं। पुराने जमाने की बात है। यहां बहस हो रही थी। एक अंग्रेज आया और जब उसने अंग्रेजी में ही भाषणों को होते सुना तो उसने कहा कि क्या इन लोगों की कोई अपनी भाषा नहीं है जो ये अंग्रेजी बोल रहे है। वह समय था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेज हमारे मालिक थे, हम पर राज्य करते थे। उस वक्त हमको अंग्रेजी में बोल कर समझाने की उनको जरूरत थी। लेकिन अब यह बात नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी में ही बोला जाए। अगर फिर भी कुछ माननीय सदस्य हैं जो सिवाय अंग्रेजी के दूसरी भाषा बोलना पसन्द नहीं करते हैं तो उनके लिये भी यह इन्तजाम हो जाना चाहिये कि जैसे यू० एन० में है कि चाहे कोई जिस भाषा में आदमी बोले सुनने वाला जिस भाषा में उसको सुनना चाहे, उस भाषा में सुनने की उसकी सुविधा है। हरएक आदमी यन्त्र को काम में लगा लेता हैं और वही भाषा सुनता है जिसको सुनना चाहता है। यह इन्तजाम कम से कम कर देना चाहिये क्योंकि अंग्रेजी हम आखिर कब तक चलायेंगे और कब तक वह हमारे देश में चलती रहेगी।

लैंग्वेज कमीशन की जो रिपोर्ट हैं उसको देखने से मालूम होता है कि हिन्दुस्तान भर में कोई भी प्राविन्स ऐसा नहीं है जिसमे २ परसेन्ट से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले हैं, और अगर २ परसेन्ट से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले किसी प्राविंस में नहीं है तो क्यों अंग्रेजी बोलने वालों की दूसरी जमात हम लोग बनाना चाहते हैं। जाति पांत तो हम लोगों ने मिटा दिया। अब भारत में कोई जाति पांत नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजी पढ़े लिखो की जात मौजूद है। उनका दूसरों से सम्बन्ध नहीं हैं, उनके रहने का तरीका दूसरा, उनके कपड़े पहनने का तरीका दूसरा, उनके खाने का तरीका दूसरा, उन को हर बात दूसरी हैं। जहां हम लोगों ने जाति पांत को मिटा दिया वहां पर दूसरी जाति को कायम कर दिया, अंग्रेजी पढ़े लिखों को और गैर अंग्रेजी पढ़े लिखों को। किसी तरह से इसे भी मिटाना हैं। अगर हिन्दुस्तान में एकता लानी है तो यह बात भी जरूरी है कि यह चीज मिटाई जाय। इसे मिटाने के लिये कोई कदम नहीं उठाये जा रहे है, यह बात मुझे साफ मालूम हो रही हैं, बल्कि कोशिश यह की जा रही है कि अंग्रेजी और चले। अंग्रेजी चलाने में मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी चलने के साथ हिन्दुस्तान के लोग आपस में अलग अलग हो जायें, यह बात खराब है। यह बात नहीं होनी चाहिये कि लोगों के दिल में यह बात पैदा हो जाय कि अंग्रेजी पढ़े लिखे दूसरी कौम है और हिन्दी पढ़े लिखे दूसरी कौम है, हिन्दी बोलने वाले दूसरे है और अंग्रेजी बोलने वाले दूसरे है। अंग्रेजी से मुझे कोई नफरत नहीं हैं, अंग्रेजी मैंने काफी पढ़ी हैं और थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल भी सकता हूं। जैसा दूसरे साहब बोलते वैसा ही बोल सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उस अंग्रेजी के बोलने से कोई खास फायदा नहीं हैं। पहली बात जो मैं अर्ज करना चाहता था वह इस अंग्रेजी के बारे में अर्ज करना चाहता था।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि मुद्दत हुई जब एक वक्त था कि रेलवे बजट दूसरे बजट से अलग कर दिया गया था। रेलवे बजट अलग था और जनरल बजट अलग था।

वह क्यों किया गया ? गालिबन इस लिये किया कि यह देखा जाय कि हम ने जो करोड़ों रुपया रेलवे पर लगा रखा है उस से हमे कुछ मिलता है या नहीं । लेकिन उस वक्त शान्ति का वक्त था, उस वक्त यह जरूरी नहीं था कि रेलवे जो है वह डिफेन्स को भी देखे कि हमारे देश के बचाव के लिये भी रेलवे का फर्ज है या नहीं । मगर अब रेलवे एक सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न नहीं रह गई है । आज सोचा जाता है कि रेलवे जो रखी गई है उस से कितना फायदा निकल सकता है, और हम भी दरअस्ल जब बजट पेश होता है तो इसी निगाह से देखते हैं कि कितना रुपया रेलवे ने दिया है । हमारे सारे बजट को कितना रुपया रेलवे से मिला है, और कितना मिलना चाहिये या कितना नहीं मिलना चाहिये । रेलवे भी इस तरीके से देखना चाहती है कि हम कितना फायदा गवर्नमेंट को दे सकते हैं । यह भी एक गलत तरीका मालूम होता है । आज इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है कि रेलवे को सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न होना चाहिये । जब तक देश में शान्ति थी हमें किसी से खतरा नहीं था, तब तक यह बात ठीक थी, लेकिन इस वक्त पर मैं समझता हूं कि कई सालों से देश के सामने खतरा है । कम से कम एक खतरा तो सामने ही नजर आ रहा है कि कुछ मुल्क, जो कि हमारे पड़ोस में हैं, ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि हम पर हमला कर दिया जाय । कभी हम पर हमला करने की तैयारी चीन कर रहा है कभी कोई और कर रहा है । कुछ न कुछ हो रहा है, ऐसी सूरत में हमें तैयार होने की जरूरत है । हमें तैयार हो जाना चाहिये । अब सवाल यह है कि वह तैयारी जो है वह रेलवे के अलग रहने से हो सकती है या नहीं । मेरा खयाल है कि रेलवे बजट को दूसरे बजट के साथ शामिल कर लेने से ज्यादा अच्छी तैयारी हो सकती है । उस के बाद हम यह नहीं देखेंगे कि कितना नफा होता है, कितना रुपया जनरल बजट में हम दे सकते हैं । यह बात सामने न रह कर, यह बात सामने रहेगी कि हम देश को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, कहां तक उस को खतरे से बचा सकते हैं । जितना भी डेवेलपमेंट है वह सब खत्म हो जायेगा अगर हिन्दुस्तान पर खतरा आयेगा । सब से पहले देश को बचाने का इन्तजाम होना चाहिये, उस के बाद डेवेलपमेंट की तरफ देखने की जरूरत है । मेरा खयाल है कि इस तरफ ध्यान न दे कर कि कितना डेवेलपमेंट हो रहा है, सब से अधिक ध्यान देना चाहिये कि हम अपने देश को खतरे से बचाने के लिये क्या करें । देश को खतरे से बचाने के लिये, मैं समझता हूं, रेलवे बजट को रखना ठीक नहीं है ।

इसी सिलसिले में मैं अर्ज करूं कि जो भी रेलवे लाइन्स हैं वे इस खयाल से देखी जाती हैं कि उन पर कितना सूद मिलेगा. कितना फायदा उन से मिल सकेगा, इस लिये नहीं देखी जाती हैं कि मुल्क के बचाव के लिये उन की कितनी जरूरत है । अब सवाल यह है कि हमारे यहां जितनी रेलवे लाइन्स हैं, उन से ज्यादा होनी चाहियें । मैं एक अर्से से कह रहा हुं, और कई दफे यहां कह चुका हूं और फिर से दोहराता हुं, कि फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर के बीच की जो लाइन है, उस को चला कर दोनों जगहों को मिलाना बहुत जरूरी है । फर्रुखाबाद भी कैन्टोनमेंट है और शाहजहांपुर भी कैन्टोनमेंट है । शाहजहांपुर से रेलवे चली गई है उत्तरी हद्द तक । अगर हम को वहां जाने की जरूरत पड़े तो हमारे लिये जो रास्ता है वहां पहुंचने के लिये वह यही है । यहां से सीधा रास्ता मिलता है । हमारी सरकार उसे क्यों छोड़ रही है यह मेरी समझ मे नहीं आता है । मालूम होता है कि रेलवे यह देखती है कि हमें इस से कितना फायदा होगा या हमें कितना परसेन्टेज इस से मिलेगा । जहां परसेन्टेज देने की बात आती है वहां दिक्कतें नजर आती हैं । परसेन्टेज देखने की बात तभी छूट सकती है जब हम रेलवे बजट को जनरल बजट में शामिल कर दें । और बातें कहां तक इस से हो सकती हैं, यह बाद में देखने की जरूरत है । अगर इस निगाह से देखा जायेगा तो यह लाइन जो है उसे बनाना डिफेन्स के लिहाज से जरूरी हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह रेलवे बजट नहीं है, डिफेन्स बिल के बारे में आप कहिये ।

श्री मूल चन्द दुबे : यह चूंकि फाइनेन्स बिल है इस लिय इस में सब बातें आती हैं, कोई एसी चीज नहीं है जो इस के अन्दर न आती हो ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम ने रेलवे बजट पर चर्चा की थी ।

श्री मूल चन्द दुबे : रेलवे भी फाइनेन्स बिल मे आतो है । माफ कीजियेगा, फाइनेन्स बिल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो न आती हो, और कोई चीज रोकी नहीं जा सकती । जरा इसका ध्यान रखा जाय । रूल्स में भी यह बात लिखी हुई है ।

मैं अर्ज कर रहा था कि जरूरत इस बात की है कि हमारे डिफेन्स के लिये पूरा इन्तजाम होना चाहिये । इस में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिये । अगर डिफेन्स का इन्तजाम ठीक से नहीं होता तो नतीजा यह होगा कि जितनी तरक्की हम कर रहे हैं या करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह सब बेकार हो जायेगी । इस लिये डिफेन्स की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और डिफेन्स की तरफ ध्यान देने के लिये, जैसा मैं ने अर्ज किया, रेलवे की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है ।

यही चन्द बातें हैं जिन के बारे में मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता था और ज्यादा वक्त न ले कर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं ।

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्त शासी जिले) : राष्ट्रीय एकता परिषद् का काम बहुत महत्वपूर्ण है और अब इसे पहले से अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि योजना आयोग की तरह यह निकाय भी सरकार से भी ऊंची हो जाये ।

मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह प्रादेशिक हलकों का एक गुट है, जिसे प्रधान मंत्री ने इकट्ठा रखा हुआ है । इन हलकों को तोड़ना राष्ट्रीय एकता परिषद् का काम है । किन्तु इस ने अपना काम ठीक तरीके से शुरू नहीं किया । इसे दो चीजों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । भाषा का विषय और आने वाली पीढ़ी का विकास उन बच्चों में जो अब स्कूलों और कालेजों में हैं राष्ट्रीय दृष्टिकोण और भावना उत्पन्न करनी चाहिये ताकि वे अपने आप को भारतीयों के सिवा और कुछ न समझें ।

भावनात्मक एकता समिति ने सिफारिश की है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषा माध्यम होनी चाहिए । यह गलत बात है । इस का मतलब प्रादेशिक राजनीति को रियायत देना होगा ।

सारे देश के लिए एक भाषा होनी चाहिए । यह सब स्कूलों में न केवल अनिवार्य विषय हो बल्कि शिक्षा का माध्यम भी होना चाहिए । शिक्षा का अधिक केन्द्रीयकरण होना चाहिए । इसे माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर करना चाहिए । शिक्षा मंत्रालय को 'आल इण्डिया स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट' परीक्षा आरम्भ करने की योजना पर विचार करना चाहिए । इस से सारे देश के नवयुवकों में एकता की भावना उत्पन्न होगी ।

शिक्षा मंत्रालय इस योजना के महत्व को समझता है, परन्तु वे इस योजना को अपनाने से डरते हैं ।

आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों की बहुत दिनों से उपेक्षा की जा रही है । उन क्षेत्रों का अन्तिम हल पूर्वी भाग के पहाड़ी प्रदेशों का एक अलग राज्य बनाना ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुछ बातें कर सकती है जिसे वहां के लोग पसन्द करेंगे ।

पहाड़ी लोगों के लिये पहाड़ी क्षेत्रों में शिलांग जैसे स्थान में अलग से विश्वविद्यालय खोलना चाहिए । आसाम सरकार ने इस क्षेत्र में शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है ।

पहाड़ी लोग आसामी भाषा को सरकारी भाषा और आसाम में शिक्षा का माध्यम बनाये जाने के विरुद्ध हैं । पहाड़ी लोगों के लिए जो विश्वविद्यालय हो उस में शिक्षा के माध्यम का निर्णय पहाड़ी लोगों के हाथ में होना चाहिए ।

केन्द्र पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए आसाम सरकार को प्रति वर्ष काफी राशि देता है, परन्तु आसाम सरकार उस धन को इस काम के लिए खर्च नहीं करती । केन्द्र द्वारा पहाड़ी लोगों के कल्याण के लिए आसाम सरकार को दिये जाने वाले अनुदानों का केवल २० प्रतिशत उपयोग में लाया जाता है और शेष धन लौटा दिया जाता है । राज्य सरकार ने पहाड़ी लोगों के कल्याण के लिए अपनी ओर से कोई भी परियोजना आरम्भ नहीं की है । ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दी गई राशि मैदानी क्षेत्रों के लोगों पर व्यय की जाती है । इस सम्बन्ध में असन्तोष दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आसाम को संविधान के अनुच्छेद ४६ के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदानों के उपयोग का निरीक्षण करने के लिए एक स्थायी समिति नियुक्त करनी चाहिए जिस में संसद् के भी कुछ सदस्य हों ।

†**श्री जेना** (भद्रक) : भारत में समाजवादी ढांचे वाले समाज का निर्माण करना है । हम बेरोजगारी, गरीबी, लोगों के रहने के निम्न स्तर के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं । भारत समाजवादी व्यवस्था के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है ।

भारत की अधिक जनसंख्या देहातों मे रहती है । देहाती लोगों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । देहात मे संचार व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए । देहात में टेलीफोन जैसे संचार के द्रुतसाधनों का भी विकास होना चाहिए ।

कुटीर उद्योगों ने देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण काम करना है । उन से कई लोगों को रोजगार मिलता है । राष्ट्रीय आय का समान वितरण होना है ।

हमारे देश मे कृषि प्रधान है । उस की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए । यह खुशी की बात है कि तृतीय योजना में खाद्यान्न में हम आत्म निर्भर हो जायेंगे । हमे अपनी फसलों को बाढ़ तथा सूखे से बचाना चाहिए । सिंचाई की ओर अधिक सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए और सूखे तथा बाढ़ से कृषकों के बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए ।

उड़ीसा में हरिजनों को आवास सम्बन्धी सहायता बहुत कम दी जाती है । इसे बढ़ाना चाहिये; क्योंकि महंगाई में थोड़ी सी राशि जो दी जाती है उस से कुछ नहीं हो सकता । अस्पृश्यता निवारण के लिए अखिल भारतीय दलित जाति संघ ने काफी अच्छा काम किया है । सरकार को उसे सहायता देना बन्द नहीं करना चाहिए ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को समय पर छात्रवृत्तियां नहीं मिलती । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि छात्रवृत्तियां समय पर मिलें और उन्हें बढ़ाया जाये ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जेना]

उड़ीसा जैसे पिछड़े हुए राज्यों के विकास के लिये अधिक धन देना चाहिये ताकि वे खुशहाल तथा विकसित राज्यों के बराबर आ सकें।

†**श्री सुब्बरामन** (मदुरै) हमारे वित्त मंत्री ने आवश्यकता अनुसार करों में रियायत की घोषणा कर दी है।

चालीस नम्बर से ऊपर वाले लच्छेदार सूत पर से उत्पादन शुल्क हटा देना चाहिये; हाथ करघे को दिये जाने वाले सब सूत पर रियायत देनी चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि ५० करघों से अधिक बिजली से चलने वाले करघे के कारखानों को रियायत दी गई है। परन्तु भविष्य मे सूत के लिये उन्हें स्वयं अपना प्रबन्ध करना होगा। इस वक्तव्य के फलस्वरूप उन के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे यदि सरकार का यह इरादा है तो उन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी करनी चाहिये।

निर्यात बढ़ाने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये। जब तक हम निर्यात नहीं करेंगे हमारी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं होगी उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक उत्साह की आवश्यकता है। स्वदेशी भावना पैदा की जानी चाहिये। उसके बिना हमारा विकास बहुत धीमी गति से होगा।

[श्री मूलचन्द दूबे पीठासीन हुए।]

स्वदेशी भावना स्वतन्त्रता के बाद कम हो गई है इस भावना को फिर से लाना चाहिये।

कई कारखाने खोले गये हैं, परन्तु बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस के लिये सरकार कुटीर और ग्राम उद्योग खोल रही है बेरोजगारी की समस्या को हल करने का सर्वोतम उपाय खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देना है। केवल यही देश में पूर्ण रोजगार प्रदान कर सकते हैं। खादी और ग्रामोद्योग में उत्पादन को आसान बनाने के लिये निरन्तर गवेषणा की आवश्यकता है। इस से बेरोजगारी नहीं होनी चाहिये।

देश में बेरोजगारी कम करने के लिये सब योजनाओं और परियोजनाओं में जन-शक्ति संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिये।

कई ग्रामों मे लोग चावलों और तेल इत्यादि की मिलें चाहते हैं उन्हें बताना चाहिये कि बड़े उद्योगों से आखिर में समस्या का समाधान नहीं होगा।

ग्राम इकाई आन्दोलन को सरकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

सरकारी उद्योगों में कुशलता लाई जानी चाहिये ताकि उन के लाभ से राजस्व संसाधनों में वृद्धि हो।

जनसाधारण की अवस्था सुधारने के लिये वस्तुओं के मूल्यों में कमी होनी चाहिये।

हिन्दू अविभक्त परिवारों को आयकर में छूट देनी चाहिये।

चार से अधिक भागीदारों वाले फर्मों पर कर नहीं बढ़ाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मुरारका (झुझनू): मैं वित्त (संख्या २) विधेयक के प्रस्तावों के सम्बंध में ही बोलूगा।

पिछले दस वर्षों के दौरान कर, राजस्व और व्यय दोनों में काफी वृद्धि हो गई है हमारा राजस्व १९५१-५२ मे ५१२ करोड़ रुपया था, जो १९६१-६२ तक बढ़ कर १,०३६ करोड़ रुपया हो गया है। हमारा असैनिक तथा प्रतिरक्षा व्यय क्रमशः कुछ वर्षों में २३३ करोड़ रुपये से बढ़ कर ९२४ करोड़ रुपये और १७० करोड़ रुपये से बढ़ कर ३४३ करोड़ रुपये हो गया है।

इससे पता चलता है कि सरकारी वित्त कितना महत्वपूर्ण है।

मैं पूंजीगत लाभ का प्रश्न पहले लेना चाहता हूं। बहुत दिनों से सोचा जा रहा है कि पूंजीगत लाभ का अल्पकालीन और दीर्घकालीन वर्गीकरण किया जाये। पर वह हो नहीं पाया है। जब तक यह वर्गीकरण नहीं किया जायेगा, तब तक सट्टेबाजी पर कारगर तरीके से करारी पण नहीं किया जा सकेगा।

जहां तक अल्पकालीन लाभ का सम्बन्ध है, एक वर्ष की अवधि ही उचित है।

दीर्घ कालीन लाभों के सम्बन्ध में यह दर २५ प्रतिशत से अधिक नहीं रखनी चाहिये हां, लेकिन अल्पकाल में जितनी हानि हो वह कर लगने के बाद शेष बची लाभ की राशि में से काट दी जानी चाहिये।

सरकार को पूंजीगत लाभ के विषय पर विचार करते समय यह देखना चाहिये कि क्या कुल मिला कर और ज्यादा विमुक्तियां नहीं दी जा सकतीं। वह उचित रहेगा या नहीं।

स कार ने ऐसा तो कोई आश्वासन नहीं दिया कि समवायों पर लगने वाले कर में वृद्धि कमी नहीं ली जायगी। मैं यह नहीं मानता कि निगमों पर लगने वाले कर को ४५ से बढ़ कर ५० प्रतिशत कर देने से उन पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है।

सरकार की आलोचना करते समय हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि समवायों को जो लाभ हो रहा है व्ह सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों के कारण ही है विदेशों में लगने वाले करों से इसी-लिये अपने देश के कराधान की तुलना करना न्यायसंगत नहीं होगा।

विदेशों से प्रतियोगिता का मुकाबला तो सरकार को ही करना पड़ता है। समवायों को तो अपना एक सुरक्षित, सुनिश्चित बाजार मिल जाता है।

सरकार ने धन कर में ७५ प्रतिशत वृद्धि कुछ स्तरों पर कर दी है। वह जानबूझ कर नहीं की की गई है वह गलती से हो गई है। अब विचार किया जाना चाहिये, कि उस गलती को ठीक किया जा सकता है, या नहीं।

मैं मानता हूं कि धन कर के क्षेत्र में जो कुछ रियायतें दी गई हैं, उन को वापस ले लेने से लोगों में उतना उत्साह नहीं रह जायेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा तो कोई वचन नहीं दिया था कि धन कर की सभी रियायतें सदा बरकरार रखी जायेंगी।

घाटे के बारे में प्रक्रिया यह है कि उसे बट्टे खाते में लिख दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया में रद्दोबदल किया जाना चाहिये। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। अनेक वर्षों तक लाभ अर्जित करने के बाद जो घाटा हुआ हो, उसे बट्टे खाने में नहीं लिखा जा सकता। इस के सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिये।

सरकार ने अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में ही अधिकांश रियायतें दी हैं। उससे जनता को राहत मिलेगी मैं प्रजा समाजवादी दल के नेता की इस बात से सहमत नहीं कि इन रियायतों से जनता को कोई लाभ नहीं होगा सर्वथा उचित यही है कि यदि करों में कटौती हो तो उस से जनता का ही लाभ हो क्योंकि कर वृद्धि का भार भी तो उसी को संभालना पड़ता है।

श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : आदरणीय सभापति महोदय मैं श्री वित्त मंत्री महाशय के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं ।

पहली चीज यह है कि वित्त उसी धन को कहते हैं जिस से लाभ हो जिस धन से लाभ नहीं होता उसको वित्त नहीं कहा जाता यदि उस से लाभ होता है तब तो ठीक है तो मान्य वित्त मंत्री महोदय को अपना बजट इस रूप में रखना चाहिये जिस से राष्ट्र की उन्नति हो और यह हम सब की आकांक्षा है हम सब यही चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र की भलाई हो और जितना कर राष्ट्रवासियों सेलिया जाता है उस का ठीक उपयोग रष्ट्रवासियों की भलाई में किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये यही पर्याप्त है कि हमारे शरीर में यह जो हमारा उदर का भाग है यह हमारा वित्त मंत्रालय है। इस वित्त मंत्रालय को हम चारों तरफ से भोजन आदि ला कर देते हैं । और जो हमारे शरीर का वित्त मंत्रालय है वह उस भोजन को पाचन क्रिया के द्वारा रस, रक्त मांस मज्जा आदि में बदल कर शरीर को पहुंचाता है जिससे शरीर स्वस्थ रहे । इसी ढंग से हमारे राष्ट्र का काम चलना चाहिये जिस से कि राष्ट्र स्वस्थ रहे ।

आज से कोई ढ़ाई हजार वर्ष पूर्व भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य ने एक वचन कहा था :

सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति

हमारी भौतिक उन्नति सारी की सारी अर्थ के ऊपर आधारित है । अगर हमारे राष्ट्र का अर्थ का ढांचा ठीक है तो राष्ट्र की उन्नति बराबर होती चली जाती है । इसी के लिये कर लगाया जाता है । कर के हम विरोधी नहीं हैं कर लगाना ही चाहिये कर तो लिया ही जायेगा उस के बिना कार्य नहीं चल सकता । परन्तु यह कर लेना कैसे चाहिये? यह कर इस तरह लेना चाहिये जैसेकि मधु भक्षिका फूलों से मधु लेती है, कि फूल ज्यों का त्यों बना हुआ है और उसने मधु ले लिया । इसी तरह से कर इस प्रकार लेना चाहिये कि राष्ट्र के लोगों को पीड़ा न पहुंचे । इस ढ़ंग से शहद लिया जाये कि जो शहर का छत्ता है उस को भी नष्ट न किया जाय जिस से बराबर मधुपान करने वालों को मधु मिलता रहे अगर जो कर लिया जाता है उस का सदुपयोग किया जायेगा तो हमारा राष्ट्र बराबर बढ़ता चला जायेगा ।

एक मेरा अपना विचार है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । कुछ भाई दलीय आधार के ऊपर पूंजी और श्रम के अंदर बराबर झगड़ा समझते हैं । परन्तु राष्ट्र के लिये दोनों आवश्यक हैं । जिस राष्ट्र की पूंजी जितनी अधिक होगी वही राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा और समर्थ होगा । हमारे देश में जितने समृद्धिशाली महानुभाव हैं, वह कोई भी क्यों न हों, वह एक प्रकार से देश की सम्पत्ति के रक्षक हैं । हां उनका एक कर्त्तव्य है कि वह अपने धन का दुरुपयोग न करें । जनता से वह धन इस प्रकार से लेते जायें जिससे उसको महसूस भी न हो, उनको मालूम भी न पड़े और फिर उस धन का राष्ट्रोपयोगी कार्यों में उपयोग करें । पूंजी बहुत आवश्यक है । अलबत्ता इस बात की सावधानता रखनी चाहिये कि उसका सदुपयोग हो दुरुपयोग कदापि न हो । जो लोग पूंजी का दुरुपयोग करना चाहते हैं उनके लिये वेद ने यह कहा है :—

वधीर्हि दस्युं धनिनं धनेन"।

अर्थात् जो दस्यु धनी हो उसको लोहे के हथौड़े के नीचे रक्खो ।

एक माननीय सदस्य : धनी सब दस्यु होते हैं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : इसमें मैं अपने उन मित्रों से सहमत नहीं हूं कि सभी धनी दस्यु होते हैं । जो दस्यु धनी हों उनको तो कहा गया है कि लोहे के हथौड़े के नीचे रक्खो लेकिन ऐसे भी सम्पत्ति-

वान महानुभाव हैं जो कि अपनी सम्पत्ति राष्ट्र के हित के लिये धारण करते हैं। भामाशाह को भला कोई कह सकता है कि वह दस्यु धनी था? कौन नहीं जानता कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ के स्वाधीनता संग्राम को पुनः लड़ने के लिये भारी मात्रा में धन दिया जिसको कि लेकर राणा प्रताप ने सेना आदि फिर से इकट्ठा की और मेवाड़ की रक्षा की। जिसकी बुद्धि सही हो वह भामाशाह को दस्यु धनी नहीं कह सकता। श्रम भी हमारा धन है जितना अधिक हम श्रम करेंगे कार्य करेंगे उतनी अधिक राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़ेगी। अब इस श्रम करने वालों में केवल मजदूर ही नहीं हैं बल्कि राष्ट्र के सभी अंगों को राष्ट्र की समृद्धि के हेतु कठोर श्रम करना है। चाहे अध्यापक हों, चाहे इंजीनियर हों और चाहे सैनिक हों और चाहे कल कारखाने में काम करने वाले मजदूर हों सभी श्रमिक हैं और अपने अपने ढंग से वह श्रम करते हैं। यदि सभी अंग मिल कर श्रम करेंगे तो निश्चित रूप से देश समृद्धिशाली बनेगा। यदि उनमें से कोई ऐसा नहीं करता है अथवा वह देश के लिये बाधा बनता है तो उस पर अंकुश होना ही चाहिये और उसकी रोकथाम होनी चाहिये ऐसे लोगों और तत्वों पर यदि राष्ट्र का अंकुश नहीं होगा तो हमारी आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा जायेगी।

सम्पत्ति नाम केवल पैसे का ही नहीं है। सम्पत्ति पैसा है, गौ भी है और भूमि भी है। कई प्रकार की चीजें जो कि हमारी सम्पत्ति कहलाती हैं। सम्पत्ति के लिये हमारे यहां पहल पैसा मातपदंड नहीं

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

था बल्कि गोधन था और जिसके पास गायें अधिक होती थीं वह अधिक सम्पत्तिवान और शक्तिशाली समझा जाता था। लक्खी बनजारों के पास सामान ढोने के लिये काफी तादाद में बैल होते थे और भी उनके पास बहुत सी चीजें होती थीं। मैं अपने माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह उसी रूप में वाणिज्य को चलाने वाले एक शुद्ध बनियां बनें। बनिया बनना कोई बुरी बात नहीं है। बनिये को हमारी क्षेत्रीय भाषा में लाला कहा जाता है। लाला का अभिप्राय: ला, ला, ला। जो भी मिले ला। सब ले आओ। लेकिन उनको राष्ट्र के लिये दादा बनना चाहिये, दा, दा दो दो। इसी तरीके से हमारे समाज में ब्राह्मण को दादा कहा गया है। वह विद्या भी देता है और धन भी देता है। अपने बेटे को तो ताला, कुंजी सब कुछ यहां तगड़ी से निकाल कर सौंप देता है। इस तरीके से वह दादा कहलाता है। हमारे वित्त मंत्री महोदय बेशक बनिये बनें, लाला बनें और बनिया बन कर खूब धन इकट्ठा करें लेकिन बनिये के ऊपर दादा का अंकुश होना चाहिये। दादा उस बनिये से कहेगा कि अभी इधर दो, उधर दो......

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : दादा पंडित जी हैं।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : ठीक है उनको इस ढंग से दादा कहा जा सकता है। अब यह स्कूल, कालिज और शिक्षा, इतिहास का लाभ क्या है? यही तो लाभ है कि जो हम ने भूलें की हैं उनको छोड़ें। हमने जो अच्छा काम काज किया है उसको आगे भी प्रचलित रखें। इसलिये हमें इस ढंग से इनको देखना चाहिये और आर्थिक दृष्टि से अवलोकन करना चाहिये कि हम ने जिस सीमा तक भूलें की हैं उनको हम दुहरायें नहीं और उनका समन्वय ठीक से होना चाहिये। श्रम और पूंजी का समन्वय किया जाय और दोनों को सुसंगत बनायें। दोनों एक दूसरे के पूरक हों। जैसा कि साधारणतः कहा भी जाता है कि ज्ञान कर्म का प्रकाशक होता है और कर्म ज्ञान का पूरक होता है। वह ज्ञान विद्या किस काम की जो कर्म करने में मार्ग प्रदर्शन न करे और वह ज्ञान किस काम का जो कर्म करने के लिये उत्साहित न करे। इसलिये श्रम भी आवश्यक है और पूंजी भी आवश्यक है। दोनों का अपने अपने स्थान के ऊपर नियंत्रण रहना चाहिये। इस ढंग से समन्वयवादी होकर यदि हम चलेंगे तो यह अर्थकृत झगड़े हट जायेंगे। आज जो हम देखते हैं कि विवाद को शांत करने के लिये कमेटी बनाने की सलाह दी जाती है, तो उस हालत में यह कमेटियां रहेंगी ही नहीं क्योंकि हर आदमी यह सोचेगा कि मेरा यह काम है और जब अपना कर्त्तव्य समझ कर इस काम को करेगा तो फिर विवाद का कोई स्थल नहीं रह जाता है। जैसे घर में एक व्यक्ति की अवस्था होती है उसी तरह राष्ट्र में किसी भी सरकार की अवस्था

होती है। सरकार का यह काम है कि जितने भी अंग हैं उनको वह पुष्ट करे और जहां जहां धन देना आवश्यक हो बराबर उनको देती चली जाय। आवश्यकतानुसार यदि धन देते चले जायेंगे तो उनका कार्य ठीक होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने धन का अधिक उपयोग राष्ट्र की रक्षा के लिये करें और वह किस प्रकार से हो सकता है उसके लिये कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं। यह जो खेल कूद हैं इनमें हम देखते हैं कि पाश्चात्य ढंग के खेल, कूद हम भारतवासियों पर छाये हुये हैं। विद्यार्थी खेल खेलने जाता है एक हाकी स्टिक लगभग २०--२५ रुपये की खरीदता है और अक्सर वह उसी दिन टूट भी जाया करती है। इसी तरह यह फुटबाल और अन्य पाश्चात्य खेल हैं। इन पर राष्ट्र का काफी धन खर्च होता है और उसका अपव्यय होता है। हमारा काफी पैसा बाहर जाता है। यदि हम कबड्डी खेलें, कुश्ती लड़ा करें और आसन आदि लगायें तो इन पर तो एक पैसा भी खर्च नहीं आता है . . .

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : यह स्पोर्टस गुड्स तो हमारे देश में बनते हैं और यह बाहर से नहीं आते हैं।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : ठीक है आपका कहना। लेकिन धन तो खर्च होता ही है और मंहगाई भी तो काफी है। हिन्दुस्तानी ढंग के खेल कूद में कुछ भी पैसा नहीं लगता है और वह पैसा घी, दूध के खाने पीने में खर्च किया जा सकता है। अब कहा जाता है कि घी, दूध आये कहां से तो भाई इसका तो सहज उपाय यह है कि हर एक भाई गौ माता की सेवा करे और दूध पिये। आप दूध तो पी लें और पशु रक्खें नहीं तो यह तो चलने वाला नहीं है। पशु नहीं रक्खोगे तो फिर दूध कहां से पीयोगे? पशु रक्खो तो दूध पीयो।

इसी तरह से हमें अपनी वेश भूषा के मामले में भी सादगी लानी चाहिये। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज धीरे धीरे हमारे बीच में से सादगी उठती जा रही है और उसकी जगह फैशनपरस्ती ने ले ली है। जिनके बच्चे स्कूलों और कालिजों में पढ़ते हैं उनके मां, बाप जानते हैं होंगे कि उनके बच्चों के पास जूतों की एक अच्छी खासी पाठशाला लगी रहती है। तरह तरह के जूते उनके पास रहते हैं। तरह तरह के कोट, पतलून और सूट आदि पर काफी रुपया खर्च करते हैं . . . . .

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : लिपिस्टक लगाया जाता है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : मेरी बहन पास में बैठी हैं। मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी सहाब बोलेंगे तो वह कह देंगे।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती: मेरा स्तर ऐसा नहीं है। खैर मेरा कहने का अभिप्राय: यह है कि हम अपने खानपान और रहन सहन में सादगी लायें। हमारी वेशभूषा सामान्य और सादी हो। लोक-सभा में यह सौभाग्य का विषय है कि वेशभूषा के बारे में सादगी पाई जाती है। स्पष्ट है कि अगर हम सादगी से रहेंगे तो हमारा व्यय कम होगा और इस तरह से राष्ट्र का व्यय भी कम होगा और इस तरह से अधिक से अधिक सम्पत्ति और पूंजी हम राष्ट्र की रक्षा करने के कार्य में जुटा सकेंगे। राष्ट्र की रक्षा के लिये यदि आवश्यकता हो, तो हमारे कुछ विभाग थोड़े समय के लिये बन्द भी कर दिये जायें, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। आज प्रातःकाल कितना एक तरह से वाग्युद्ध हुआ। इस सदन में आकर जो कुछ मैंने देखा है, उस से आप की न्यायप्रियता में मुझे विश्वास है--इसलिये विश्वास है कि आप कोई भेदभाव नहीं रखना चाहते और इसीलिये सब दलों के प्रतिनिधियों को अपनी अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। लेकिन एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाताहा हूं कि शिष्ट मर्यादा से बाहर किसी को नही जाना चाहिये। अपनी बात सब कहें, लेकिन अनुशासन का पालन सब को करना चाहिये। इसलिये मुझे भी साहस होता है कि मैं अपनी बात अपने ढंग से कहूं। यह कोई खुशामद नहीं है। संस्कृत

में एक वाक्य है : "यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नस्तत्र गजो न हन्यते" । एक कथा है कि एक सिंहनी ने अपने बच्चों के साथ एक गीदड़ के बच्चे को भी पाल लिया था और किसी हाथी के आ जाने पर जब वह गीदड़शेर को धमकाने लगा, तो सिंहनी ने कहा कि "जिस खानदान में तू पैदा हुआ है, उसमें हाथी नहीं मारा जाता है ।" अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस कुल में हम पैदा हुये हैं, उस में खुशामद नाम की कोई चीज़ नहीं है । हम यह चाहते हैं कि स्पष्ट बात हो और भारतवर्ष के सब प्रदेशों की उन्नति की जाये ।

आप के माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान हरयाणा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं । हमारे पूर्वी भाई कहते हैं, "कभी भूखत मरत, कभी धापत मरत," अर्थात् कभी अधिक खाने से मरे और कभी भूख से मरे । कभी बाड़ आ जाती है और कभी पानी नहीं बरसता है । मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के पास हरयाणा क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग मरु-भूमि में पड़ा हुआ है । वहां पर ट्यूबवेल्ज का प्रबन्ध नहीं है । वहां पर पैसा लगाना चाहिये । अगर अन्न अधिक होगा, तो राष्ट्र की सम्पत्ति अधिक से अधिक बढ़ेगी । और उस की बहुत भलाई होगी । यह दिल्ली का निकटवर्ती क्षेत्र है और हमें इस को सुदृढ़ बनाना चाहिये। यह सुदृढ़ तभी बन सकता है, जब चारों ओर का क्षेत्र सैनिक रूप में परिवर्तित हो जाये । इस लिये मैंने यह बातें सुझाव के रूप में निवेदन की हैं । मैं आक्षेप के रूप में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । आप की कृपा से मुझे तीन चार बार बोलने का अवसर मिला है । उस में मैं ने सुझाव ही दिये हैं और ऐसी बातें नहीं कही हैं कि व्यर्थ के वाद-विवाद में आपका और इस सदन के सदस्यों का समय नष्ट हो । मेरा यह स्वभाव नहीं है कि आप की घंटी बजती रहे और मैं बोलता रहूं । हम लोगों में एक सैनिक अनुशासन होना चाहिये । घंटी इस बात की बोधक होती है कि माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें । सभ्यता का तकाजा यह है कि घंटी से हम समझ लें कि हमारा समय पूरा हो गया । यहां का समय पूरा हो गया, मृत्यु नहीं आ गई--- और तब हमें समाप्त कर देना चाहिये ।

जहां तक शिक्षा-पद्धति का सम्बन्ध है, आज शिक्षा पर हमारा बहुत अधिक रुपया लग रहा है । दुर्भाग्य से स्कूल-कालेज गावों के निकट न होने के कारण हमारे गांव-वालों के बाल-बच्चे पढ़ने के लिये बाहर जाते हैं । कितना रुपया उस में खर्च किया जाता है, यह कोई अनुभवी ही जानता है । शहर में तो कोई बात नहीं है । रोटी खाई और कालेज में चले गये । लड़कियों के लिये भी शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है । हमारा लड़कियां ऐसी नहीं कि उन के संरक्षण की आवश्यकता न हो । हमें अपने लड़के-लड़कियों का पूरा ध्यान रखना है , जिस से वे राष्ट्र के अच्छे से अच्छे, उत्तम, नागरिक बन सकें और राष्ट्र की भलाई कर सकें । उनके विकास और उन्नति के लिये अधिक से अधिक पैसा लगाना चाहिये और वह पैसा सार्थक होगा ।

आज की शिक्षा-पद्धति में पुस्तकों का ढेर का ढेर चलता है । और भी बड़ा व्यय होता । शिक्षक महोदय मुझे क्षमा करें --- अगर क्षमा नहीं करेंगे, तो दो रोटी अधिक खा लेंगे, मेरा क्या लेंगे ? जो जितना बड़ा प्रोफेसर है, उतना ही कम पढ़ाता है । प्राइमरी क्लास का अध्यापक दिन-रात चक्की की तरह लगा रहता है । लेकिन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लेक्चरार और प्रोफेसर एक दो पीरियड पढ़ा कर थक जाते हैं । वे घी दूध खायें, तो वे क्यों थकेंगे ? वे अच्छी तरह से काम करेंगे, तभी राष्ट्र की उन्नति होगी । हमारे प्रधान मंत्री महोदय का कथन है कि "आराम हराम है" । आराम हराम तभी होगा, जब लोग काम करेंगे । जब लोग काम करेंगे, तो राष्ट्र की सम्पत्ति को बढ़ा सकेंगे ।

ये मेरे थोड़े से सुझाव हैं । आप की घंटी की मैंने प्रतीक्षा नहीं की । मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

†**श्री करुथिरमण** (गोबी चेट्टिट पलयम) : वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए मैं देश की सामान्य खाद्य समस्या पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा । कहा गया है कि हमारी कमी अब ४०, ५० लाख टन खाद्यान्नों की ही है । हम विदेशों से १९४ करोड़ रुपये के खाद्यान्न मंगवा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री मन्त्री महोदय के मुंह से हमें यह सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारा उत्पादन ५७० लाख टन से बढ़ कर ८०० लाख टन हो गया है । हमारा लक्ष्य १,००० लाख टन है । हम यह लक्ष्य बढ़ा कर ११०० लाख टन कर सकते हैं । इस दिशा में मेरा निवेदन यह है कि देश में खाद्यान्नों की कमी को देखते हुए यह आवश्यक है कि किसानों को समस्त सुविधायें दी जायं । यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना निश्चित हो जायेगा । देश के ७० प्रतिशत लोग कृषि के व्यवसाय में हैं । बाकी ३० प्रतिशत लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में हैं ।

किसानों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिये उचित मूल्य को रूप में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । खाद्यान्नों के आयात पर किये जाने वाले व्यय का कम से कम दस प्रतिशत कृषि सम्बन्धी सुविधाओं के बिस्तार पर व्यय किया जाना चाहिये । उर्वरकों की अपेक्षा प्राकृतिक खाद पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये क्योंकि भूमि की उर्वरता को केवल वही कायम रख सकता है । प्रत्येक राज्य को मल के संग्रह द्वारा प्राकृतिक खाद्य के विकास की योजना के लिये कम से कम एक करोड़ रुपये दिये जाने चाहियें । किसानों को कीटनाशक पदार्थ तथा बिजली सस्ती दरों पर दी जानी चाहिये । फसल और पशुओं के बीमे की योजना भी बनाई जानी चाहिये ।

हिन्दी भाषी लोगों को राष्ट्रीय एकता के हित में दक्षिण में बोली जाने वाली भाषाओं को सीखने का प्रयत्न करना चाहिये । महान् कवियों और सन्तों की कृतियों का समस्त भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिये । तिरूवल्लूवर की रचनायें पहले हिन्दी में और फिर अन्य समस्त भाषाओं में अनुदित की जानी चाहियें । इसके अतिरिक्त मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि हमें अपने राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण श्री नेहरू को लक्ष्य रख कर करना चाहिये । वह हमारे राष्ट्रीय चरित्र के प्रतीक हैं । हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हमारा राष्ट्र प्रगति करने में संसार के अन्य देशों से पीछे न रह जाये ऽ

श्री शिव नारायण (बांसी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् का बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आज इस फाइनेन्स बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का ध्यान चाणक्य की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि हमारे देश के एक बहुत बड़े अर्थ शास्त्री थे ।

अभी हमारे मित्र ने इंटीग्रेशन की ओर संकेत किया । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस देश की जो संस्कृति है वह दक्षिण भारत वालों की देन है । गुरु शंकराचार्य ने राम और कृष्ण को जिन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था भगवान का वज्रारोपण किया । दक्षिण भारत के महान गुरू लोगों ने देश में एकता का वज्रारोपण किया था । ये चीज आपको भूलना नहीं चाहिये । मुझे आज मैसूर पर गर्व है क्योंकि कुछ दिन पहले मैसूर ने उत्तर प्रदेश के एक मेम्बर को अपने यहां से पार्लियामेंट के लिये चुन कर भेजा है । यह देश की एकता का एक नमूना है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस बात को देखें कि जो रुपया हरिजन विभाग को दिया जाता है वह सही मानों में खर्च होना चाहिए । आज आप हरिजन विभाग को करोड़ों रुपया देते हैं । यहां मेरे एक मित्र ने कहा कि हरिजन तो कांग्रेस की जेब में हैं । मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। है । सब को स्वतन्त्रता है जिसको चाहें चुन सकते हैं । जिस दिन आपने जनता को बैलट पेपर दे दिया है तो फिर वह चाहे हरिजन हो या ब्राह्मण हो उसको अपने अधिकार का उपयोग करने का हक है कि वह उस अधिकार का चाहे जैसे उपयोग कर सकता है । जो रुपया आप हरिजन विभाग को दे रहे हैं वह

हमको पूरा नहीं पहुंच पाता । मैं चाहता हूं कि हरिजन विभाग को चलाने का मौका किसी हरिजन को देना चाहिए क्योंकि वह उनकी कमियों को ज्यादा अच्छी तरह जानता है । मैं यह इसलिए कहता हूं कि सबको चुनाव करने की स्वतंत्रता है क्योंकि अपोजीशन में दो हरिजन मेम्बर चुन कर आए हैं एक जनरल सीट से और दूसरे पी० एस० पी० की तरफ से । तो कांग्रेस ने इस मामले में सब को बराबर हक दिया है । यह कहना ठीक नहीं है कि हरिजन कांग्रेस की जेब में हैं ।

अब मैं कुछ उत्तर प्रदेश के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं । मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन मैं उन सबको आपके सामने नहीं पढ़ूंगा । मैं मोटे तौर पर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को जो पिछले साल इनकम टैक्स है एक्साइज ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी और रेलवे फेयर की आय में से ३१०३ लाख मिलता था वह अब ३०७१ लाख रह जाएगा और इस तरह उत्तर प्रदेश को पांच साल में १५ करोड़ का घाटा होगा रहेगा । आज उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत घाटे में चल रही है । इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि वहां न कोई बड़ी इण्डस्ट्री खोली जा रही है और न कोई बड़ा डेवेलपमेंट का कार्य किया जा रहा है ।

मैं उत्तर प्रदेश के उस भाग से आता हूं जिसकी भारत सरकार ने जांच करायी थी और वह रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद है । उस रिपोर्ट से आपको मालूम होगा कि बस्ती जिला हिन्दुस्तान का सबसे गरीब जिला है । मैं चाहता हूं कि आप हमको ट्रेनिंग दें । मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बता देना चाहता हूं कि हमारे पास नेपाल का इलाका है । इसलिये हमको ज्यादा मदद की जरूरत है । मैं चाहता हूं कि जो देश की आय है उसका ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ।

जो राज्य समुद्र के किनारे हैं उनके व्यापार में उन्नति हो सकती है । हम तो बीच में हैं, समुद्र से बहुत दूर हैं । हमारे व्यापार में उन्नति नहीं हो सकती । आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के हर हिस्से के आदमियों को एक सूत्र में बंधना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए । आज देश के चारों तरफ लड़ाई के बादल मंडला रहे हैं, कभी चीन हम को धमकी देता है, कभी पाकिस्तान हमको धमकी देता और कभी नेपाल हमको धमकी देता है । आज हमको देश की रक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए । हमारे देश में हरिजनों की आबादी चौथाई है । मैं यह पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं एक दो करोड़ हरिजनों को आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए खुशी खुशी भिड़ा दूंगा । जिस प्रकार भामाशाह ने राणा प्रताप के लिए अपना खजाना खोल दिया था उसी प्रकार भारतवर्ष ने अर्थ मन्त्री का खजाना खुला है । लेकिन मेरी प्रार्थना है कि जो रुपया आप दे रहे हैं उसका पूरा पूरा चैक होना चाहिए ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज रेलवे विभाग का काम ठीक से नहीं चल रहा है और उसमें गड़बड़ियां हैं और रेलवे कर्मचारी कम्युनिस्ट प्रभाव में हैं । जनता को भी वे कोई सुविधा देने की परवाह नहीं करते । वे एम पीज और एम एल एज की भी परवाह नहीं करते । इन बातों को अर्थ मन्त्री से कहने में मुझे संकोच नहीं है क्योंकि आप चाहें तो इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं ।

आज सवेरे जो हाउस में हुआ उसका नक्शा मेरे सामने है । जो विरोधी दल ने कहा वह मैंने सुना मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल से लखनऊ तक १७४ मील की सड़क बनी हुई है लेकिन प्रोटेक्शन की जरूरत है । हम चाहते हैं कि हमें अच्छी फौजी ट्रेनिंग दी जाए जिससे हम देश की रक्षा करने में समर्थ हो सकें । आज हमको भाषा आदि छोटी छोटी बातों में न जाकर एक सूत्र में बंधने की आवश्यकता है । हमने अपने देश को बड़ी कुरबानियां देकर आजादी दिलायी है । इसलिये मैं चाहता हूं कि हमको देश की रक्षा की ओर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए ।

जब मैं खेती के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पढ़ा है। नाइट साइल की खाद सबसे अच्छी होती है। जो अन्न आप लेते हैं अगर उसका रिटर्न जमीन को कर दिया जाए तो पैदावार बहुत अच्छी हो सकती है। क्यूबा में और जापान आदि में इस प्रकार को खाद का उपयोग किया जाता है। अभी जब मैं दिल्ली आ रहा था तो मैंने देखा कि यहां पटरी के किनारे बहुत जमीन पड़ी है जिसके लिये पानी का प्रबन्ध नहीं है।

दिल्ली के अन्दर जो लोग झोंपड़ियों में पड़े हैं उनकी दशा का हमें पता नहीं है। यदि हम उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो न जाने हम कहां होंगे।

पिछले १४ बरस में दुनिया ने कितनी उन्नति कर ली और आज लोग चन्द्र लोक को यात्रा कर रहे हैं और हम जीप में भी बैठ जाते हैं तो समझते हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर ली। आज हम बहुत पिछड़े हुए हैं।

आज विरोधी दल ने जो सवेरे किया उसका नक्शा हमारे सामने है। मैं मानता हूं कि विरोधी दल का अपना कर्त्तव्य है लेकिन हमारे यहां एक मजबूत विरोधी दल होना चाहिए। उसमे जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिये क्योंकि हो सकता है कि कल को उनको प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर बनना पड़े। उनको हमारी कमियों को बतलाना चाहिए जैसे कि सूर्पनखां ने रावण को बताया था कि मेरी नाक कटी तो कटी पर अपनी बचा लेना। रावण ने उसका कहना नहीं सुना। लेकिन हम विरोधी दल की बात पर विचार करेंगे। मेरा सब माननीय सदस्यों से और विरोधी दल से भी निवेदन है कि वे देखें कि कहां कहां रुपया गलत तरीके से खर्च हो रहा है और उसको रोकने में सरकार को सहायता दें।

ब्लाक डेवेलपमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस काम पर आप बहुत रुपया खर्च करते हैं लेकिन किसान को बहुत कम रुपया पहुंचता है। अगर उसको ४०० रुपया मिलने वाला है तो उसको प्राप्त करने में उसको ४०० रुपया खर्च करना पड़ता है तब उसको वह रुपया मिलता है। इसका चैक होना चाहिए।

मुझे एक पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी मिला। उसने मुझ से कहा कि आपने जो राम राज्य की कल्पना की है वह पूरी हो सकती है यदि सरकार गांव से जो एक रुपया लेती है उसमें से चार आना गांव को वापस कर दे।

हमारे यहां आज बड़ी गड़बड़ी हो रही है। रिश्वतखोरी बढ़ी हुई है। उसको रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

मैं स्वामी जी से कहना चाहता हूं कि मैं उनके साथ स्कूलों में चलने को तैयार हूं। ये प्रोफेसर लोग क्या करते हैं। ये लोग सलाह देते हैं लेकिन विद्यार्थी उस पर ध्यान नहीं देते। मैं लखनऊ यूनीवर-सिटी के विद्यार्थियों के बारे मे कह सकता हूं कि वे हजरत गंज में रात के नौ बजे तक चक्कर लगाते रहते हैं, सिगरेट पीते हैं सिनेमा देखते हैं और काफी हाउस में जाकर बैठ जाते हैं। और थर्ड डिवीजन में पास होते हैं और फिर नौकरी प्राप्त करने के लिये सोर्स की तलाश करते हैं। अब आप ही बतलाइये कि यह सोर्स की बदौलत कितने दिन गाड़ी चलेगी? मैं एक टीचर रहा हूं और मैं तो कहता हू कि आप एम० ए० का इम्तिहान सबके लिए रोक दीजिए और एम० ए० को डिग्री लेने दीजिए। नौकरी के वास्ते सबको कम्पटीशन में बैठा दीजिये और जो उसमें सफल हों उनको सर्विस में ले लिया जाय और इस तरह सेलेक्शन प्रतियोगिता में यह सोर्स तलाश करने वाले लोग अपने आप साफ हो जायेंगे। इस तरह से सारा नक्शा ठीक हो जायेगा। अब स्पष्ट है --"सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम्" अर्थात

से सारा नक्शा ठीक हो जायेगा। अब स्पष्ट है :—"सुरार्थनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुता सुखम।" अर्थात् जो सुख चाहता है उसको विद्या कहां है और जो विद्यार्थी है उसको सुख कहां है ? आज इस सिद्धान्त पर कितने विद्यार्थी अमल कर रहे हैं ? यही कारण है कि हमारी शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। अब आज विद्यार्थियों में जो यह ह्रास नजर आ रहा है उसके लिये टीचर और गार्जियन्स दोनों ही जिम्मेदार हैं। टीचर के पास जहां विद्यार्थी ६ घंटे रहता है वहां गार्जियन के पास वह १८ घंटे रहता है। अब बालक को नकल करने का स्वभाव होता है बाप जैसा करता है बेटा भी वही करता है। बाप अगर सिगरेट पीता है तो उसका बेटा भी धीरे धीरे सिगरेट पीने लगता है। इसलिए बच्चों के गार्जियन्स और टीचर्स को इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनका रहन सहन और खान पान त्रुटिपूर्ण न हो क्योंकि उसका बुरा असर बच्चे पर भी पड़ेगा।

आज शिक्षा के ऊपर रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है लेकिन उचित ढंग का शिक्षण बच्चों को नहीं मिल रहा है। इस के कारण एक तीसरा ही क्लास हमारे देश में पैदा हो रहा है। इस देश के अन्दर ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र यह चमार आदि के क्लास तो पहले से हैं लेकिन यह एक नया ही क्लास पैदा हो रहा है जोकि मम्मी, मम्मा पुकारता है। आज इंग्लिश स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उन में हम देखते हैं कि इस कदर अंग्रेजियत और पाश्चात्य सभ्यता की बू आ गयी है कि बस भगवान ही बचाये। देश से हालांकि अंग्रेज चले गये लेकिन अपने पीछे यह एक नया क्लास छोड़ गये हैं जोकि सीधे सीधे पिता जी और माता जी पुकारने के स्थान पर उनको मम्मा और मम्मी के नाम से सम्बोधित करता है। आज इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हमारे उन बच्चों पर इस तरह का गलत प्रभाव पड़ रहा है जोकि वाँछनीय नहीं है। समय रहते इसको चैक किया जाय और यह ध्यान रखा जाय कि हमारे बच्चे सही मायने में भारतीय बनें और वह भारतीयता के रंग में रंगे न कि उस पाश्चात्य सभ्यता के रंग में। इस देश के अन्दर आज तक्षशिला और नालन्दा सरीखे विश्वविद्यालयों के खोलने की आवश्यकता है ताकि हमारे बच्चे सही तालीम पा सकें और भारतीय संस्कृति का उन पर असर पड़े। भारतीय संस्कृति तभी इस देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो सकती है।

यह पंचशील का नारा जोकि हमने विश्व को दिया है मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहाँ कि भगवान बुद्ध जन्मे थे और जोकि पंचशील के दाता हैं। मुझे इस बात को सोचकर गर्व अनुभव होता है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहाँ कि महात्मा कबीर ने समाधि ली। मगहर ने देश के सामने हिन्दू, मुस्लिम एकता का आदर्श उपस्थित किया। वहाँ दोनों मन्दिर मस्जिद मौजूद हैं जिसकी तबियत हो जा कर देख सकता है। मेरी काँस्टीटुएंसी में मुसलमानों ने गायों को मालाएं पहना कर गऊशाला में पहुंचाया है। एकता का पाठ देश को पढ़ाया है। वहाँ हिन्दु, मुस्लिम एकता का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि घर में गाँव में मुसलमान बड़े बूढ़ों को हम लोग चाचा, चाची कहा करते थे और उनका भी यही हाल था लेकिन यह खेद का विषय है कि आज वह व्यवहार नहीं है।

अभी उस दिन जब मुर्शिदाबाद के मौलाना साहब बोले थे तो मैं भी बोलना चाहता था और उनको जवाब देना चाहता था कि भारत सरकार ने सब सम्प्रदायों अर्थात् हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख और ईसाई सब की रक्षा की है। सरकार का अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार है। मैं मौलाना साहब को बतलाना चाहता हूं कि बाहर से काफी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज आये, हमने उनको प्रोटेक्शन दिया और यहाँ पर उनको बसाया लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इसके विपरीत आचरण किया और बजाय अपने वहाँ अल्पसंख्यकों को बसाने के और उन को प्रोटेक्शन देने के उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तानी पंजाब से उन्होंने पंजाबी हिन्दू और सिक्ख भाइयों को निकाल दिया। हमने उनको भारत में शरण दी और बसाया। काफी रुपया उनको बसाने पर खर्च

[श्री शिव नारायण]

किया। अब शरणार्थी भाई चूंकि यहाँ के लोकल लोगों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और बिजनैस माइंडेड हैं इसलिए उन्होंने यहाँ आकर बिजनैस पर कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को पीछे छोड़ दिया। और वह घाटे में रहे। इतना होने पर भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को गाली दी जाती है लेकिन उस गाली से हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित होने वाले नहीं हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से मुह नहीं मोड़ेंगे। हम उसको भुनेंगे और बर्दाश्त करेंगे और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे सफलता की मंजिल की ओर ले जायेंगे। हम कछुवे की चाल से धीरे धीरे लेकिन लगातार दृढ़तापूर्वक चलते रहेंगे, खरगोश की चाल हम नहीं चल रहे हैं क्योंकि वह खतरे से खाली नहीं है। हमने इस बात का निश्चय कर लिया है कि हम दूसरे देशों के आश्रित न होंगे। अमरीका आदि देशों के आश्रित होकर हमें चलना मंजूर नहीं है क्योंकि हमने यह अच्छी तरह समझ लिया है कि वैसा करना देश हित में नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी हाउस में ऐलान कर दिया है कि सिंक हो जाना पसन्द करेंगे लेकिन हम किसी भी हालत में किसी गुट्ट में शामिल न होंगे। आज तमाम दुनिया की नजर हमारी ओर लगी हुई है। पुराने इतिहास से सबक लेते हुए आज हमें एकता के सूत्र में बंध जाना है ताकि बाहरी लोगों को यह पता चल जाय कि हम घर में १०० और ५ हैं लेकिन बाहर वालों के लिए हम १०५ हैं। आज की सब से बड़ी आवश्यकता देश में राष्ट्रीय एकता की स्थापना है।

हिन्दी के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि इस से राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में बड़ी मदद मिलेगी। हिन्दी बड़ी सरल भाषा है और इसको अहिन्दी भाषा भाषी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। मैं तो अपने उन माननीय सदस्यों को जोकि हिन्दी नहीं जानते हैं उनको दो घंटे डेली हिन्दी पढ़ाने का औफर देता हूं और २६ दिन के अन्दर मैं उन को हिन्दी पढ़ा दूंगा। हिन्दी सब से सरल भाषा है और यह भारत के करीब तीन चौथाई भाग में बोली जाती है। इसके अलावा हिन्दी अन्य भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ मिलती जुलती है यही कारण है कि हमारे बंगाली, आसामी, गुजराती और मराठा भाई भी हिन्दी को थोड़े से अभ्यास से समझ लेते हैं। आज चूंकि उनको प्रैक्टिस नहीं है इसलिए थोड़ी कठिनाई अनुभव होती है लेकिन थोड़े अभ्यास से हिन्दी उनकी समझ में आ सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दक्षिण भारतीयों और अहिन्दी भाषा भाषियों को हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहनस्वरूप यह निश्चय किया है कि उत्तर भारत के लोग भी दक्षिण भारतीय भाषाएं अवश्य सीखें क्योंकि इसी तरह राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकेगी। उसने तामिलनाड जाकर तामिल भाषा सीखने के लिए छात्रों को स्कालरशिप देने का भी निश्चय किया है। हमको देश को एकता के सूत्र में लाना है।

हरिजन प्राबलम के बारे में मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि उन्होंने हरिजनों को जो १८ परसेंट रिजर्वेशन दिया है उससे हम ज्यादा नहीं मांगते हैं। अलबत्ता यह १८ परसेंट फुलफिल होना चाहिए। सन् ५३-५४ तक हम को १० परसेंट मिला था और उसके बाद यह बढ़ कर १८ परसेंट हो गया है। हम इस से ज्यादा नहीं मांगते हैं लेकिन यह अवश्य चाहते हैं कि इसकी पूर्ति की जाय

श्री का० रा० गुप्त (अलवर) : यह बीच में कौन खा जाता है ?

श्री शिव नारायण : आप खा जाते हैं। माननीय सदस्य ने ही उस दिन कहा था कि हरिजन लोग कांग्रेस वालों की जेब में हैं तो मैंने कहा था कि आपका ऐसा खयाल करना गलत है क्योंकि एक हरिजन अमरीका रिटर्न है और एक प्रोफेसर है दोनों हरिजन चुनाव जीत कर अपोजीशन में आये हैं। अब माननीय सदस्य यह कैसे कह सकते हैं कि हरिजन कांग्रेस की जेब में हैं। यह गलत बात है।

कृपया ऐसी बात न कहिये। मैं कोई कमज़ोर खिलाड़ी नहीं हूं। मैंने श्रद्धेय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत के चरणों में बैठ कर राजनीति सीखी है और उनका चेला रहा हूं। इसलिए मुझे कोई कमजोर खिलाड़ी माननीय सदस्य न समझें। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हरिजन जिनकी कि आबादी कुल देश की आबादी की चौथाई है उन्होंने देश के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने सदा देशहित को सर्वोपरि रखा है। वे कभी भी देशद्रोहियों के बहकावे में नहीं आये हैं और सदा देशभक्त रहे हैं। यह भी ठीक बात है कि पहले के मुकाबले हमारी दशा में सुधार हुआ है। हरिजन पहले के मुकाबले अब अधिक खुशहाल हैं हालांकि अभी भी उनके लिए काम होना बाकी है। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है कि हम जवाल की तरफ है। यकीनी तौर पर हम जवाल की तरफ नहीं हैं बल्कि हम तरक्की और उरूज की तरफ हैं।

"उरूजे कामयाबी पर कभी हिन्दोस्ता होगा।"

भले ही वह मेरे दोस्त घबड़ायें लेकिन हम नहीं घबराते हैं। कांग्रेस ने हमको ऊंचा उठाया है . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री शिव नारायण : बस दो लफ्ज कह कर मैं समाप्त करूंगा।

हमने मुस्लिम हुकूमत झेली है और अंग्रेजों की हुकूमत के भी कष्ट झेले हैं। इतिहास का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस आई, ऋषि दयानंद आये तो उन्होंने हम हरिजनों को ऊपर उठाया। गांधी जी के जीवन का हरिजन उद्धार एक महान लक्ष्य था और जीवनपर्यन्त वह इस ओर प्रयत्नशील रहे। आज हम लोग जो मेम्बर हैं और यहाँ बोल रहे हैं वह आखिर किस की बदौलत बोल रहे हैं? यह अपने सवर्ण हिन्दू भाइयों, गाँधी जी और नेहरू जी की बदौलत बोल रहे हैं।

पीछे हमारी क्या गति रही है? आई वाज बौर्न इन जैमैका। मैंने जैमैका देखा है, क्यूबा देखा है और मैं जानता हूं कि कैसी हमारी दुर्गति वहाँ दूसरे देशों में थी? दूसरे मुल्कों में हमें कुत्ते से भी बदतर समझा जाता था। हम आज तक वह दिन नहीं भूले हैं। वह सब दिन देख कर हम आये हैं। मैं तो बस यही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं :—

"काम के समय काम करो, खेल के समय खेलो, प्रसन्न रहने का यही सब से अच्छा तरीका है।" इस नियम का पालन कीजिये। इस से देश का कल्याण होगा। अपने विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि विरोध वे खूब करें लेकिन जरा ढंग से करें। ऐसी बात न कहें और ऐसा व्यवहार न करें जिससे कि बाहर हमारी नाक कटे। इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और श्रीमान् का अनुगृहीत हूं जिन्होंने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री भजहरि महतो (पुरुलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने वित्त विधेयक पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बंगाली हूं और मैं हिन्दी नहीं जानता हूं तो भी अपनी टूटी फूटी हिन्दी में कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहूंगा।

हमारे देश में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना चालू है। उन पर करोड़ों रुपया खर्च भी हो चुका है लेकिन यह दुःख का विषय है कि देहाती अंचलों के जनसाधारण के रहन सहन का स्तर तनिक भी ऊंचा नहीं उठा है अपितु गरीब, मध्यवर्ग और कृषक वर्ग और भी अधिक गरीब हो गया है और धनी और व्यवसायी वर्ग और अधिक धनी हो गया है। साथ ही धनी व्यवसाइयों ने खाद्यान्न को चोरबाजार में धकेल कर गरीब और मेहनतकश

[श्री भजहरि महतो]

जनता को अनाहार और अर्धाहार में रहने के लिये विवश कर दिया है। गत दो पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ एक बड़े लोहे के कारखाने, बड़े बड़े डैम एवं कुछ बड़े बड़े शहरों के विकास के अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ है। यद्यपि कतिपय देहाती अंचलों के विकास के लिये सिंचाई की व्यवस्था का आयोजन किया गया था किन्तु वह केवल सरकारी कागजों तक ही सीमित रहा है। वास्तव में कोई काम नहीं हुआ और फ़ाइल में उसके विकास के आंकड़े सुरक्षित रहे। तथ्य यही हैं कि काम कुछ भी नहीं हुआ है। उदाहरणस्वरूप डी० वी० सी० की सिंचाई व्यवस्था के सम्बन्ध में **आनन्द बाजार पत्रिका** में काफ़ी रौशनी डाली जा चुकी है। २८ ज्येष्ठ के उस समाचारपत्र मे बताया गया है कि उस परियोजना से किसान लोगों को सिंचाई के बारे में फ़ायदा नहीं हुआ है।

जब हम अपने देश के शहरों और देहात की तुलना करते हैं, तो देखते हैं कि ५,५८,०८९ गांवों के मुकाबले में कुल ३,०२८ शहर हैं। हमारे देश की जनसंख्या लगभग चालीस करोड़ है, जिसमें छः करोड़ के लगभग ही शहरों में रहते हैं और बाकी देहात में, जिनमें से लगभग ९५ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। किन्तु दुःख की बात है कि यद्यपि इस देश को आजादी प्राप्त किये सोलह साल बीत गये हैं, फिर भी इन ग्राम-वासियों को सिवाये वोट देने के अधिकार के कोई और अधिकार नहीं मिला है।

भारतवर्ष ही क्यों, बल्कि समस्त विश्व में दो वर्ग वर्तमान हैं---बुद्धिजीवी और श्रमजीवी। बुद्धिजीवी लोग छल से, बल से और कौशल से श्रमजीवियों के श्रम के प्रतिफल को अपने कब्जे में कर लेते हैं और हर प्रकार से सरकार को धत्ता बता कर चोर-बाजारी, सूदखोरी एवं अन्य प्रकार को असामाजिक तथा अमानुषिक बुराइयों को बढ़ावा देते हैं। वे नित्य-प्रयोजन की वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि कर गरीब, मध्य-वित्त एवं मेहनतकश लोगों को अनाहार और अर्द्धाहार के रास्ते मृत्यु की ओर नित्य-प्रति धकेल रहे हैं।

इन सारी बुराइयों को सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से आशीर्वाद मिलता है, यही आज देश की जनता की आम धारणा है। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि आजादी के इतने दिन बाद भी देश की सर्वोच्च संस्था हमारी लोक सभा में इस बात पर बहस जारी रहे। मेरा आप से यह नम्र-निवेदन है कि वास्तव में सुसभ्य भारत-वासियों के लिये यह एक कलंक की बात है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि इन सभी अनाचारियों, भ्रष्टाचारियों, व्यभिचारियों, चोर-व्यवसाइयों और अन्य-अन्य चोरों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये और उन्हें यथोचित दंड दे कर जनतांत्रिक भारत की मर्यादा की रक्षा की जाये।

साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि देहाती अंचलों के लिये समुचित सिंचाई-व्यवस्था और योजना द्वारा खाद्योत्पादन में वृद्धि कर देश-वासियों की खाद्य-समस्या का समाधान किया जाये। श्रीमन्, मैं अपने देश के एक बहुत ही पिछड़े हुए इलाके का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरा इलाका, पुरुलिया जिला, एक पहाड़ी अंचल एवं सर्वथा उपेक्षित इलाका है। वहां पर उद्योग-धंधों की व्यवस्था नहीं है और सिंचाई का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हुं कि वहां पर छोटी छोटी नदियां भी हैं और तालाब भी हैं। अगर एक सुनियोजित योजना के द्वारा उनको काम में लाया जाये, तो ये छोटे छोटे उद्योग-धंधे विकसित हो सकते हैं, किसानों तथा गरीब आदमियों को सुविधा मिल सकती है, खाद्यान्न भी बढ़ सकता है और ग्राम-वासियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस ओर उचित कदम उठाने वाला कौन है, यह कदम उठे किस तरफ़ से।

आज किसानों के पास कुछ नहीं है। वे सर्वहारा हैं। उन के पास खाद्य नहीं है, बीज नहीं हैं, पूंजी नहीं है एवं कृषि-योग्य अन्य आवश्यक वस्तुओं की उनके पास एक-दम कमी है। उनके पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने के लिये आवास का अभाव है, बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। एक शब्द में यदि कहें, तो सर्वत्र गरीबी का राज्य है, हाहाकार का तांडव है। श्रीमन्, मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं उनकी दशा का सही वर्णन कर सकूं। उन को देख कर ही उसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

अन्त में मैं कहूंगा कि जब तक किसानों के लिये खाद्य और बीज की व्यवस्था न की जायेगी, उनकी खेती के लिये सिंचाई, पूंजो और अन्य आवशयक सामान की व्यवस्था नहीं की जायेगी, तब तक यह सारी योजना बेकार होगी।

यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने पिछले दिन इस बात पर बल दे कर कहा था कि उन के मंत्रालय पर लोगों ने कोई अधिक टीका-टिप्पणी नहीं की . . . . . .

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : इसलिये करो।

श्री म० ला० द्विवदी : . . . . और उन की यह बात सही भी है—इसलिये सही है कि जब से स्वतंत्रता का सूत्रपात हमारे देश में हुआ है, तब से यह पहला बजट है, जिसमें साधारण व्यक्तियों पर, साधारण जनता पर, कर का भार कुछ कम किया गया है। मैं यह तो नहीं मानता कि बिल्कुल कम किया गया है, क्योंकि पिछले वर्षों में जो कर लगाये गये हैं, वे ज्यों के त्यों चल रहे हैं, लेकिन इस वर्ष उन्होंने यह प्रयास किया है कि साधारण आदमियों पर कर का भार कम हो और यह प्रयास यदि जारी रहे, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिये और हमारी वित्त-व्यवस्था के लिये एक शुभ-लक्षण है, क्योंकि इस देश का जो ढांचा है, वह जन-साधारण पर ही आधारित है। जन-साधारण की आय के स्तर को बढ़ाने की दिशा में हमने प्रयत्न किये हैं, लेकिन अभी तक हमने उसकी आय के स्तर को इतना नहीं बढ़ाया है कि वह इस कर-भार को बर्दाश्त कर सके।

मैं इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री जो, उनके तमाम साथियों और वित्त मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष जन-साधारण पर आघात नहीं किया है और एक ऐसा बजट बनाया है, जो लोगों को प्रिय हो। टीका-टिप्पणो तो होगी ही, क्योंकि विरोधियों का यह कर्तव्य है कि वे टीका-टिप्पणी करें। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं, जिनको कहने की आवश्यकता पड़ती है। मैं भी चन्द बातों की तरफ़ उन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। जब मैं ये बातें कहता हूं, तो टीका-टिप्पणी की निगाह से नहीं, बल्कि इसलिये कि हमारी वित-व्यवस्था में सुधार हो और देश में जो त्रुटियां हों, उनमें भी सुधार हो।

मैंने इस सम्बन्ध में कुछ बातें सोच रखी हैं, जिन की ओर मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी निगाह में हमारा वित्त मंत्रालय एक ऐसी सुन्दरी, एक ऐसी कामिनी के समान है, जो कांचन की ही कामना करती है। उसने पंचवर्षीय योजना की साड़ी पहन ली है और उसकी पीठ में नासूर हुआ है, कैन्सर हुआ है भ्रष्टाचार का, बुराइयों का, रिश्वतखोरी का। उस ने हमारे सामने जनता के सामने, जो "कर-लगाओ" नाच रखा है, उसनें लोगों का आकर्षण नहीं हो रहा है, क्योंकि नासूर से जो मवाद निकल रहा है उस से इस पंचवर्षीय योजना को साड़ी पर धब्बे हो रहे हैं। यदि वित्त मंत्री जो वास्तव में चाहते हैं कि हमारा यह देश प्रगति करे तो हमें सचमुच

[श्री म० ला० द्विवेदी]

में गम्भीर कदम उठाने होंगे ताकि हमारे शरीर में यह जो नासूर है, यह जो कैंसर हो गया है, उसको जल्दी दूर किया जा सके। लेकिन इस सम्बन्ध में ढील की जा रही है। हमारे हिन्दू धर्म में, हमारे नीति शास्त्र नें लिखा है कि शासन चार चीजों से चलता है, साम, दाम ,दण्ड और भेद। आज आपकी शासन व्यवस्था में साम और दाम तो है, लेकिन दण्ड और भेद की कमी है। आपको सख्ती से दृढ़ता से . . . .

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : भेद क्यों चाहते हैं ?

श्री म० ला० द्विवेदी : भेद का मतलब है, गुप्तचर विभाग, सीक्रिट सर्विस। गुप्तचर विभाग आप का ढीला है, उतना अच्छा काम नहीं करता जितना अच्छा उसको करना चाहिये, सही खबरों का आपको पता नहीं देता है, आपको नहीं बता पाता कि आपके करों में कितनी चोरी हो रही है। देश से अगर सही मानों में कर वसूल किए जायें और सही मानों में कर वसूल हो जायें तो मैं समझता हूं कि आपको अधिक कर लगाने की आवश्यकता ही महसूस न हो। आपको कदाचित नहीं मालूम कि जितना कर आपको मिलता है उससे चौगुना कर चुराया जाता है व्यापारियों द्वारा। तीन तीन हिसाब रखे जाते हैं। मैंने स्वयं इस चीज को देखा है। उन हिसाबों को छिपा कर रखा जाता है। आपको असली आय का पता नहीं चलता है। मैंने व्यवसाय में जा कर देखा है। वास्तविक नक्शा आपके सामने नहीं आता है। जो गरीब आदमी रुपया दे नहीं पाता है रिश्वत का, उस को आज सताया जाता है इन टैक्स विभाग में तथा दूसरे विभागों में ।

मैं इन सब बातों की ओर जाना नहीं चाहता हुं। यदि आप दृढ़ कदम उठायें, शासन में दृढ़ता लायें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे प्रधान मंत्री जी स्वतंत्रता मिलने से पहले कहते थे कि हम चोरबाजारी करने वाले को फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं नहीं चाहता कि आप उनको फ़ांसी पर चढ़ायें। लेकिन आप कम से कम कानून तो ऐसा बनायें ताकि उस को सख्त दण्ड दिया जा सके और भ्रष्टाचार को तथा रिश्वतखोरी को पनपने का मौका न मिले और लोगों को आइंदा के लिये वैसे अनुचित काम करने के लिये प्रोत्साहन न मिल सके।

साधारण विवाद का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने कुछ चीजें स्वयं खरीदी थीं और उन चीजों के दाम उतने नहीं बढ़े हैं, जितने की लोग बताते हैं कि बढ़े हैं। मैं आज विरोधियों का समर्थन नहीं कर रहा हूं और न ही वित्त मंत्री जी की बात को काटना चाहता हुं। लेकिन मैं स्वयं एक खरीददार हूं, अपनी आवश्यकताओं की चीजों की खरीद मैं स्वयं करता हूं। मैं जानता हूं कि जब से बजट बना है तब से चीजों के दाम चढ़ गये हैं, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है, कोई संशय की बात नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि साधारण सा दांत मंजन, काला दंत मंजन जो पहले चौदह आने में मिलता था अब सतरह आने में मिलता है। भारत ब्लेड का पैकेट जो पहले चार आने में मिलता था अब पांच आने में मिलता है, जैनिथ ब्लेड का पैकेट जो पहले छः आने में मिलता था अब नौ आने में मिलता है। मैं सैवन ओ क्लाक की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि उन ब्लेडों की बात कर रहा हूं जिनको साधारण जनता इस्तेमाल करती है। जहां तक वैजीटेबल प्रोडक्ट्स का सम्बन्ध है, जो डालडा दस पाउंड का पहले बारह रुपये में मिलता था आज नौ पाउंड से कम का डिब्बा चौदह रुपये में मिलता है। दाम हर चीज के बढ़े हैं।

वित्त मंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने एक माचिस खरीदी थी। उनको ज्यादा दाम नहीं देने पड़े थे। मैंने भी एक माचिस खरीदी थी और यहां संसद् भवन में ही शशी राम केटरर से खरीदी है। इस माचिस पर वित्त मंत्रालय की सील लगी हुई हैं और लिखा है कि फिफ्टी फार सेवेन नया पैसा। यह कोई डि–लक्स माचिस नहीं है, बढ़िया किस्म की नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से लिखित प्रमाणपत्र सहित इसको सभा-पटल पर रखना

चाहूंगा ताकि मंत्री महोदय स्वयं देख लें कि वास्तव में जो बात उन्होंने कही थी वह सही है या नहीं । आपके आदमी को यह माचिस मिल गई थी लेकिन बाजार में नहीं मिलती है। संसद् भवन में ही जो बेचने वाला है वह सात नए पैसे में बेचता है और दाम भी सात नया पैसा लिखा हुआ है ।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : मेरे पास भी है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : उनके पास भी है । सब जगह है ।

मैं चाहता हूं कि जो बात हम करें वह वास्तविकता के आधार पर करें। दाम जो बढ़े हैं, उनको महसूस करें। किस तरह से यह कम हो सकते हैं इस पर ध्यान दें। आपके जो कर प्रस्ताव हैं वे वास्तव में ऐसे नहीं हैं जो जनता को कष्टप्रद हों, या इतने ज्यादा कष्टप्रद हों जितने हो रहे हैं। लेकिन जो आप कहते हैं, उस पर अमल होता दिखाई नहीं देता है। आप सख्ती से उन पर दबाव नहीं डाल पाते हैं ।

हमने कल सुना उद्योग मंत्री जी कह रहे थे कि उन्होंने आयात में कटौती कर दी है और इम्पोर्टस् को आधा कर दिया है । उन्होंने आयातकों से प्रार्थना की कि वे इन चीज़ों के दाम न बढ़ायें। आपकी प्रार्थना को कौन सुनता है। आज कल के समय में खास तौर से लोग चाहते हैं कि हर एक चीज़ के दाम एक गुना के बजाय दस गुना हो जायें और उनको इतना प्राफिट मिल जाए । इस वास्ते सरकार को चाहिये कि वह सख्ती से दृढ़ता से काम ले और शासन प्रबन्ध में सुचारिता लाये । हमें देखना चाहिये कि कौन लोग बदनीयती करते हैं और कौन ज्यादा पैसे वसूल करते हैं। जो ऐसा करते हैं उनको ऐसा दण्ड दिया जाए कि दुबारा वे वैसा काम न कर सकें । यदि ऐसा किया गया तो ही देश का उत्थान होगा । चूंकि शासन व्यवस्था कमजोर है इस वास्ते यह सब चीज़ चलती है। जब लोगों को पता चल जाएगा कि उनको उचित दण्ड मिल जायगा अगर उन्होंने कोई अनुचित काम किया तो वे ऐसा नहीं कर करेंगे । यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आगे चल कर हम को बहुत कठिनाई में फंस जाना पड़ेगा । इस वास्ते इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिये ।

हमारे देश में जितने काम विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किये जा रहे हैं, उन में बड़े पोल हैं। विकास मंत्रालय की बात को आप ले लिजिये । बड़े बड़े ब्लाक खोले गए हैं। लेकिन उन में सिवाय धन के अपव्यय के, धन की बरबादी के और कुछ नहीं हो रहा है, कोई वास्तविक सुधार का कार्य नहीं रहा है । आज आप जिस ग्राम में ब्लाक बना हुआ है वहां मेरे साथ चल कर देख लीजिये विकास का कोई काम नहीं हुआ है, धूल ज्यों की त्यों उड़ती है । जो विकास अधिकारी है उसका महल तो बन गया है, बागीचा लग गया है, आप जायेंगे तो अच्छी चाय भी आपको पीने के लिये मिल जाएगी लेकिन ब्लाक का नक्शा बदल गया है, हो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा कि सुधार हो गया है । वास्तव में कोई काम नहीं हो रहा है । कमजोरी यह है कि योजना आपकी .....अन्तःपुर में बनती है, अन्तःपुर के योजना आयोग के लोग देहातों के लोगों की बात को नहीं जानते हैं, उनकी कठिनाईयों को नहीं जानते हैं, उनकी वास्तव में क्या जरूरतें हैं, इसको नहीं जानते हैं। हम जो रूप रेखा बनाते हैं, जो ढांचा बनाते हैं वह वास्तविकता से परे होता है और उसको सारे देश पर लागू कर देते हैं। यदि हम जनता की आवश्यकताओं को समझें, तो सभी काम ठीक हो सकते हैं।

[श्री म० ला० द्विवेदी]

आप बजट बनाते हैं, उस में संसद् के सदस्यों का क्या हिस्सा है। सैक्रेटेरिएट के लोग बैठ जाते हैं, बजट बनादेते हैं, निति निर्धारित कर देते हैं, कर लगा देते हैं। साल भर में क्या कभी संसद् सदस्यों को बुला कर कभी आपने पूछा है कि कौन सा कर लगे जो जनता देना पसन्द करेगी और कौन सा ऐसा कर है जो जनता देना पसन्द नहीं करेगी। आप न बतायें कि कौन कौन से कर आप लगाने जा रहे हैं, लेकिन उनकी राय तो ले ही सकते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं जो जनता की नब्ज़ को पहचानते हैं और आप को ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिन से अच्छी आमदनी आपको हो सकती है। यदि आप ऐसा करें तो आपकी उतनी टीका टिप्पणी भी न हो जितनी होती है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि बजट जब बने तो हम लोगों को राय देने का मौका मिलना चाहिये। जब आप बजट बना चुकते हैं और पेश कर चुकते हैं तो कील कांटा नहीं बदला जा सकता है, जितनी चाहे वह बहस कर लें कोई अन्तर नहीं पड़ सकता है। हां छोटी मोटी रियायतें बाद में अवश्य दे दी जाती हैं। ये जो छोटी छोटी रियायतें दी गई हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपके पास बड़े बड़े प्रतिवेदन आए, बड़े बड़े रिप्रिजेंटेशन आए और उन में से कुछ बातें आप ने स्वीकार कर लीं। जो बजट शुरू में बना दिया जाता है उस में दो चार छोटी छोटी बातों को छोड़ कर कोई नीति में परिवर्तन संसद् के सदस्य नहीं कर पाते हैं। बात आप तब सुनते हैं जब लोग संगठन बनाते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं और हराने की कोशिश करते हैं, फिर यह चीज चाहे पार्टी में हो या बाहर हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी उपेक्षा की जाती है। किसी बात में भी हमारी बात नहीं पूछी जाती है, यह उचित नहीं है, भविष्य में मैं चाहता हूं कि जब बजट बनाया जाए, नीति निर्धारित की जाए तो थोड़ा बहुत हाथ संसद् सदस्यों का भी अवश्य होना चाहिये। तभी ....

श्री मोरारजी देसाई : वह कभी भी नहीं हो सकेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : आप विचार-विमर्श तो कर सकते हैं। वे जो सलाह दें, उसको आप मानें या न मानें, यह आप पर निर्भर करता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यही विचार विमर्श यहां हो रहा है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : जो बातें यहां आज कही जाती हैं, उन पर अगले वर्ष कोई विचार नहीं किया जाता है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई अमल नहीं किया जाता है, अगर किया जाए तो इस में कोई सन्देह की बात नहीं है कि बहुत कुछ लाभ हो सकता है।

अब मैं नशा बन्दी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपने कहा है कि ७० प्रतिशत आदमियों ने शराब छोड़ दी है, ३० प्रतिशत आदमी पीते हैं। यह आपकी बात सही है। शराबबन्दी की नीति से लाभ अवश्य हुआ है। लेकिन क्या आप की नीति का दूसरी सरकारें पालन कर रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। वहां पर ग्यारह जिलों में ग्यारह साल पहले शराबबन्दी शुरू हुई थी और आज भी ग्यारह जिलों में है। नशाबन्दी पर आगे काम नहीं बढ़ा पा रहा है। जहां नशाबन्दी नहां है वहां पर जहां पहले एक शराब की दूकान थी, अब दस दुकाने, गवर्नमेंट की तरफ से खोली जा

†मूल अंग्रेजी में

रही हैं। आपकी नीतियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की बात तो मैं जानता हूं। दूसरी सरकारें भी यही कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी नीति बनायें कि सब लोग मर्यादा से उसका पालन करें, वर्ना उस नीति को रद्द कर दें। मैं चाहता हूं कि नशाबन्दी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी नीति पर कच्चाई से काम हो, उस पर अमल न हो, कोई न कोई तर्क दे कर उस को काटने की कोई कोशिश करे।

आपने कहा था कि पिछड़े हुये जो क्षेत्र हैं, उनकी तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, जो देश में असमानता है, उसको दूर करने की आप कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पहली योजना में, दूसरी योजना में और तीसरी योजना में भी बराबर यह बात कही गई है कि देहातों की उन्नति की जाएगी, पिछड़े हुये क्षेत्रों की जांच करने के लिये एक सर्वे कमेटी मुकर्रर की जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कौन कौन से क्षेत्र पिछड़े हुये हैं, इसका सरकार को आज तक पता नहीं है। जब मैंने आप की बात पर बीच में हस्तक्षेप करते हुये कहा कि शहरों पर ज्यादा खर्च होता है, देहातों पर ज्यादा खर्च नहीं होता है, तो आप ने कहा कि ऐसा नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि अकेले दिल्ली शहर में, जिस की आबादी लगभग ३० लाख के है, ८१ करोड़ रु० पंच वर्षीय योजना में रक्खा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी देहाती क्षेत्र में, जिसकी आबादी ३० लाख है, क्या ८१ करोड़ रुपया खर्च होगा? अकेले दिल्ली नहीं, किसी शहरी क्षेत्र को ले लीजिये, जितना रुपया उस क्षेत्र में खर्च होगा, उस के मुकाबले, उतनी आबादी के देहातों में क्या आप उतना रुपया खर्च कर रहे हैं ' देहातों में धूल उड़ रही है, वहां यातायात के साधन नहीं हैं, लेकिन जो पंच वर्षीय योजनायें बन रही हैं उन पंच वर्षीय योजनाओं से लाभ शहरों को हो रहा है, देहातों को नहीं हो रहा है। इस लिये भविष्य में कम से कम इस के ऊपर ध्यान दिया जाय, जो आप के सच्चे समर्थक हैं, जो सच्चे देश के निवासी हैं।

उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा इलाका बुन्देलखंड है, जो कि पिछड़ा हुआ है। जिस प्रकार आप उत्तर प्रदेश की दूसरे पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में उपेक्षा करते हैं उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बुन्देलखंड की उपेक्षा करती है। हमारे श्री पी० एन० दातार हमीरपुर आये थे। उन्होंने देखा होगा कि वह इलाका चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। बरसात के आरम्भ से ही वहां की नदियां पानी से लबालब भर जाती हैं। वहां के लोगों की गरीबी का क्या हाल है, इसका अन्दाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां के लोग बेर को कूट कूट कर बेरचुन बाना कर खाते हैं और महुआ का जो फूल होता है उस की दुबरी और मुर्का बना कर खाते हैं। इस प्रकार का जीवन है वहां के लोगों का। वहां पर कृषि करने वाले लोगों को महीने में १५ रु० से अधिक नहीं मिलता है। साल शुरू होने के पहले उन को ४०० रु० कर्ज दे दिया जाता है जिस के ब्याज में उस का रुपया कटता रहता है। उसे इस का मौका नहीं मिलता कि वह ठीक से अपना जीवनयापन कर सके। ऐसी दुरावस्था समाज में फैली हुई है, कृषक समुदाय में फैली हुई है, जिसकी ओर आप का ध्यान नहीं जाता। आप कहते हैं कि यह बात गलत है। पिछले दिन यह भी कहा गया था कि वहां पर लोगों को २ आने मजदूरी मिलती है, हो सकता है कि इस से कुछ अधिक मिलती हो, लेकिन हमारे बुन्देलखंड में हालत यह है कि वह अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। वहां की भूमि उपजाऊ नहीं है, इस लिये कृषि में काफी अनाज उत्पन्न नहीं होता। जब किसान गल्ला बेचता है तो वह १० रु० मन के हिसाब से बेचता है लेकिन

अपने खाने के लिये उसको १४ रु० से १८ रु० मन तक खरीदना पड़ता है। इस दुरवस्था का अभी कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा हो अगर वह हो जाय।

अन्त में एक बात यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। अभी कुछ दिन हुए श्री गोपाल रेड्डी ने, जो कि हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, यह कहा कि वे एक सरल भाषा बनाना चाहते हैं। आप सरल भाषा बनाइये, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर कोई सरल भाषा बन सके। लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं है कि भावावेग में यह कह दिया जाय कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे। उन की बात चल नहीं सकती है। उदाहरण के लिये एक शब्द है "प्रस्ताव"। बड़ा सरल शब्द है। लेकिन अंग्रेज़ी में तीन शब्द हैं, एक मोशन, दूसरा रेजोल्यूशन और तीसरा प्रपोजल। तो अगर मोशन, रेजोल्यूशन और प्रपोजल तीनों के लिये हम एक ही शब्द रक्खें "प्रस्ताव" तो लोग हमारी हंसी उड़ायेंगे कि कैसी हिन्दी है कि उस में इन के लिये अलग अलग शब्द नहीं हैं। इस लिये हमारी संविधान सभा ने, हमारी संसदीय समिति ने, शिक्षा मंत्रालय ने और आल इंडिया रेडियो ने एक एक लेक्सिकन बनाया है। उस में लिखा है कि **मोशन** माने प्रस्ताव, **प्रपोजल** माने प्रस्थापन और **रेजोल्यूशन** माने संकल्प। संकल्प संस्कृत शब्द मालूम पड़ता है, कड़ा मालूम पड़ता है, लेकिन मजबूरी है। आप को तीन अलग अलग शब्दों के लिये तीन अलग अलग शब्द चाहियें या नहीं चाहियें। अगर आप तीन अलग अलग शब्द नहीं लेते हैं तो आप कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। इस लिये कहने में चाहे यह कुछ सरल मालूम होता हो, लेकिन करने में यह चीज कठिन मालूम होगी। यह कह देना आसान है कि भाषा सरल हो। लेकिन सरल भाषा क्या होगी? आज हिन्दुस्तान के कोने कोने के लोग यहां बैठे हुये हैं, लेकिन सभी की भाषायें संस्कृतनिष्ठ हैं। केवल पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के लोगों को छोड़ कर सभी लोगों की भाषायें संस्कृतनिष्ठ हैं और उन की भाषा में संस्कृत के शब्द बोले जाते हैं। यदि आप संस्कृत के शब्द लेंगे तो उन को दक्षिण के लोग समझेंगे, लेकिन यदि सरल भाषा के माने हैं परशियन और उर्दू के शब्द, तो यह गलत बात होगी। मैं चाहता हूं कि उर्दू समृद्ध हो, लोग उर्दू भाषा को पढ़ें, लिखें, उसे बढ़ावा मिले, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी भाषा बनाई जाय जिस को दक्षिण का समाज न समझ सके, जिस को बंगाली और गुजराती न समझ सकें, जिस को मराठा न समझ सके। इसलिये भाषा के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते समय हम भावावेश में न आ जायें और गलत नीति निर्धारित न करें। प्रधान मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वे अध्ययन करें। अनेक कमेटियां बनाई गई हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी सम्मतियां दी हैं कि यह चीज ठीक नहीं है। अगर सरल शब्द से काम चल सकता है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसे स्वीकार करूंगा कि आप सरल शब्द बनायें।

मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

†**श्री रा० गि० दुबे** (बीजापुर उत्तर) : बलिया, आजमगढ़ की स्थिति सचमुच शोचनीय है और सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये। इसके साथ ही राज्यों के सीमा विवादों के बारे में मेरा निवेदन है कि इन्हें भारत-चीन सीमा विवाद का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिये। यदि हम इस दृष्टिकोण से सोचेंगे तो निश्चय हमारी राष्ट्रीय एकता नष्ट हो जायेगी। मेरा निवेदन है कि यदि दोनों ओर के राज्यों के भाषायी अल्पसंख्यकों को उचित संरक्षण दिया जाये तो अन्तर्राज्य सीमा-विवादों का हल आसान हो जायेगा। यदि उनको उचित संरक्षण दिया जाये तो फिर कुछ गांवों के सीमा के इधर या उधर रह जाने से कोई हानि नहीं है। सीमा अंकित करते समय एक जिले अथवा अधिक से अधिक तालुके को इकाई माना जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक बेलगांव, कारवाड़ और अन्य स्थानों के सम्बन्ध में मैसूर और महाराष्ट्र के मतभेदों का प्रश्न है, यदि इन क्षेत्रों का सीमांकन केवल भाषा के आधार पर किया जाये तो समस्या का उचित हल नहीं किया जा सकता। जैसा भी हो इस मामले का अंतिम निर्णय इस समय किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में गृह मंत्री की पहल स्वागत योग्य है।

खाद्यान्न के सम्बन्ध में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सिंचाई सुविधाओं का उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजनों के लिये पूरी तरह उपयोग किया जाये। जिले के अधिकारियों को इस मामले में अधिक ध्यान देना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि तकावी ऋण समय पर वितरित किये जाने चाहियें। भारत सरकार को बन्ध बनाने के लिये राज्यों को सहायता देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त हास्पेट-हुबली लाइन को दोहरा बनाने के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये।

श्री सू० ला० वर्मा (सीतापुर): माननीय सभापति जी, मैं आज आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के सीतापुर के गांजर की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर न तो कोई सरकारी अस्पताल है और न कोई डाक्टर है। वहां पर रहने वाले किसानों को बड़ी कठिनाई पड़ती है। वहां से २५—३० मील दूर आने पर एक अस्पताल मिलता है। खतरनाक बीमारियां लग जाती हैं और वहां तक पहुंचने में रास्ते में ही पचासों आदमी मर जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि वहां पर कोई स्कूल भी नहीं है। २५, ३० मील चलने पर जाकर कहीं एक हाई स्कूल मिलता है। वहां पर नदियां बहुत नजदीक नजदीक हैं। छोटी छोटी नदियां हैं और बड़ी बड़ी नदियां भी हैं। छोटी छोटी नदियों में आजकल पानी बहुत कम हो जाता है। सरजू और घाघरा जैसी बड़ी बड़ी नदियों पर पुल भी नहीं हैं और रास्ता भी ठीक नहीं है। आने जाने के लिये सड़कें नहीं हैं। जरा सी बारिश होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है जिससे कि वहां के किसानों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फसल तो बर्बाद जाती ही है लेकिन साथ ही साथ वहां के झोंपड़े और जानवर वगैरह भी पानी में काफी संख्या में बह जाते हैं। बाढ़ में फंसे हुये आदमियों तथा जानवरों को निकालने के लिये कोई सरकारी प्रबन्ध नहीं है।

दूसरी बात यह है कि मैं सरकार का ध्यान किसानों की मेहनत की ओर दिलाना चाहता हूं कि एक साल के बच्चे से लेकर ८० साल के बढ़े तक सारे परिवार के लोग खेती में कठिन मेहनत करते हैं। इतनी मेहमत के बाद जब गल्ला पैदा होता है तभी हर ओर से किसान पर आक्रमण शुरू हो जाता है। लगान वाले भी सख्ती से पेश आते हैं और सिंचाई वालों का तो कहना ही क्या। कर्ज वाले महाजन आकर अनाज की ओर भरी आंखों से देखने लगते हैं। किसान जब गेहूं बेचने के लिये बाजार जाता है तो गेहूं का भाव गिर कर २२ रुपये मन से १३ रुपये मन हो जाता है लेकिन जब किसान का घर गल्ले से खाली हो जाता है तो वही गल्ले का भाव फिर २१ रुपये और २२ रुपये मन हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इन बड़े पेट वालों की ब्लैक मार्केटिंग से किसानों को बचाये। इस प्रकार के शोषण से तो किसान दिन पर दिन कमजोर और दुबला होता जा रहा है और गरीबी का शिकार हो रहा है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि यह जो भी जुल्म किसानों पर हो रहा है इसमें राज्य सरकार का हाथ है। किसी को फकीर बना देना और किसी को बहुत पैसे वाला बना देना यह कहां का इंसाफ है? सरकार को चाहिये कि बैंक पर रोक लगा दे कि किसी भी किस्म के अनाज पर रुपया न दे। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस के बारे में जल्द से जल्द कुछ करे। बस मुझे केवल इतना ही कहना था।

[**श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुये**]

†श्री सुमत प्रसाद (मुज्जफरनगर) : मैं, सरकार और वित्त मंत्री का ध्यान 'ईस्टर्न इकोनोमिस्ट' के ८ जून, १९६२ के अंक में छपे एक लेख की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं। इस लेख में उल्लेख किया गया है कि बहुत से व्यापारी विदेशों में विदेशी विनिमय प्राप्त किये बिना ही घूमते फिरते हैं। मुझे पता नहीं कि उसमें जो कुछ कहा गया है वह कहां तक ठीक है। वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हमें २६०० करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय चाहिये। ७०० करोड़ तो केवल हमें कर्ज अदा करने के लिये चाहिये। १९०० करोड़ रुपये नयी नयी परियोजनाओं के लिये है। जो परियोजनायें सरकार द्वारा आरम्भ की गयी हैं उनमें से तो इतना भी पैदा नहीं हुआ कि वे अपने कर्जे अदा करने के उत्तरदायित्व को ही पूरा कर सकें। ऐसी स्थिति में हमें बड़ी सोच समझ कर योजनायें बनानी चाहियें। विशेषकर इस बात को देखते हुये कि वित्त मंत्री किसी शर्त के साथ कर्जा लेना नहीं चाहते यह ठीक है कि हमें अपनी नीति को प्रभावित करने वाली किसी बात के आगे झुकना नहीं चाहिये। परन्तु फिर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि जो परियोजनायें हमने पूरी कर ली हैं उनसे हमें इतना अवश्य पैदा करना चाहिये कि कर्जे अदा हो सकें।

मेरा यह भी निवेदन है कि योजना आयोग और वित्त आयोग के कार्यों में दोहरापन है। वास्तव में योजना आयोग विभिन्न राज्यों के वित्तीय स्थिति और उसके दायित्वों का सही अनुमान अधिक अच्छी तरह नहीं लगा सकता है। उत्तर प्रदेश को जो धन दिया गया है वह उसकी जिम्मेदारियों को देखते हुये बहुत कम है। जब तक केन्द्र पर्याप्त सहायता नहीं देगा यह राज्य अधिक प्रगति नहीं कर सकेगा।

गांवों में बेरोजगारी और कम रोजगार का एक मात्र हल छोटे उद्योगों को स्थापित किया जाना है। खेतिहर मजदूरों की हालत सुधारने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। हम राष्ट्रीय एकता की बातें करते हैं, परन्तु हमें इस के प्रति भी जागरूक रहना चाहिये कि देश में साम्प्रदायिक तथा जातीय भावनायें बढ़ रही हैं। आम चुनावों में यह देखा गया है कि दलों ने जो आचरण नियम बनाये थे, उनकी पूर्णतः उपेक्षा की गयी है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिये ठोस कदम उठाने की जरूरत है। केवल फेर बदल और समझौतों से राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती। देश की एकता स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है।

†श्री बाकरअली मिर्जा (वारंगल) : आसाम पहाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि सारे देश की भाषा एक हो और उसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये। उनका कहना है कि भाषायी आधार पर देश का जो विभाजन किया गया है वह एक भयंकर भूल है। मेरे विचार से उनका ऐसा कहना गलत है। बल्कि उनकी अपनी बात के ही विरूद्ध है। उनका कहना है कि आसाम की पहाड़ियों के लिये अलग से एक राज्य बनाया जाये क्योंकि आसाम सरकार उनके हितों का उचित ध्यान नहीं रखती। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि समस्या का समाधान इससे नहीं होगा।

यदि हम अपने देश में एकता स्थापित करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले सम्पूर्ण देश के हित का ध्यान रखना होगा। भाषा आदि का प्रश्न तो उसके बाद ही आता है।

मैसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि भाषायी अल्प संख्यकों के साथ किसी भी राज्य में न्याय नहीं किया जाता। दर असल बात यह है कि इन शिकायतों एवं कठिनाइयों का हल तभी हो सकता है जब उन राज्यों में रहने वाले भाषायी अल्प संख्यक आगे आकर यह कहते हैं कि

†मूल अंग्रेजी में

कोई बात नहीं है भले ही हम उस राज्य की भाषा न समझते हों लेकिन फिर भी हम उस राज्य से बाहर नहीं जाना चाहते। इस बारे में हमें विशाल दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और देश का हित सर्वोपरि रखना चाहिये। हमें प्रशासन इस प्रकार का बनाना चाहिये जिससे सबका भला हो।

वित्त विधेयक की चारों ओर से प्रशंसा की गई है। सभी ने उसका स्वागत किया है। माननीय मंत्री महोदय ने जो छूट अब दी है उनके कारण इस विधेयक का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है।

लेकिन मेरा एक निवेदन है कि शुरू में जिन करों की घोषणा कर दी जाती है उनमें बाद को चलकर परिवर्तन नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। शुरू में चीजों के जो मूल्य बढ़ जाते हैं वे बाद में घटकर कम नहीं हो पाते। बाद में चलकर कम से कम ही परिवर्तन किया जाना चाहिये।

कृषि की अवहेलना नहीं की जानी चाहिये। क्योंकि कृषि ही हमारे देश में एक ऐसा साधन है जो देश में ९० प्रतिशत धन उत्पादन करती है। यह माना कि हमारा देश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है और उसके विकास की ओर हमें ध्यान देना होगा। किन्तु फिर भी कृषि की अवहेलना नहीं की जानी चाहिये।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १५ जून, १९६२ / २५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार १३ जून १९६२

२३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४३०	दुर्गापुर में सीमेंट बनाने की मशीनों का संयंत्र	४८२३–२४
१४३१	भारी मशीनी औजार कारखाना, रांची	४८२४–२६
१४३३	पश्चिमी बंगाल में पाकिस्तानी नागरिकों का अवैध प्रवेश	४८२६–२८
१४३४	विश्वविद्यालयों की परीक्षायें	४८२९–३१
१४३५	हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, भोपाल	४८३१–३२
१४३६	द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	४८३२–३५
१४३७	धातुकर्मिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ईशापुर	४८३५
१४३८	विभाजन से पहले के भारतीय सेना कर्मचारियों को पेंशन	४८३५
१४३९	इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी में विशेष डिग्री पाठ्यक्रम	४८३६–३७
१४४०	रूरकेला इस्पात कारखाना	४८३७–३९
१४४२	छावनियों का प्रशासन	४८४०–४१
१४४४	मध्य प्रदेश में पैराशूट फैक्टरी	४८४०–४२
१४४५	प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और समाज शिक्षा संबंधी स्थायी समिति	४८४२–४४
१४४७	भारतीय शस्त्र अधिनियम	४८४४
१४४८	बिलेट का आवंटन	४८४४–४५
१४४९	इन्टरनेशनल ज्योलोजिकल कांग्रेस	४८४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४३२	राष्ट्रीय भावात्मक एकता के बारे में पुस्तकें	४८४५
१४४१	विदेशी मुद्रा	४८४६
१४४३	रूरकेला इस्पात कारखाना	४८४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४४६	कोयले का आवंटन	४८४६–४७
१४५०	लौह अयस्क का उत्पादन	४८४७
१४५१	बढ़िया किस्म के कोयले की खपत	४८४७–४८
१४५२	न्यायाधीशों की अखिल भारतीय तालिका	४८४८
१४५३	इस्पात संयंत्रों का विस्तार	४८४८–४९
१४५४	अन्दमान और कार निकोबार द्वीप समुद्र में तेल की खोज	४८४९
१४५५	मोटर गाड़ियों के नीचे के ढांचे का निर्माण	४८४९
१४५६	केन्द्रीय बाल कल्याण बोर्ड	४८५०
१४५७	इंडोनेशिया से वैम्पायर विमानों की खरीद	४८५०
१४५८	राष्ट्रीय एकता परिषद् के लिये सचिवालय	४८५०
१४५९	खनिज सलाहकार बोर्ड	४८५१
१४६०	पैकिंग रिव्यू	४८५१–५२
१४६१	जैट विमानों के इंजनों का निर्माण	४८५२
१४६२	मुद्रणयंत्रों आदि के लिये भारत को यूनेस्को की सहायता	४८५२
१४६३	इंटरनेशनल कोल प्रिपरेशन कांग्रेस	४८५२–५३
१४६४	विश्वविद्यालयों में उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र	४८५३

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३०४४	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियाँ	४८५३
३०४५	प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में राष्ट्रीय गोष्ठी	४८५४
३०४६	सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान का किराया	४८५४
३०४७	बहुउद्देश्यीय परियोजनायें	४८५४–५५
३०४८	सरकारी कर्मचारियों का अंशकालिक सेवानियोजन	४८५५
३०४९	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	४८५५
३०५०	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ	४८५५–५६
३०५१	समाज शिक्षा संबंधी साहित्य	४८५६
३०५२	साक्षरता	४८५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३०५३	राजस्थान के जिलों की विवरणिका (डिस्ट्रिक्ट गजटियर)	४८५६–५७
३०५४	"सैनिक समाचार"	४८५७
३०५५	उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों की शिक्षा यात्रायें	४८५७
३०५६	सूखे क्षेत्रों की समस्याओं संबंधी गोष्ठी	४८५७–५८
३०५७	पिछड़े वर्गों का कल्याण	४८५८
३०५८	दिल्ली के स्कूलों में कुप्रबन्ध	४८५८–५९
३०५९	अपराध का पता लगाने के लिये कुत्ते	४८५९
३०६०	तिहाड़ (दिल्ली) की सेंट्रल जेल में एक व्यक्ति की मृत्यु	४८६०
३०६१	अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, त्रिपुरा	४८६०
३०६२	खम्भात में तेल	४८६०–६१
३०६३	भारत सर्वेक्षण विभाग के सामयिक कर्मचारी	४८६१
३०६४	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी	४८६१
३०६५	परियोजनाओं संबंधी प्रगतिप्रतिवेदन	४८६१–६२
३०६६	चिकित्सा एवं प्रविधिक संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण	४८६२–६३
३०६७	मनीपुर प्रशासन	४८६३
३०६८	मनीपुर नागालैंड और नेफा का भूतत्वीय सर्वेक्षण	४८६३–६४
३०६९	खोवाई की आदिवासी छात्राओं के लिये होस्टल	४८६४
३०७०	जीवन बीमा निगम की अभिगोपन कार्यवाई	४८६४–६५
३०७१	त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्ति	४८६५
३०७२	इस्पात कारखानों के लिये केन्द्रीय संयंत्र प्रयोगशाला	४८६५
३०७३	मनु नदी पर पुल	४८६५–६६
३०७४	आदिवासी झूमियों का पुनर्वास	४८६६
३०७५	त्रिपुरा के लिये सीमेंट और लोहे की नालीदार चादरें	४८६६–६७
३०७६	त्रिपुरी भाषा का विकास	४८६७
३०७७	धर्म संबंधी जनगणना के आंकड़े	४८६७
३०७८	अन्य देशों को ऋण	४८६८
३०७९	कांगों से वापस आये भारतीय विमान बल के सैनिक	४८६८
३०८०	नमगिया–कौरिक सड़क	४८६८
३०८१	भारतीय विभाग बल, पालम	४८६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३०८२	५०५ आर्मी बेस वर्कशाप में कर्म समिति (वर्क्स कमेटी) .	४८६८
३०८३	नोट आदि का कागज बनाने वाला कारखाना . .	४८७०
३०८४	दिल्ली में स्कूलों की फीस . . .	४८७०
३०८५	दिल्ली के स्कूलों के लिये पाठ्य पुस्तकें . . .	४८७०-७१
३०८६	दिल्ली के स्कूलों में अध्यापकों को ग्रीष्मावकास के लिये वेतन .	४८७१
३०८७	कांगों में संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही पर व्यय . .	४८७१–७२
३०८८	कोयला उद्योग के लिये विश्व बैंक का ऋण . .	४८७२
३०८९	महाराष्ट्र में भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग .	४८७२–७३
३०९०	दिल्ली नगर निगम	४८७३
३०९१	जनगणना विभाग के कर्मचारी . .	४८७४
३०९२	भारत को नार्वे की सहायता	४८७४–७५
३०९३	शिक्षा संस्थाओं की राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें . . .	४८७५
३०९४	पेटेंटों तथा रायल्टियों के लिये विदेशों को भेजा गया धन .	४८७५–७६
३०९५	ज्वालामुखी में तेल के लिये छिद्रण . .	४८७७
३०९६	कांगड़ा में सीमेंट का कारखाना . . .	४८७७
३०९७	केन्द्रीय किरायेदार संघ	४८७७–७८
३०९८	दिल्ली में कुछ स्मारकों का निर्माण . .	४८७८–७९
३०९९	त्रिपुरा में पटसन का व्यापार करने वाली संस्थायें . .	४८७९
३१००	पेजलेक विरिची, तिन्नेवेल्ली में सेना प्रशिक्षण केन्द्र	४८७९–८०
३१०१	रूरकेला बस्ती के क्वार्टर	४८८०
३१०२	सेना इंजीनियरिंग सेवा, दिल्ली क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन क्रम	४८८०
३१०३	सेना इंजीनियरिंग सेवा, दिल्ली क्षेत्र, के कर्मचारियों के वेतन क्रम	४८८१
३१०४	सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु . .	४८८१
३१०५	इस्पात परियोजनाओं में कमी	३८८१
३१०६	कूच बिहार में पाकिस्तानी राष्ट्रजन . .	४८८२
३१०७	अगरतल्ला, त्रिपुरा में रात्रि कालेज . . .	४८८२
३१०८	खंभात में तेल	४८८२–८३
३१०९	अफीम का निर्यात	४८८३–८४
३११०	रांची, बिहार में छोटी मोटरगाड़ी परियाजना .	४८८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३१११	अंग्रेजी भाषा स्थान संबंधी विधेयक	४८८४
३११२	अन्तीचक (भागलपुर) में पुरातत्व संबंधी खुदाई	४८८५
३११३	भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	४८८५
३११४	राज्य विधिजीवी परिषदें	४८८५
३११५	सेना में मानसिक रोग	४८८६—८७
३११६	सेना इंजीनियरिंग सेवा के पेंशन के मामले	४८८७
३११७	पुनर्वेलन मशीनों का आयात	४८८८
३११८	बिलट्स का आवंटन	४८८८
३११९	काश्मीर में खुदाई	४८८९
३१२०	खनन पट्टों के लिये रायल्टी	४८८९
३१२१	हिन्दी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रम	४८८९
३१२२	हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन क्रम	४८९०
३१२३	निर्यात प्रमाण पत्र	४८९०—९१
३१२४	कोयले के दाम	४८९१
३१२५	नंगल उर्वरक फैक्टरी	४८९१
३१२६	भारी परिवहन गाड़ियों का निर्माण	४८९१—९२
३१२७	दिल्ली के स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन क्रम	४८९२
३१२८	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु	४८९२—९३
३१२९	उड़ीसा में सरकारी खानें	४८९३
३१३०	आयकर के मामले	४८९३
३१३१	कोटा में मशीनी औजारों का कारखाना	४८९४
३१३२	हरिजन लड़कियों के होस्टल	४८९४
३१३३	पंजाब में खेलों के लिये अनुदान	४८९४
३१३४	पंजाबी भाषा के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	४८९४—९५
३१३५	सरकारी कर्मचारियों द्वारा रोजगार दफ्तरों में पंजीयन	४८९५
३१३७	सैक्शन अफसरों के वेतन	४८९५
३१३८	दिल्ली में मकान निर्माण सहकारी संस्थायें	४८९६—९७
३१३९	अनुसूचित जाति के अपर डिवीजन क्लर्क	४८९७
३१४०	असिस्टेंटों के ग्रेड के लिये विभागीय परीक्षा	४८९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३१४१	हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पहाड़ प्रतिकर भत्ता .	४८९८
३१४३	जवानों की वार्षिक वेतन वृद्धि . . .	४८९८–९९
३१४४	प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन .	४८९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१७	केरल में विधि स्नातकों का पंजीयन . .	४८९९

स्थगन प्रस्ताव ४९००

अध्यक्ष महोदय ने फुलेरा और साँभर झील के बीच रेलवे फाटक पर आदमी नियुक्त करने में सरकार की कथित असफलता के बारे में, जिसके फलस्वरूप, ११ जून, १९६२ को रेलगाड़ी और बस में टक्कर हो गई जिससे २६ व्यक्ति मारे गये और अन्य कई घायल हुये, एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री स० मो० बनर्जी, दाजी और नम्बियार ने दी थी, अनियमित ठहरा दिया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ४९००—०६

(१) श्री प्र० चं० बरुआ ने उत्तरी लद्दाख में चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य-क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तरबन्द गाड़ियों के कथित आवागमन और चीन द्वारा अधिकृत अक्साई चिन क्षेत्र के दक्षिणी सिंकियांग और किजिल जिल्गा में चीनी फौजी गाड़ियों के लम्बे काफिलों के देखे जाने की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

(२) श्री मोहसिन ने पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी में नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की, विद्रोही नागाओं को बच कर पूर्वी पाकिस्तान भाग जाने से रोकने में असफलता के लिये कथित भर्त्सना की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

(३) श्री वारियर ने नई दिल्ली के पश्चिमी विनय नगर में पीने के पानी की कथित कमी की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित

दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया . ४६०६

विधेयक विचाराधीन ४६०७-४३

१२-६-६२ को प्रस्तुत　वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२, पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शुक्रवार १५ जून, १९६२/२५ ज्येष्ठ, १८८४ शक के लिये कार्यावलि

वित्त (संख्या २) १९६२ पर प्रस्ताव करने के विचार पर अग्रेतर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना ; और गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III 1230 (Ai) LSD—19-11-62—150